राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५८ का ६१वां दिवस [संख्या ३५

शुक्रवार, ११ अप्रेल, १६५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

ग्राम गुडा बालोतां (जालौर) में हायर सैकन्ड्री स्कूल की स्थापना।

१२८४. श्री लक्ष्मीचन्द : (सांचोर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या गांव गुडा बालोतां, ज़िला जालोर में सैकन्ड्री हाई स्कूल बनाने मुतल्लिक वहां की जनता के रिप्रेज़न्टेशन सरकार के पास आये हैं ?

(२) यदि हां, उन पर क्या विचार किया गया है और कब तक सैकन्ड्री स्कूल खोल दिये जाने की आशा है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जनता की ओर से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष जिन स्थानों पर निर्धारित कोटे के अनुसार हायर सैकन्ड्री स्कूल खोले गये थे। ये गुडा बालोतान की मिडिल स्कूल से अधिक उपयुक्त थे। अब आगामी सैशन से अन्य मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल व हायर सैकन्ड्री स्कूल बनाते समय गुडा बालोतान मिडिल स्कूल के प्रश्न पर भी इसकी उपयुक्तानुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जायगा।

सड़क निर्माण हेतु ली गई जमीन का मुआवजा

१२८५. श्री बेनाराम (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) तहसील- खारची जिला पाली में मारवाड़ जंक्शन से जोजावर तक जो सड़क

Page No.2

(श्री बेनाराम)

निकाली गई है उसमें कितने काश्तकारों की कितनी भूमि आई है ?

(२) क्या इन काश्तकारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

(३) अगर नहीं, तो कब तक दे दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) १२६ खातेदारों की लगभग ४२४ बीघा ।

(२) व (३) मुआवजा देने की कार्यवाही जारी है ।

श्री बेनाराम : कब से जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हो चुका है, फाइनल अब होगा.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संगठन

१२८६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किस संगठन को सरकार ने मान्यता दे रखी है ?

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घर पर कार्य न करवाये जाने के सम्बन्ध में जो भी सर्क्यूलर्स जारी किये गये हैं उनकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रखने की कृपा की जावेगी ।

स्वायत्त शासन मंत्री (मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ को ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के सर्क्यूलर संख्या एफ. ४।२५।जी. ए।ए।५७, दिनांक २१-६-५७ और संख्या डी. ७।५८। एफ. ४ (२६) जी. ए।ए।५७, दिनांक २८.१.५८, की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सहायक कर्मचारी संघ के अतिरिक्त और भी कोई संस्थाएं हैं क्या, जो इस बारे में काम कर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं, यही एक राजस्थान बेसिस पर है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मान्य तो यही है लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई काम कर रही हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड यही है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बिकानेर सीटी) : क्या किसी ने मान्यता के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक ने प्रार्थना-पत्र दिया था लेकिन वह जिले तक ही सीमित था ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपको

Page No.3

(श्री मुरलीधर व्यास)

कैसे पता चला कि वह जिले तक ही सीमित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह ज़िले के लिये ही था ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने जो दूसरा सर्क्यूलर इश्यु किया है ?

Even after the issue of the last circular on the subject mentioned above, several complaints from Class IV servants are being received.

इस प्रकार दुबारा सर्क्यूलर इश्यु करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके पास सर्क्यूलर की कॉपी है उसमें दर्ज है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किन किन अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई है क्योंकि कंपलेन्ट्स दुबारा सर्क्यूलर इश्यु करने के बाद भी आई हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजा जयपुर) : अलग नहीं है, जब दुबारा सर्क्यूलर इशु गया किया उसके बाद भी कंपलेन्ट्स आई हैं उन पर क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा इन्डिविज्युअल्स ने शिकायत की होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुबारा शिकायत आने पर अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा कंपलेन्ट आने पर कि सर्क्युलर की पाबन्दी नहीं हो रही है तभी तो दुबारा सर्क्यूलर इश्यु किया गया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दुबारा सर्क्युलर जारी करने के बाद फिर भी कंपलेन्ट् आई हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मान्यता जो प्रदान की गई है वह किस नियम के मातहत की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह किसी नियम की बात नहीं है । राजस्थान बेसिस पर कर्मचारी संघ है इसलिये मान्यता करदी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मान्यता किस आधार पर की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान बेसिक पर है इसलिये की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसी प्रकार पुलिस कर्मचारियों ने मान्यता के लिए आवेदन पत्र दिया था उनको किस के मातहत अस्वीकार किया गया ?

श्री अध्यक्ष : पुलिस का प्रश्न इसमें मत लाइये ।

विद्यालय, चक ३ जे. जे.

१२८७. **श्रीमती सतवन्तकौर** : (करनपुर) क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष चक ३ जे. जे. में स्कूल किस आधार पर खोला गया है ?

(२) क्या यह सच है कि ३ जे. जे. से आधे मील के फासले पर ही एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल ४ जे.जे. में चल रहा है ? और चक ३० बी. बी. मक्कासर में दो प्राइमरी स्कूल १ मील के अन्दर और भी चल रहे हैं ?

(३) क्या यह सच है कि निरीक्षक शिक्षा विभाग गंगानगर ने इस स्कूल की मंजूरी देने में अनियमितता की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) जन-संख्या तथा जनता की आवश्यकता के आधार पर खोला गया है ।

(२) जी नहीं । करीब ३ मील के फासले पर है ।

(३) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या और जगह की स्कूलें भी ३ माइल के फासले पर हैं और ये किसी आधार पर हैं या बिना आधार के खोली गई हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने भाग (१) में जवाब दिया है जनसंख्या तथा जनता की आवश्यकता के आधार पर खोला गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : यह आधार प्रान्त व्यापी होगा या उसी चक्र के लिते है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रान्त व्यापी है ।

डॉ० चन्द्रकला : इस चक के पास जो तीन स्कूलें हैं वे किसी आधार पर हैं ?

श्री पूनमचन्द बिसनोई : बहुत सी जगह पर ३ माइल के फाइले पर हैं ।

बन्दियों के लिए बिछाने व ओढ़ने के वस्त्र की व्यवस्था

१२८८ **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

जिला जालोर के सांचोर एकसट्रा मजिस्ट्रेटी की जेल में कैदियों के बिछाने व ओढ़ने के क्या वस्त्र उपलब्ध हैं ?

कृषि मन्त्री (गृह मंत्री की अनुपस्थिति में श्री नाथूराम मिर्धा) : बिछाने के लिये टाटपट्टियों और ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : उनमें से कितने खराब हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खराब कोई नहीं है । टाटपट्टियां ८ हैं और कम्बल ४७ हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): किस ईयर में गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर किया था इन्हें सप्लाई करने का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साल यदि नहीं है लेकिन फिर भी जो हैं वे अच्छे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : एवरी ईयर उनको रिन्यू किया जाता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एवरी ईयर नहीं की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सामान पर्याप्त है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पर ७ या ८ कैदियों का एवरेज रहता है उसके लिये ये काफी हैं, यदि कभी कैदी ज्यादा हो जाते हैं तो पुराने कम्बल बिछाने को कह देते हैं।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): एक टाटपट्टी पर एक ही सोता है या एक से अधिक।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक ही सोता है।

श्री पी. के. चौधरी : टाटपट्टियों के रिन्युअल का पीरियड फिक्स्ड है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फटने पर बदली जाती हैं।

सी. सी. एफ. के कार्यालय का कोटा से जयपुर स्थानान्तरण

१२८९ **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सी. सी. एफ. का दफ्तर कोटा से जयपुर परिवर्तित किया गया ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और कब ?

(ग) क्या यह भी सही है कि मकान न मिलने के कारण दफ्तर के कर्मचारियों को १५. १६ मील दूर से आना पड़ता है ?

(घ) यदि हां तो क्या क्लर्कों का एक डेपुटेशन २४-८-५७ को इस विषय में वन मंत्री महोदय से मिला ?

(ङ) मंडल की उक्त भेंट का क्या निष्कर्ष निकला ?

(च) क्या कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरकार अजमेर, जोधपुर, कोटा आदि जहां भवन खाली हो सी. सी. एफ. के दफ्तर को परिवर्तित करना उचित समझती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (वनमंत्री): (क) जी हां

(ख) शासकीय सुविधा के लिए और १ मई १९५६ से।

(ग) जी हां, ५ मील की दूरी से जरूर आना पड़ता है।

(घ) जी हां।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार शहर के पास सुविधाजनक मकान की तलाश में है।

(च) जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्या कर्मचारियों को इसके लिए कोई अलॉउन्स दिया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि उनके जाने के लिये कोई मोटर या जीप की व्यवस्था की गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास: यह विभाग पहले कोटा में क्यों रखा गया था ?

श्री अध्यक्ष : इसका प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले क्यों रखा गया था, यह मालूम तो हो।

निम्बाज में हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने सम्बन्धी

१२६०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत)

Will the Minisfer for Education be pleased to state :

Is it a fact that Governmeut has promised to open a Higher Secondary School in Nimbaj from the academic year 1958-59 and that the villagers have agreed to pay Rs. 10,0000/- to the Government for this purpose ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

कन्या पाठशालायें, कोटपूतली

१२६१. **रामकरणसिंह**, (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) तहसील कोटपूतली में कितनी कन्या पाठशालाएं हैं ?

(ख) प्रत्येक पाठशाला में कितनी-कितनी अध्यापिका और छात्राएं हैं ?

(ग) अध्यापिकाओं की क्या योग्यतायें हैं. सूची सदन की मेज़ पर रखें ?

(घ) क्या सरकार पाठशालाओं में अध्यापिकाओं की कमी अनुभव करती है ?

(ङ) यदि हां, तो यह कमी कब तक पूरी हो जायगी ?

(च) क्या यह सही है कि अंग्रेजी और हिसाब पढाने के लिये इस कन्या पाठशाला में कोई अध्यापिका नहीं है ?

(छ) क्या यह सत्य है कि छात्राओं ने अध्यापिकाओं की कमी की वज़ह से हड़ताल की ?

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है।

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) ४ प्राथमिकतथा एक माध्यमिक कन्या पाठशालायें हैं ?

(ख) प्रत्येक पाठशाला में अध्यापिकायें तथा छात्रायें निम्न प्रकार हैं।

पाठशाला का नाम	अध्यापिकाओं की संख्या	छात्र संख्या
१. प्राथमिक कन्या पाठशाला नारेहडा	१	२२
२. प्राथमिक कन्या पाठशाला पावटा	१	५८
३. प्राथमिक कन्या पाठशाला प्रागपुरा	१	३१
४. प्राथमिक कन्या पाठशाला आतेला	१	२८
५. माध्यमिक कन्या पाठशाला, कोटपूतली	६	२२६

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(घ) जी नहीं, सिवाय पावटा में एक अतिरिक्त अध्यापिका के।

(ङ) पावटा में एक और अध्यापिका भेजने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

(च) जी नहीं दोनों ही विषय स्कूल में पढ़ाये जा रहे हैं तथा उसके लिए अध्यापिका है।

(छ) जी हां।

(ज) जी हां। इस सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया है तथा श्रीमती गोन्विद कुंवर को ता० २२–१–५८ को भेज दिया गयाहै ?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : इस पाठशाला के अन्दर एक अध्यापिका की कमी चल रही है, कितने दिनों से कमी अनुभव हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं निश्चित नहीं कह सकता।

श्री रामकरणसिंह : इस पाठशाला में अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाने के बारे में बताया कि ऐसी बात नहीं है। क्या वहां कोई अध्यापिका मैट्रिक पास थी जो हिसाब और अंग्रेजी पढ़ाया करती थी ?

श्री पूनचन्द बिश्नोई : मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं।

श्री रामकरणसिंह : मिडिल स्कूल कोटपूतली के अन्दर कोई अध्यापिका अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाने वाली नहीं थी। आपने बताया कि अंग्रेजी और हिसाब दोनों पढ़ाये जाते हैं, कौन पढ़ाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो अध्यापिका थी, वह पढ़ाती थी।

श्री रामकरणसिंह : वहां पर कोई अंग्रेजी जानने वाली अध्यापिका नहीं है, फिर कौन पढ़ाता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूची में नहीं है कि वह अंग्रेजी नहीं जानती है।

श्री रामकरणसिंह : जो योग्यता लिखी है, एक अध्यापिका प्रभाकर है और बाकी की अध्यापिकायें लोअर मिडिल पास हैं, फिर कौन अंग्रेजी और हिसाब पढ़ा सकती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मिडिल तक अंग्रजी भी पढ़ाई जाती है।

प्रश्न संख्या १२६२

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

दरबार इन्टर कालेज, किशनगढ़

१२६३. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा,** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगी।

(क) दरबार इन्टर कालेज, किशनगढ़ में साइन्स क्लास रूम व लेबोरेटरी रूम बन जाने व साइन्स लेबोरेटरी का सामान भी

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करीब दस हज़ार रुपये का खरीद लिये जाने पर भी साइन्स क्लासें इस साल क्यों नहीं खोली गई ?

(ख) अब क्या अगले साल साइन्स क्लासें चालू कर दी जावेंगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (ग) एक से अधिक विषय एक साथ अक्सर नहीं खोले जाते। गत वर्ष इन्टर कॉलेज किशनगढ़ में कॉमर्स कक्षायें चालू कर देने के कारण साइन्स विषय नहीं खोला जा सका।

(ख) अब आगामी सत्र से साइन्स विषय खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा : क्लास कब तक खोल दी जायगी ? कार्यवाही तो चलती रहती है, बिल्डिंग बन गई है, सामान आ गया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है। क्या अगले सत्र से क्लास खोल दी जायगी या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई खोल दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कोयले की खान, पलाना

१२६४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

इस समय पलाना की खान से प्रतिवर्ष कितने टन कोयला निकलता है तथा इसके विकास के लिए प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि रखी गई थी उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सन् १९५७ में पलाना खान से १७५५१ टन कोयला का उत्पादन हुआ।

अभी कोई खर्च नहीं किया गया है। यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तृतीय वर्ष में इसमें दो करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : वह क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वजह से खर्च नहीं किया गया कि एक प्राजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कोलम्बो प्लान में कुछ फर्म्स से कन्सलटेशन हो रहा है। वह प्राजेक्ट रिपोर्ट तय होने के बाद इसमें रुपया खर्च किया जा सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से हो रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने इसके बारे में लिखा है कि कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत किसी कन्सल्टेटिव फर्म को बतला दिया जाय ताकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दे। उसमें कुल

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

खर्चा राजस्थान सरकार ने करना तय किया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५ सौ टन प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन हो जायगा, क्या इस प्रकार की बात कही गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं कहा जा सकता, जब तक प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार न हो जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : प्राजेक्ट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत जिस फर्म से कन्सलटेशन करने के लिए भारत सरकार निर्णय देगी, वह करेगा ।

श्री पी० के० चौधरी : १९५७ में प्रोडक्शन में कमी होने की वजह क्या है ? १७ हजार टन बताया गया था, प्रोडेक्शन ३० हजार टन तक कर सकते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने निवेदन किया कि पलाना खान से इतना कोयला नहीं निकला । इस वास्ते अब उत्पादन कम हुआ ।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनीराम गहलोत।

रेणीया बांध, खारची तहसील

१२६५. **श्री बेनाराम गहलोत**, (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खारची तहसील में रेणीया बांध बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

सड़कों पर गैंग मैनों की नियुक्ति

१२६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार कच्ची सड़कों पर भी गैंगमैन रखती है जिन पर मोटर बस चलती हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या कोट से नारनौल, कोट से बहरोड़, कोट से डाबला रूटों पर गैंगमैन हैं ?

(३) यदि हां, तो कितनी-कितनी दूरी के लिए गैंगमैन इन सड़कों पर कार्य के लिये तैनात हैं ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि कोट से डाबला

Page No.10

(श्री रामकरणसिंह)

सड़क पर कोट से कल्याणपुरा तक भी गैंगमैन नहीं हैं ?

(६) यदि नहीं है, तो क्यों नहीं रखे गये ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) गैंगमैन केवल उन सड़कों पर जो निर्माण विभाग की देखरेख में हैं, रखे जाते हैं।

(२) नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) निर्माण विभाग के देखरेख में नहीं है।

(५) जी हां।

(६) यह विभाग के देखरेख में नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : किसकीदेखरेख में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसकी नहीं है।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : पहले प्रश्न का जवाब सुना नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : इन सड़कों की मेन्टेनेन्स की रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : पहले प्रश्न का जवाब सुना नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि गैंगमैन उस जगह पर जाते हैं,जो निर्माण विभाग की देखरेख में हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या कोटपूतली की डाबला रोड़ निर्माण विभाग की देख रेख में नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : यह सड़क किसने बनाई थी, गवर्नमेंट ने या प्राइवेट इन्डीविजुअल ने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क ही नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : एक प्रश्न के जवाब में गत सेशन के अन्दर आपने यह बतलाया था कि ठिकाने के अन्दर जो सड़कें बनाई गई, उनकी रिपेअर टाइम-टू-टाइम होती रहती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह फेअर वेदर रोड़ है।

श्री रामकरणसिंह : क्या फेअर वेदर रोड़ के निर्माण के बारे में योजना नहीं रखते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मेंन्टेनेन्स लिस्ट पर नहीं है, इसलिये नहीं रखते।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल।

विकास खंड, सांगानेर

१२९७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् ५६-५७ के वितीय वर्ष में सांगानेर ज़िला जयपुर के विकास खंड में किन किन श्रमदान के काम के लिये किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

(ख) उक्त रकम में से किन-किन व्यक्तियों को पूरा रुपया दिया गया तथा किन किन का कितना-कितना रुपया बैंक में जमा कराया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) सभी व्यक्तियों को पूरा रुपया दिया गया और बैंक में किसी भी व्यक्ति की रकम जमा नहीं कराई गई ?

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बेनाराम : जिन कार्यों के लिए रकम दी गई, वह पूरे हो गये क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री बेनाराम : जिन कार्यों के लिए रकम दी गई, वे पूरे हो गये क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ हो गये हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ होने वाले हैं ।

(हंसी)

श्री बेनाराम : नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कारण बहुत हो सकते हैं, प्रगति सोच समझ कर की जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन कौन से काम श्रमदान से किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लिस्ट है, उसके सारे काम श्रमदान से हुए हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : बताने की कृपा करेंगे तो मालूम होगा ।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री मुरलीधर व्यास : लिस्ट हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट बहुत लम्बी है, बाद में देख लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : सब काम श्रमदान से हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : लिस्ट तो बहुत लम्बी है कम से कम ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रमदान से बहुत से काम कराये हैं, रोशनी, पुलिया सड़क आदि जितने काम ब्लॉक में होते हैं, उतने के लिए लिस्ट है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उनके साथ यह शर्त थी कि ५० परसेन्ट वे खर्च करेंगे और ५० परसेन्ट गवर्नमेंट खर्च करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह शर्त है कि आधा रुपया गवर्नमेंट ने लगा दिया और आधा काम श्रमदान से किया जायगा।

प्रश्न संख्या १२६८

श्री अध्यक्ष : श्री होतीलाल।

(अनुपस्थित)

पुरोहितों का खेड़ा नामक मौजा को बिजोलिया पुलिस स्टेशन से सम्बन्धित किया जाना

१२६९. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मांडलगढ़ तहसील के बिजोलिया पुलिस स्टेशन के पास पुरोहितों का खेड़ा नामक कोई मौजा है, मांडलगढ़ पुलिस स्टेशन से सम्बन्धित है ?

(२) इस मौजे से मांडलगढ़ व बिजोलिया पुलिस स्टेशन से कितनी-कितनी दूरी पर है ?

(३) क्या बिजोलिया पुलिस स्टेशन इस मौजे को सम्बन्धित करने के लिए जनता ने प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस गांव को बिजोलिया पुलिस स्टेशन से सम्बन्धित करने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : गृह मंत्री की अनुपस्थिति में।

(१) जी हां।

(२) यह मौजा पुलिस स्टेशन बिजोलिया से १ मील की दूरी पर है और पुलिस स्टेशन मांडलगढ़ से खेड़ा नामक मौजा २५ मील दूरी पर है।

(३) ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया। ऐसे गांवों को पुलिस स्टेशन बिजोलिया से मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गणपतलाल वर्मा : कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वाजिब समय में हो जायगा।

श्री गणपतलाल वर्मा : कोई तारीख बतादें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम।

सबस्टीट्यूट अध्यापक

१३००. श्री बेनीराम गहलोत (खारची) : क्या शिक्षामंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली ज़िले में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो पिछले दो साल से सबस्टीच्यूट लगाये जा रहे हैं ?

(२) उपरोक्त अध्यापकों की क्या क्वालिफिकेशन हैं और उनको दो साल से सबस्टीच्यूट्स रखे जाने के क्या कारण हैं ?

(३) ऐसे अध्यापक कौन-कौन हैं और

Page No.13

(श्री बेनाराम गहलोत)

वे कहां कहां पर हैं इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) अब सरकार कब तक उनको सबस्टीट्यूटस से टेम्परेरी पोस्ट पर लगाने का विचार रखती हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) पाली जिले में पिछले दो साल से १५ अध्यापक सबस्टीट्यूट लगाये जा रहे हैं ।

(२) सभी अध्यापकगण मैट्रिक पास हैं । गत वर्ष मे इन अध्यापकों से जो अध्यापक अधिक सीनियर थे उन्हें इनसे पूर्व टेम्परेरी पद पर लगाया गया था और चूंकि उनसे सीनियर थे अतः इन्हें रिक्त स्थानों के अभाव में टेम्परेरी पद पर नहीं लगाया जा सका ।

(३) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) उक्त सबस्टीट्यूट अध्यापकों को माह अप्रेल १९५८ को अस्थायी पद पर लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह समझा जाय कि जुलाई १९५७ में नये टेम्परेरी टीचर नहीं लिये गये ? सबस्टीट्यूट जो होने चाहिये उनको लगा दिया गया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सबस्टीट्यूट जो थे उनको लगा दिया गया ।

श्री बेनाराम गहलोत : वे थे, उसके अलावा कोई नया अपॉइन्टमेंट नहीं हुआ क्या? जो सबस्टीट्यूट थे,उनके अलावा नया अपॉन्टमेंट नहीं हुआ क्या जुलाई १९५७ में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सबस्टीट्यूट के अलावा नया अपॉइन्टमेंट नहीं हुआ ।

श्री बेनाराम गहलोत : अगर इत्तला दें तो क्या कार्यवाही करेंगे :

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरूर करेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि दो साल से अध्यापकों की सर्विस को टर्मिनेट किया जा रहा है समरवेकेशन के पहले और दुबारा उनको समर वेकेशन के बाद उसी पोस्ट पर अपोइन्ट किया गया ?

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : ऐसा है ।

श्री पी० के० चौधरी : इसकी क्या वजह है कि दो साल से इन पोस्ट पर रिअपाइन्टमेंट होता है, वह समर वेकेशन के बाद होता है और समर वेकेशन के पहले उनकी सर्विसेज़ टर्मीनेट करते हैं । उनको टेम्प्रेरी पोस्ट पर टेम्प्रेरीली अपॉइट क्यों नहीं किया जाता ? Why do you count them as substitute ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें यह है कि जिसकी सर्विसेज़ तीन साल से कन्टीन्यू होती है, उसको कन्फर्म करते हैं, बाकी टेम्प्रेरी होते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : उनको टेम्प्रेरीली अपॉइन्ट क्यों नहीं करते ? Why do you deprive them of the summer

Page No.14

(श्री पी० के० चौधरी)

vacation pay ? मैं कन्फर्मेशन की बात नहीं कहता। जो पोस्ट मौजूद है, उस पर दो साल से कन्टीन्युअसली टेम्प्रेरीली अपॉइन्ट करते हैं और फिर टर्मीनेट करते हैं। उसको टेम्प्रेरी पोस्ट क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष : वह कहते हैं कि तीन साल का रूल है।

श्री पी० के० चौधरी : No Sir three years service is for confirmation, for making permanent. My question is that for the last two years...

श्री अध्यक्ष : You want reasons for that rule. He says that according to rules he should work for more than two years.

श्री पी० के० चौधरी : The rule is for confirmation. My question is for giving them pay for summer vacation.

श्री अध्यक्ष : He says...

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it is not the rule. The rule is only for confirmations.

श्री अध्यक्ष : श्री मोड्डूलाल।

श्री मुरलीधर व्यास : रूल की बात भी नहीं कही गई कि ३ साल के बाद ऐसा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : रूल ही होगा।

श्री पी० के० चौधरी : रूल नहीं होगा।

श्री किशनलाल शाह : क्या ऐसे भी केसेज़ हैं कि ३ साल हो गये, फिर भी कन्फर्मेशन नहीं किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रूल्स तो ऐसे हैं। अगर कोई केस हो तो वह हमारे ध्यान में लाया जाय।

प्रश्न संख्या १३०१

श्री अध्यक्ष : श्री मोड्डूलाल ?

(अनुपस्थित)

माध्यमिक पाठशालाएं

१३०२. श्री जयसिंह (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) तहसील आसीन्द के देहाती क्षेत्र के किन किन बड़े गांवों में नई माध्यमिक शालाएं प्रारम्भ की जा सकेंगी ?

(२) क्या ग्राम अंटाली उन ग्रामों में से एक है यदि नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) सरकार की आधारित शर्तों के आधार पर आसीन्द तहसील में कोई ऐसा गांव यदि हुआ तो डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कमेटी की सिफ़ारिश होने पर आगामी सत्र से अन्य स्कूलों के साथ इसके प्रश्न पर भी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसकी उपयुक्तानुसार विचार किया जावेगा।

(२) अभी नहीं कहा जा सकता। यदि ग्राम उटाली का स्कूल उपरोक्त शर्तों को पूरा करेगा और डेवेलपमेंट कमेटी की सिफ़ारिस हुई तो मिडिल स्कूल खोलते समय अन्य स्कूलों के साथ इसके प्रश्न पर भी उपयुक्तानुसार विचार किया जागया। -

श्री जयसिंह : क्या यह सही है कि उक्त ग्राम वालों ने सरकार की तमाम शर्तों को पूरा कर दिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, कमरे ३ ही हैं और तीन कमरे ठाकुर साहब ने अब देने को कहा है, तो इस साल विचार कर सकेंगे।

श्री तेजमल बापना : क्या उस जिले में दूसरे बड़े गांव हैं, उन पर भी ध्यान दिया जायगा या उसी एक गांव पर ध्यान दिया जायगा ?

(हंसी)

श्री पूरनचन्द बिश्नोई : मैंने कहा न कि अन्य ऐसी स्कूलों पर भी विचार किया जायगा।

श्री तेजामल बापना : क्या एक ही तहसील में सब माध्यमिक पाठशालाएं खोली जायंगी ?

श्री पूरनचन्द बिश्नोई : सब में बराबर बराबर।

श्री सोहनलाल भटनागर ये शर्तें रिजिड होती हैं या फिक्सेबल ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रिजिड प्रिन्सिपल आज करते हैं पर फिर भी हो सकता हैं कि गलती हो जाय।

श्री बहादुरसिंह : क्या सरकार इस स्थिति में है कि जितनी मांगें हो उतनी ही स्कूलें खोल दें ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सबको संतोष दिलाने के लिये ऐसा आश्वासन दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : सन्तोष तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हो जाय तो।

प्रश्न संख्या १३०३

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित)

मुख्याध्यापक, हाई स्कूल खानपुर (झालावाड़)का स्थानान्तरण

१३०४. **श्री भैरवलाल काला बादल** (अकलेरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) हाई स्कूल, खानपुर ज़ि० झालावाड़ में हैडमास्टर का तबादला किस तारीख को तथा क्यों किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि परीक्षा हो

Page No.16

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जाने तक हैड मास्टर को खानपुर से न हटाये जाने के बारे में जनता तथा छात्रों ने काफ़ी लिखा पढ़ी की थी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

(क) हैडमास्टर हाई स्कूल खानपुर के तबादले की आज्ञा प्रशासनिक कारण से ता० २१-१२-५७ को जारी की गई थी।

(ख) हां यह सही है कि परीक्षा हो जाने तक हैडमास्टर को खानपुर से न हटाये जाने के बारे में जनता तथा छात्रों ने लिखा पढ़ी की थी परन्तु प्रशासनिक कारणों की वजह से यह तबादला स्थगित करना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री चन्दनमल वैद : प्रशासनिक कारण क्या हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स बहुत से ऐसे हो सकते हैं, जिनका बताना उचित नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर करते समय एज्युकेशनल व्यु को ध्यान में रखा जाता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां एज्युकेशनल व्यु और एडमिनिस्ट्रेशन व्यु, दोनों को ही ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हैड मास्टर साहब क्लास लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : By administration you mean only the general administration. There is educational administration also.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उक्त हैडमास्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्या कारण थे वो तो मैंने प्रशासनिक कारण कहे हैं, जो बताने से मजबूर हूं।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत कोई थी कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : काला बादल को तो पूछने दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि कोई इस प्रकार का आश्वासन दे दिया गया था कि परीक्षा तक उस हैडमास्टर को वहां से नहीं जाने देंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि डैपुटेशन डायरेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तक उनको नहीं रोक सकते ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दूसरा मास्टर वहां कब पहुंचा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तबादले पर पहुँचने में जितना टाइम लगाना चाहिये उतने में पहुँच गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': खानपुर में उस हैडमास्टर को आये हुए कितना अर्सा हो गया था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष, यह इस सवाल के दायर से बाहर का प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : It is not...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रशासनिक कारणों की वज़ह से उत्तर नहीं दिया जा सकता ?

श्री पी० के० चौधरी : वह बताना चाहिये, ऐसे क्या प्रशासनिक कारण हैं, जिनके बताने से नुकसान हो सकता है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह प्रशासन चलाने वालों को मालूम होता है।

श्री भैरोंसिंह : वे प्रशासनिक कारण क्या थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स के लिये ट्रान्स्फर करना आवश्यक था इसलिये कर दिया।

श्री पी० के० चौधरी : सदन जानना चाहता है कि वे प्रशासनिक कारण क्या थे ? क्या यह सही है कि जिसका ट्रान्स्फर हुआ था उसके वहां गये ६ महीने से ज्यादा अर्सा नहीं हुआ था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री तनसिंह : वे प्रशासनिक कारण बतायें कि क्या कारण थे।

श्री अध्यक्ष : कारण होते तो बता देते, उन्होंने प्रशासनिक कारण बताये हैं।

(हंसी)

श्री पृथ्वीराज पटेल ।

बामनवास में हाई स्कूल या हायर सैकेन्ड्री स्कूल की स्थापना

१३०५. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कस्बा बामनवास में अब तक हाई स्कूल या हायर सैकेन्ड्री स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

(२) अब कब तक खोल दिया जावेगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि बामनवास तहसील में एक भी हाई स्कूल नहीं है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) बामनवास मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नत भवन की कमी के कारण नहीं किया गया है। वर्तमान मिडिल

Page No.18

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

स्कूल के लिए भी भवन का अभाव है, जनता के द्वारा मकान का उचित प्रबन्ध अभी तक नहीं हो पाया है।

(२) यदि स्थानीय जनता भवन का प्रबन्ध करदे तो आगामी वर्ष हायर सैकेन्ड्री स्कूल खोलने के प्रश्न पर अन्य ऐसे स्कूलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर विचार किया जावेगा।

(३) जी हां। बामनवास तहसील में अभी कोई हाई स्कूल नहीं है, गंगापुर में जो बामनवास के निकट है एक हायर सेकेन्ड्री स्कूल है और रेल्वे ने भी अपना इस क्षेत्र में एक हाई स्कूल प्रारम्भ कर दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : बामनवास तहसील की पोपुलेशन क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह हमें मालूम नहीं है कितनी है।

एक माननीय सदस्य : सवाईमाधोपुर जिले में कितने हायर सैकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सारे राजस्थान में हायर सैकेन्डरी स्कूल कुल १० खोले जायेंगे और २५ ज़िले हैं, अब आप ही अन्दाज लगा लीजिये कि कहां कहां खोले जा सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज पटेल : बामनवास में खोला जायगा या नहीं, वहां पर भवन तैयार है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसका उत्तर मैंने दे दिया है

प्रश्न संख्या १३०६

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव प्रसाद बंका।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल।

खानपुर अरनिया रोड़

१३०७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

खानपुर से अरनिया रोड (ज़िला झालावाड़) को पक्का करवाने के बारे में सरकार की क्या योजना है तथा इस पर अब तक कितना काम हुआ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वर्ष १९६०–६१ में आरम्भ कराये जाने की योजना है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

जावर माइन्स

१३०८ **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर जिले की जावर माइन्स के मजदूरों के लिये गृह निर्माण की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितनी

Page No.19

(श्री सोहनलाल भटनागर)

रकम खर्च की जायगी व कुल कितने गृहों का निर्माण किया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) हां।

(ख) ७५ गृह-निर्माण करने की योजना है, जिस पर कुल २,४८,००० रु० व्यय होने का अनुमान है।

श्री पी० के० चौधरी : किसकी तरफ से व्यय होगा, सरकार की तरफ से या फैक्ट्री ओनर की तरफ से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की तरफ से योजना है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्लान का है जल्दी ही हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : फैक्ट्री ओनर की तरफ से क्या वहां मकान बने हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३४३ मकान बने हुए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कार्य फैक्ट्री ओनर का है तो फिर सरकार क्यों मकान बना रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां फैक्ट्री ओनर नहीं कराये वहां सरकार कराती हैं, ऐसा बहुत सी जगह किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दूसरे स्थानों पर भी ऐसा किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर, पाली, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर आदि में।

श्री मुरलीधर व्यास : जामसर में मजदूरों को क्यों लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है। अलग से पूछिये।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि पाली में जो इस प्रकार का इन्डस्ट्रियल हाउस बनाया गया उसमें कोई एमिनिटीज़ नहीं दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पानी पहुँचा दिया गया है और बिजली पहुँचाने वाली है।

प्रश्न संख्या १३०६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड

१३१०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एन्टीकरप्शन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ख) इसके कौन कौन सदस्य हैं और अब तक इस बोर्ड ने कितने केसेज़ डिसपोज़ ऑफ किये ?

(ग) जब से बोर्ड स्थापित हुआ है कितने केसेज़ बोर्ड के सामने आये और अब कितने पेन्डिग हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन आई० जी० पी० की भी नियुक्ति की गई है ?

(ङ) अगर हां, तो क्यों तथा एन्टी-करप्शन बोर्ड और एन्टीकरप्शन आई० जी० पी० के कार्यों का क्या समन्वय रखा गया।

(च) आई० जी० पी० एन्टीकरप्शन के नियुक्त किये जाने के बाद अब तक कितने केसेज़ दायर हुए, कितने चालान हुए और कितने पैन्डिग हैं।

(छ) पहले यह कार्य किस के अधीन था तथा उस अमले का क्या हुआ।

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में): (क) एन्टी-करप्शन बोर्ड की स्थापना २४ फरवरी, १९५५ को हुई थी। इसका पुनर्गठन दिनांक १०.१०.५७ की आज्ञा द्वारा किया गया था।

(ख) पुनर्गठित भ्रष्टाचार निरोधक मंडल, राजस्थान के ६ सदस्य है जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

(१) मुख्य मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया....चेयरमैन।

(२) गृह मन्त्री, श्री रामकिशोर व्यास।

(३) चीफ सेक्रेट्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(४) चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान, जयपुर।

(५) श्री शोभाराम, एम. पी., अलवर।

(६) रावल श्री नरेन्द्रसिंह, एम. एल. ए., दूदू।

३१ जनवरी, १९५८ तक भ्रष्टाचार निरोधक मंडल राजस्थान द्वारा १२२६ मामलों में निर्णय किया जा चुका है।

(ग) भ्रष्टाचार निरोधक मंडल राजस्थान की स्थापना के समय अर्थात् २४.२.५५ से ३१.१.५८ तक बोर्ड के कार्यालय में १३५० केसेज़ का पंजीकरण हुआ है जिनमें से केवल १२४ मामलों में निर्णय देना शेष है।

(घ) हां, यह सही है कि स्पेशल आई. जी. पी., एन्टीकरप्शन की नियुक्ति की गई है।

(ङ) पुलिस विभाग की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन थी। यह महसूस किया गया कि उक्त अधिकारी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होने के कारण भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों में जितना ध्यान व समय देना चाहिये, उतना नहीं दे सकते। अत: सरकार ने यह निर्णय लिया कि स्पेशल आई. जी. पी. का स्थान स्वीकृत किया जावे और उक्त शाखा को आई. जी. पी. के अधिकार से हटाकर इसके अधीन कर दिया

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

जावे। स्पेशल आई. जी. पी. राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक मंडल के सेक्रेट्री हैं।

(च) दिनांक १०.६.५७ से विशेष आई. जी. पी. एन्टीकरप्शन ने कार्य भार संम्हाला है। उस समय ८१ मामले पेन्डिग थे, तब से ३१.१.५८ तक ७१ मामले दर्ज हुए, १३ केसेज में चालान किया गया, २० मामलों में अन्तिम रिपोर्ट पेश की गई तथा ११६ केसेज़ पेन्डिग (शेष) है। इनमें भी प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही की जा चुकी है।

(छ) पहले यह कार्य श्री जगन्नाथ प्रसाद माथुर, आर. जे. एस. के अधीन था। उनके अमले में से कुछ कर्मचारियों का दूसरे विभागों में स्थानान्तर कर दिया गया गया और बाकी के कर्मचारी इस समय सेक्रेट्री भ्रष्टाचार निरोधक मंडल, राजस्थान के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि एन्टीकरप्शन बोर्ड की स्थापना....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका प्रश्न बहुत ही लम्बा था, इसलिये उत्तर भी लंबा ही होगा।

श्री श्रीभानसिंह : आप उन्हें सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : स्पेशल आई. जी. पी. की नियुक्ति हो गई तो इसके लिये फिर बोर्ड की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड पहले भी था और अब भी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस बोर्ड के किसी भी सदस्य के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या श्री शोभाराम, एम. पी., के खिलाफ जल बोर्ड के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिल्कुल झूठ है।

श्री भैरोंसिंह : अलवर में समिति ने यह कहा कि इसके लिये शोभारामजी से पूछा जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिल्कुल गलत है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने जो यहां आंकड़े बताये उनमें कितनी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मैं नहीं बता सकता। इस समय मेरे पास सारे डिटेल्स नहीं हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिस समय व्यक्तियों का चालान किया जाता है उससे पहले क्या सरकार की पर्मिशन ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सरकारी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिये।

Page No.22

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो लोग पब्लिक सर्वेन्ट की केटेगरीज़ में आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो फौज़दारी की दफ़ा १६७ में दिया है उसके अनुसार।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार से इज़ाजत लेना है तो फिर चीफ़ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आदि इसी बोर्ड के सदस्य क्यों हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड न कि मिनिस्टर्स, इन्क्वायरी करता है; एपोइन्टिग ऑफिसर्स होते हैं उसके लिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने ६ सदस्यों को लिया, जिसमें श्री नरेन्द्रसिंहजी को, जो एम. एल. ए. हैं उनको भी लिया है ? क्या आपने इनको एम. एल. ए. होने के बाद रखा या पहले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे एम. एल. ए. हैं इस वजह से उनको लिया गया है। आपका नाम भी इसमें आ सकता था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार पब्लिक के और व्यक्तियों को लेने के लिये तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिक के दो व्यक्ति लिये गये हैं, एक तो एम. पी. और दूसरे एम. एल. ए. हैं, वे पब्लिक के ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अलवर हिज़हाईनेस के पोलो ग्राउन्ड की जमीन श्री शोभारामजी ने हड़पी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उन पर इस प्रकार के आरोप हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई आरोप नहीं हैं। जो आरोप लगाये गये हैं वे झूठे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जब विशेष आई. जी. पी. की नियुक्ति होती है तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत रहती है ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : उसको फाइनल करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड फाइनल डिसीज़शन लेता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि श्री सतीशचन्द्र को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सेक्रेट्री बनाया गया, उसके पहले आई. जी. पी. थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि उन दिनों में ये आये ही थे।

श्री भैरोंसिंह : पोलो ग्राउन्ड की ज़मीन जबरदस्ती नहीं ली गई तो क्या वह ज़मीन हिज़ हाईनेस की नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग है। लेकिन चूंकि मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी है, मैं बता देना चाहता हूं कि इलेक्शन के समय यह वापिस हो गई।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह है कि वह पुराना भ्रष्टाचारी है।

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इसका सीरियस ऑबजेक्शन लेता हूं। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि यह गलत है, फिर भी आप पूछते जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसको चैलेंज करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात गलत है। ज़मीन गवर्नमेंट ने अलॉट की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न और।

श्री अध्यक्ष : No questions please.

श्री पी० के० चौधरी : I will like to......

श्री अध्यक्ष : I said no more questions please.

श्री तनसिंह : On a point of order, Sir, मैं वह व्यवस्था चाहता हूं कि जो अभी ये शब्द कहे गये कि 'ये झूंठ हैं', क्या यह झूंट पार्लियामेंटरी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : झूंठा है, यह पार्लियामेन्ट्री है।

श्री तनसिंह : मैं आपसे व्यवस्था नहीं मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यों तो आप जानते हैं कि काफी शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका उल्लेख नहीं होना चाहिये। लेकिन यहां 'झूंठ' के बारे में इसके बजाय अगर असत्य कहते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री पी० के० चौधरी : I will like to know, out of 1100 cases...

श्री अध्यक्ष I have called the next question Hon'ble Member.

(विराम)

Next, Shri Ram Narayan Varma.

बांधों की मरम्मत, कोटा

१३११. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा ज़िले में रियासत के समय बनवाये गये अधिकांश बांध टूटे पड़े हैं तथा इसके फलस्वरूप भूमि कटाव बढ़ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार पैदावार बढ़ाने के लिये कब इन बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

कृषिमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) सिंचाई विभाग के अधीन ५० एकड़ से ज्यादा सिंचाई करने वाले तालाब हैं और उन सबकी हालत ठीक है। हो सकता है कि ५० एकड़ या उससे कम सिंचाई करने वाले तालाबों में से कुछ टूटे हुए हों। ऐसे तालाब पंचायतों के अधीन हैं और वही मरम्मत वगैरा करती है। भूमि कटाव का प्रश्न नहीं उठता।

(नाथूराम मिर्धा)

(ख) कोटा ज़िले में पुराने तालाबों की मरम्मत के लिये ३ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। ज़िलाधीश कोटा की निगरानी में यह काम होगा सिंचाई विभाग से एक सहायक अभियन्ता ज़िलाधीश कोटा के पास नियुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

जल वितरण व्यवस्था, बीकानेर

१३१२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जनस्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग ने नये कुवे से लोहारों की मस्ज़िद तक बीकानेर में पानी वितरण के लिये मेन लाइन बिछाने की योजना बनाई है ?

(२) बीकानेर में पानी की सप्लाई के निमित्त क्या नियम अथवा Stadning orders हैं ? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(३) क्या बीकानेर में पानी के संकट को दूर करने के लिये रिज़वॉयर (Reservoir) बनाने की किसी योजना पर विचार चल रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) नियमावली प्रस्तुत है।

(३) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि जी नहीं। क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब अभी तक योजना ही पूरी नहीं बनी तो फिर लोहारों की मस्ज़िद के मौहल्ले की कैसे बन जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ज़ी नहीं, कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने मौहल्ले की पूछी। सारी स्कीम ही विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह क्या स्कीम है जो विचाराधीन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको दो दफे बता दिया। मैंने कहा कि क्या स्कीम होगी, कितना रुपयों में बनेगी, कितना खर्चा होगा, यह सारी बातें सरकार के विचाराधीन हैं। यह मैंने आपको दो तीन दफे तो बता दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : यह योजना कब तक बन जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उचित समय में।

श्री पी. के. चौधरी : उचित समय की क्या डेफ़िनिशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको आप समझ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिये क्या विशेष योजना की आवश्यकता होती है। यह एक रिज़र्ववायर बनाना है।

Page No.25

श्री नाथूराम मिर्धा : जरा (अश्रव्य) होकर सोचने की कोशिश करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : शहर में पानी हर व्यक्ति अलग-अलग ले और अलग लाइन नहीं हों तो यह कैसे हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके पुराने नियम बने हैं उसके मुताबिक कार्यवाही होती है ।

प्रश्न संख्या १३१३

अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

विद्युत व्यवस्था, अलवर

१३१४. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़ क्षेत्र) : क्या मंत्री, बिजली विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अलवर नगर में विद्युत उत्पादन के लिये टरबाइन सेट लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कितने समय से ?

(२) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब सरकार क्या कदम उठा रही है और इस टरबाईन सेट से उत्पादित बिजली नागरिकों को कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

(३) राजस्थान राज्य के ऐसे कितने नगर हैं, जिनके नागरिकों को आठ आना प्रति युनिट देना पड़ता है ? क्या वह रेट्स राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई है ?

(४) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तेल, डीजल और हाईड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादित विद्युत के रेटों में क्या अन्तर है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, विद्युत मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) सन् १९५४ में सुझाव रखा गया था ।

(२) नये स्टीम पॉवर स्टेशन के लिये स्थान चुन लिया गया है और निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू किया जावेगा । प्लान्ट को लगाने का कार्य तब ही केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा किया जावेगा । वर्तमान स्थितियों में यह आशा की जाती है कि अलवर में नया प्लान्ट १९५९।६० तक आयुक्त हो जावेगा और नागरिकों को बिजली उपलब्ध हो जावेगी ।

(३) राजस्थान राज्य में निम्नलिखित नगरों में नागरिकों से आठ आना प्रति युनिट लिया जाता है :

१. अलवर
२. भरतपुर
३. झालावाड़
४. डूंगरपुर
५. डीग
६. भीलवाड़ा
७. करोली
८. किशनगढ़
९. निवाई
१०. सागवाड़ा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

११. टोंक

१२. हिन्डौन

१३. शाहपुरा

उपरोक्त रेट्स करौली, निवाई, टोंक व शाहपुरा को छोड़ कर राजस्थान बनने के पहले से ही प्रचलित थीं। करौली, निवाई, टोंक व शाहपुरा की रेट्स राज्य सरकार द्वारा १ अप्रैल, १९५२ से निश्चित की गई हैं।

(४) अभी तक यहां पर हाईड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन विद्युत चालू नहीं हुई है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इन रेट्स को रेशनेलाइज़ करने की सोच रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : आठ आना युनिट कोस्ट बेसिस पर चार्ज करते हैं या इससे प्रोफिट ड्राइव करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जानते हैं कि बहुत से पॉवर हाऊस आठ आना युनिट चार्ज करने के बाद भी लोस में चलते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या भरतपुर का पॉवर हाऊस आठ आना रेट चार्ज करते हुए भी लोस में चल रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिते।

श्री अध्यक्ष : तनसिंह।

वूल ग्रेडिंग व मार्केटिंग केन्द्र

श्री तनसिंह (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कितने वूल ग्रेडिंग व मार्केटिंग सेन्टर्स हैं ?

(२) वे कहां २ हैं और कब खोले गए, उनके क्या कार्य हैं और उन पर प्रतिवर्ष क्या खर्चा किया जाता है ?

उपमंत्री, (श्री दौलतराम सारण) : 'राजस्थान में कोई वूल मार्केटिंग सेंटर नहीं है बल्कि ७२ वूल ग्रेडिंग सेंटर हैं जो ऊन विकास केन्द्रों के नाम से पुकारे जाते हैं।

श्री तनसिंह : काफ़ी प्रश्न आगे चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वही है, १३१५। राजस्थान में कितने वूल ग्रेडिंग व मार्केटिंग सेन्टर हैं ?'

(हंसी)

हां आप आरम्भ रखिये।

श्री दौलतराम सारण :(क) राजस्थान योजना के अन्तर्गत ५० केन्द्र

(१) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् — २२ केन्द्र

कुल ७२ केन्द्र

(२) इन केन्द्रों के स्थापना के स्थान तथा खोलने की तिथि सम्मिलित सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

Page No.27

(श्री दौलतराम सारण)

(३) इन प्रत्येक केन्द्रों पर वार्षिक व्यय इस प्रकार होता है :

अनेक माननीय सदस्य : भाग तीन इसमें नहीं है। दो ही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवर्ष क्या खर्चा किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : इसको इसके साथ ही पढ़ लेता हूं ?

५० केन्द्र	२,८००० रु० प्रति	केन्द्र
२२ ,,	३,०००	,,

इनके मुख्य कार्य संलग्न सूची में अंकित हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या वूल बिना ग्रेड किये ही मार्केट में सीधी भेज दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो ऐसा ही हो रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : फिर मार्केट के अन्दर सीधी भेजने पर गवर्नमेंट को लोस नहीं होता या जो प्रोड्यूसर्स है उनको लोस नहीं होता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो होता है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या उनको मदद के लिए किसी आदमी को नियुक्त कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आयन्दा करने का विचार है।

श्री श्रीभानसिंह : कब तक हो जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इसी अक्तूबर में कर दें।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेंट ने कोई एडवरटाइज़मेंट निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रेडिंग करने के लिए ऑफिसर्स मौजूद हैं। सेन्टर्स का निर्माण नहीं हुआ है, सेडस नहीं बने हैं, अब बन रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या वूल ग्रेडिंग के लिए प्राइवेट सेन्टर्स भी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

भारत सेवक समाज

१३१६. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) भारत सेवक समाज की राजस्थान शाखा को पिछले वर्ष में कितनी धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी गई ?

(ख) सन् १९५७-५८ से पूर्व हर वर्ष कितनी २ धनराशि दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ग) क्या भारत सेवक समाज के हिसाब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की सरकार ने जांच कराई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त संस्था में धन का अपव्यय होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में) :

(क) भारत सेवक समाज जयपुर तथा अजमेर को सन् ५७-५८ में २५ हजार की धनराशि सहायता के रूप में दी गई।

(ख) ५६-५७ में ५ हजार की धनराशि दी गई उससे पूर्व कोई धनराशि नहीं दी गई।

(ग) सरकार ने भारत सेवक समाज के हिसाब को ऑडिट नहीं किया, लेकिन समाज को ओडिट किए हुए हिसाब को भेजने के लिए लिखा गया।

(घ) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब लिखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन हाल ही में लिखा गया है।

श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता : किन किन को मदद दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केम्प वगैरा लगाते हैं। भारत सेवक समाज का काम होता है, हरएक डिस्ट्रिक्ट में ब्लाक्स में काम होता है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि ब्लाक की तरह से यह स्टूडेन्ट्स की तरफ से केम्प लगाये जाते हैं, भारत सेवक समाज़ अपना नाम जोड़कर केम्प लगा लेते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग से लगाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी जानकारी में है कि नाम जोड़कर नहीं लगाते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं अलग लगाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या भारत सेवक समाज को जितनी सहायता उसने मांगी थी उतनी ही दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा मांगी थी, कम दी गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह धनराशि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में ही समाप्त हुई या केम्पों में भी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ में हुई हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जरूरी नहीं है कि सहायता देने से पूर्व हिसाब की जांच की जाय ?

Page No.29

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर जांच का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब ५६-५७ के हिसाब ही नहीं आये हैं तो सहायता किन कारणों से दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आडिट के लिए लिखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बिना हिसाब जांच किए आगे सहायता दी गई है वह फाइनेन्शियल रूल्स के अगेन्स्ट में नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइनेन्शियल रूल्स के अगेन्स्ट में नहीं है। ऑडिट कराते हैं। म्युनिसिपेलिटी में भी ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जब तक पहले वाला हिसाब क्लीयर न कर दे, कोई सरकार की ओर से सहायता न दी जाय ऐसे नियम हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन कौन से कैम्प भारत सेवक समाज की ओर से हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक बार साल में ब्लाक एरिया में केम्प लगाए जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कार्य हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रमदान का काम भी होता है। ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारत सेवक समाज के नाम बताये हैं। देश-सेवा का कार्य होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या भारत सेवक समाज के मंत्री को १५०) के बजाय ३००) देना अपव्यय नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी मेरे पास अभी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिसाब के लिए कब कब आपने रिमाइन्डर्स किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आडिट कराके जल्दी भेज दें लिखा गया है। गड़बड़ी नहीं है हिसाब में।

श्री पी० के० चौधरी : केम्पों के लिए....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचंद।

राणाप्रतापसागर बांध

१३१७. **श्री सुगनचन्द** (बेंगू) क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राणा प्रताप सागर बांध का कार्य कब तक शुरू होने की उम्मीद है ?

(२) इस बांध से कितनी जन संख्या के कितने गांव तथा कितनी जमीन डूब में आवेगी ?

(३) उस बाबत मुआवज़ा कब तक चुकाया जावेगा और बसाने के वास्ते इस तहसील में कौनसी जगह दी जावेगी ?

(४) इस बांध से कितनी बिजली पैदा

(श्री सुगनचन्द)

होगी और कहां २ तक और कौन—कौन से रास्ते होकर जावेगी ?

(५) इस बांध पर कितनी रकम खर्च होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (वनमंत्री, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) (१) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् १९५८-५९ में ।

(२) इस बांध से कुल ५१ गांव डूबेंगे जिनकी जनसंख्या ८०१२ है । डूब में जाने वाली ज़मीन का क्षेत्रफल (१७,८५,५४०) लाख, अठहत्तर हजार, पांच सौ चालीस एकड़ है ।

(३) मुआवज़ा काम शुरू होने के बाद शीघ्र ही चुकाने की तजवीज़ है, विस्थापित लोगों के पुनः स्थापना का प्रश्न विचरा-धीन है ।

(४) इस बांध से कुल ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी । वर्तमान योजना के अनुसार इसका वितरण निम्न प्रकार से होगा :

(१)	६६	के. वी. ए.	जयपुर से राजगढ़
	३३	,,	राजगढ़ से अलवर तथा भरतपुर
	११	,,	भरतपुर से डीग
(२)	११	,,	धौलपुर से बाड़ी
(३)	३३	,,	अजमेर से नसीराबाद होती हुई विजयनगर

(५) इस योजना की अनुमानित लागत (सत्रह करोड़, छासठ लाख, अठारह हजार) (१७, ६६, १८, ०००) रुपया है ।

श्री सुगनचंद : क्या इससे चित्तौड़गढ़ को कोई फायदा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, होगा ।

श्री सुगनचंद : कौन २ से रास्तों से बिजली आवेगी ?

श्री सुगनचंद : आपको बता दिया है वह ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सैकिन्ड स्टेज़ पर....

(आश्चर्य)

श्री सोहनलाल : सैकिन्ड स्टेज़ कब प्रारम्भ होगी ? साल नहीं बताया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साल ५८-५९ बताया ।

विकास खण्ड, आबू रोड़

१३१९. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या विकास व योजना मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

आबू रोड़ तहसील के ब्लाक में अभी तक कितने स्कूल व ग्रामसेवकों के मकान तैयार हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, (श्रम मंत्री विकास मंत्री की अनुपस्थिति में) : अभी तक एक भी स्कूल भवन व ग्रामसेवकों के मकान पूरे नहीं हुए हैं । काम बराबर चालू है ।

श्री अनोपसिंह: इसमें कितने का एस्टीमेट लगाया गया था। स्कूल और ग्रामसेवकों के लिये मकान बनाने में कितनी धनराशि लगाने का एस्टीमेट लगाया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह लिस्ट में साफ़ है । जोड़कर बता सकूंगा । पर १३ स्कूल हैं और ७ ग्रामसेवकों के भवन निर्माण का काम । फिर आप खुद भी तो उसके सदस्य हैं । आपको खुद को ज्यादा मालूम होगा ।

श्री अनूपसिंह : एक-एक ग्रामसेवक के मकान के लिये कितना एस्टीमेट रक्खा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

प्रश्न संख्या १३१६

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

टूरिस्ट बोर्ड

(२० मार्च, १९५८ का स्थगित प्रश्न)

७२७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य कि केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में राजस्थान ने एक टूरिस्ट बोर्ड स्थापित किया है ? यदि हां, तो उसके मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (श्रममंत्री यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में) जी : नहीं, प्रश्न नहीं उठता ?

अध्यक्ष महोदय, यह बोर्ड कोई नहीं बनाया गया पर एडवाइज़री व कमेटी जरूर अपॉइन्ट की है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त सास्त्री : उस एडवाइज़री कमेटी के मैम्बर कौन कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडवाइज़र कमेटी के मेम्बर तो २०।२१ हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : नाम बता दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तो हैं चीफ मिनिस्टर, चैयरमैन, बाकी सेक्रेटरी हैं । डिफरेन्ट विभागों के, पी.डब्लू. डी. के इरिगेशन के, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं, डी. आई. जी. हैं, एक इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के हैं । ऐसे ही एक रसिकलाल खन्ना है । एक पंडित (अश्रव्य) हैं पी. सिंघल हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग ।

(२५ मार्च, १९५८ का स्थगित प्रश्न)

८३४ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या

श्री भैरोंसिंह)

शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा विभाग के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारियों (गजेटेड ऑफीसर्स) के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग, विभागीय खरीद फरोख्त में अनियमितता तथा टैक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन एवं उनके राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित अनियमितताओं के विषय में जांच की जा रही है ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी द्वारा किस किस तारीख से किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध और किस-किस सम्बन्ध में ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(ख) पिछले पांच वर्षों में ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा चुकी है और प्रत्येक का क्या नतीजा रहा ? जांच किस-किस अधिकारी द्वारी की गई ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई उप शिक्षा मन्त्री : (क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष खरीद फरोख्त की गई थी (अश्रव्य) पुस्तकालयों ? के सम्बन्ध में उनकी डाइरेक्टर महोदय ने जांच की है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो आपने सूची मांगी थी उसमें पूरा विवरण दे दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उस सूची में यह शामिल नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो फिर इसकी कोई एन्क्वायरी नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने पिछली बार इस सदन में कहा था कि जांच करके जो रिपोर्ट दी गई थी वह मेरे पास आ चुकी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जितनी भी एन्क्वायरी हुई हैं पिछले पांच सालों में उसकी सूची मैंने सदन की मेज़ पर रख दी है। इसके बाहर कोई एन्क्वायरी नहीं हुई, इसमें है तो हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या फिर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो बात सदन में कही उसको मैं सही मानूं या आप जो अभी कह रहे हैं उसको सही मानू ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह कब कही, मुझे तो मालूम नहीं है और जो सूचना आपने मांगी है वह अगर आप कहते हैं कि गलत है तो उस पर दुबारा जांच कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर क्या यह माना जा वे कि शिक्षा विभाग की पिछले साल की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने यह सवाल किया कि किस किस अधिकारी के खिलाफ एन्क्वायरी हुई उसकी सूची मैंने दे दी है। अब इससे अधिक सूचना मैं नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा जो खरीद की गई थी दो वर्ष पूर्व और उस सम्बन्ध में भी जांच की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने कह दिया है कि जो कुछ सूचना है यही है।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट इन्कम्पलीट है साहब। पी. ए. सी. की रिपोर्ट में जितनी जांचों का उल्लेख है इसमें तो उतना भी नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : P. A. C. report what for...

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो १३ नम्बर देकर ही कह दिया गया और उस पी.ए. सी. की रिपोर्ट में बीस-पच्चीस का उल्लेख है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: Whatevere information I had, I have already given.

श्री भैरोंसिंह : हाउस में जो लिस्ट पेश की गई है वह बिल्कुल इन्कम्पलीट है।

श्री अध्यक्ष : आपने ज्ञानकारी दी है। इसकी लाइट में आप इसको वापिस देखें।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि और कोई एन्क्वायरी नहीं हुई यह जो जवाब दिया गया है ठीक नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have already replied.

श्री अध्यक्ष : कह चुके हैं इसके लिये वे ...

खरंजा बनाने का ठेका

(२५ मार्च, १६५८ का स्थगित प्रश्न)

८३६ **श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा)** : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विकास विभाग की ओर से ग्राम कवाई, तहसील अटरू, ज़िला कोटा में खरंजा बनाने के लिये ग्राम पंचायत को कितना रुपया दिया गया तथा किसे ठेका दिया गया था ?

(२) ठेकेदार को कितनी रकम किस सरपंच के द्वारा दी जा चुकी है ?

(३) क्या खरंजा पूरा बन चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या जो खरंजा बना है उसका किसी ओवरसीयर के द्वारा नाप व एस्टीमेट बनवाया गया है ? यदि हां, तो वह कितने रुपयों का एस्टीमेट बना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, विकास मंत्री की अनुपस्थिति में) (१) विकास खण्ड की ओर से ३,०००) रुपये दिये गये थे जिसका ठेका श्री टीकमसिंह को पंचायत की ओर दिया गया था।

Page No.34

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) उपरोक्त रकम तथा ग्रामवासियों के चन्दे की रकम ६२० रुपये श्री चम्पालाल भूतपूर्व सरपंच कवाई ने ठेकेदार को दी थी ।

(३) जी नहीं । लगभग तिहाई कार्य पूरा करने के पश्चात् ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया ।

(४) जी हां । एस्टीमेट ८४०६) रुपये का बनाया गया था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो रुपया दिया गया था वह सरपंच पंचायत को पूरा का पूरा दे दिया दे गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, पूरा रुपया दिया गया था ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि उस सरपंच के खिलाफ़ काम पूरा नहीं होने से दिया हुआ रुपया वसूल करने की कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत ने तो सरपंच को दिया और सरपंच ने ठेकेदार को । उसमें गड़बड़ी कोई नहीं हुई । वह ठेकेदार मर गया इसलिये उस रुपये को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो रकम ठेकेदार को दी गई है वह पूरी रकम सरपंच ने उसको दे दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां । वह मैंने अर्ज किया । तीन हजार रुपया दिया गया था और चन्दे के ६२०) रुपये चन्दे के भी ठेकेदार को दे दिये गये थे ।

श्री पी. के. चौधरी : काम पूरा होने से पहले ही पेमेन्ट कर दिया गया था ठेकेदार को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह विकास वालों ने दिया पंचायत को और पंचायत के सरपंच ने ठेकेदार को दे दिया ।

श्री पी. के. चौधरी : वर्क पूरा होने से पहले ही पेमेन्ट कर दिया था उसको ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे ऐसा ही मालूम पड़ता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या पंचायत के सरपंच पर यह जिम्मेदारी नहीं थी कि काम पूरा होने के बाद पैसा देता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : विश्वास से पहले भी दे देते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या पंचायत में इस बारे में नियम नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ठेकेदार मर गया इसलिए मजबूरी हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं थी, वैसे पंचायत ने गबन कर लिया हो या कुछ गड़बड़ी कर दी हो यह बात नहीं है । अब उस रुपये को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार भी इस प्रकार से अपने ठेकेदारों को पहले से ही पूरी रकम दे देती है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, सरकार तो नहीं देती।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार ऐसा करने लगे यह ऐसा क्या जरूरी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : अब उस रुपये को आप कैसे वसूल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वे दो तीन बार जवाब दे चुके हैं।

श्री पी. के. चौधरी : Whether these were taken from the contractor or...

श्री अध्यक्ष : पंचायत का काम है, कहां का अर्नेस्ट मनी है इसमें नेक्स्ट।

हथियारों का लाइसेन्स

(२६ फरवरी, १९५८ का स्थगित प्रश्न)

४२४ **श्री तनसिंह** : (बाड़मेर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में ब्रीच ब्रीच लोडिंग गन्स के कितने लाइसेन्स दिये हुए हैं तथा इनमें से कितने लाइसेन्सदारों की बन्दूकें ज़िलावार पुलिस की तहवील में है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा), (गृह-मंत्री की अनुपस्थिति में): राजस्थान के प्रत्येक जिले में ब्रीच लोडिंग गन्स के जितने लाइसेन्स दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

जितने लाइसेन्सदारों की बन्दूकें पुलिस की तहवील में हैं उनकी संख्या की सूची भी ज़िलेवार संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री अनूपसिंह : यह बन्दूकों को पुलिस की तहवील में किस कारण से रक्खा गया है और इसका फैसला क्यों नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके कारण अलग, अलग हो सकते हैं। मेरी जानकारी में अभी नहीं है।

श्री अनूपसिंह : क्या यह हो सकता है कि ये चोर डाकुओं से मिले रहते हैं और उनको मदद देते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह चुका, कारण मेरी जानकारी में नहीं है।

भरतपुर की बिडला वेगन फेक्ट्री को बिजली देने सम्बन्धी

(२० फरवरी, १९५८ का स्थगित प्रश्न)

४२८. **श्री श्रीभानसह** (बयाना): भरतपुर की बिड़ला वेगन फैक्ट्री को बिजली देने सम्बन्धी।

Will the Minister for Electrical & Mechanical Department be pleased to state.

(1) Did the Government promise to suppy Electric power to the Birla wagon Factory at Bharatpur ? If so, has it been supplied ?

(2) If not, what are the reasons for the delay, and by what year will it be possible to start the rupply and at what rates ?

वनमंत्री श्री नाथूराम मिर्धा

(विद्युत मंत्री की अनुपस्थिति में):

(1) Yes. Arrangements are being made.

(2) Two new diesel sets of 250 Kw and 150 Kw have been installed. The 150 Kw set has been commissioned and the 250 Kw set would be commissioned soon. They would cater the immediate requirements of the wegon Factory. Delay was due to delay in the import of Switchgear. The question of rates is being considered by the Electricity Board.

श्री रामलाल बंशीवाल : ऐसा कोई लेटर क्या माननीय मन्त्री महोदय ने वैगन फैक्टरी वालों को लिखा था कि '५७ में बिजली दे दी जावेगी ?

Page No.36

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे लैटर की कोई जानकारी नहीं है।

बीज वितरण तहसील नोखा

(२८ मार्च, १९५८ का स्थगित प्रश्न)

९६६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) नोखा तहसील में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना बीज वितरण किया गया ?

(२) क्या उक्त तहसील के लिये यह काफी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

उपकृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण):

(१) नोखा तहसील में निम्नलिखित मात्रा में बाजरे का बीज अगले तीन वर्षों में बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :—

सन	वजन बीज
१९५८—५९	२०० मन
१९५९—६०	२०० मन
१९६०—६१	३०० मन

(२) उपरोक्त बीज पर्याप्त नहीं समझा जाता।

(३) कृषि विभाग से सिर्फ उन्हीं लोगों को खरीफ का बीज़ दिया जावेगा जिनके पास बीज नहीं होता है।

(४) सरकार की ओर से राजस्थान में सौ सौ एकड़ के ४० और २५—२५ एकड़ के ४ बीज उत्पादन फार्म १९५८—५९ तक स्थापित किए जावेंगे। इसके अतिरिक्त २१६ बीज गोदाम बनाए जावेंगे। इनसे शुद्ध और उन्नत बीज उत्पादन करने में सहायता मिलेगी साथ ही किसानों को बीज, उत्पादन के लिए रजिस्टर किया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल : बीज़ वितरण करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है ?

श्री दौलतराम : फसल की अच्छी पैदावार हो।

श्री गिरधारीलाल: नोखा तहसील में पिछले तीन साल में कम बीज़ वितरण करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम : कारण मैंने बता दिया है ?

श्री गिरधारीलाल : आगे का जो आपने प्लान बताया है ५८, ५९, ६० वगैरह का यह आपने किस आधार पर बताया ? वहा बाज़रे के सिवाय अन्य बीज़ का भी वितरण करना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : क्या ?

श्री गिरधारीलाल : वहां पैदावार बाज़रे के सिवाय और दूसरी भी होती है क्या वहां दूसरा बीज़ वितरण करना उचित नहीं समझा ?

एक माननीय सदस्य : यह एक्सपेरीमेन्टल बीज़ आप कहां से लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो लोकल पैदावार होती है उसी में से लिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : यह क्या आपने मार्केट से लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां कुछ बाज़ार अच्छा होता है वहां से ही खरीदते हैं ?

श्री मुरलीधर : किस एरिया का अच्छा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग-अलग राजस्थान में एरियाज़ हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस एरिया का सबसे उत्तम होता है ?

नाथूराम मिर्धा : हमारे यहां जोधपुर में फलौदी के १० गांव का बाजरा बहुत अच्छा होता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अब विधायी कार्य लिया जायेगा ।

६. १२ म० पू०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १६५७

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष मैंने एक प्रस्ताव रखा था ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बाद में मिल लेना ।

राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल क्लॉज़ ३ पर बहस हो रही थी और उसकी उप-खण्ड (१), (२) और (३) स्वीकार किये जा चुके हैं । अब उप-खण्ड (४) पर बहस होगी ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल चुका है । आप सदन का समय इस तरह से न लें ।

श्री हीराभाई : उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में मिल लीजिए । मैं सब शंकाओं का निवारण कर दूंगा ।

श्री हीराभाई : बाद में किस समय ?

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से सदन का समय खराब न करें ।

श्री हीराभाई : आखिर बाद का टाइम भी तो मिलना चाहिए ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा घंटी)

श्री अध्यक्ष : Any ammendment on sub. clause (4)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब-क्लॉज़ (४) पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, किस सब-क्लाज़ पर अमेंडमेंट है ?

सब-क्लॉज़ (५) पर है, डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह जो सब-क्लॉज़ हैं सिटी के बारे में यह ५०,००० की जनसंख्या वाले जो नगर हैं. वे सिटी की डेफ़ीनिशन में आयेंगे । इसके बारे में मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि राजस्थान में मनुष्यों की आबादी तो कम है और इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और यहां ऐसे दो-चार या दस-पांच ही नगर हैं जो शहर की डेफ़ीनिशन में

(डॉ० बहादुरसिंह)

आयेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन था इस सम्बन्ध में कि २०,००० की आबादी वाले जो नगर हों उनको नगर की डेफ़ीनिशन में लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Is that all ?

डॉ० बहादुरसिंह: मेरा निवेदन था कि इस तरह शहर की जो डेफ़ीनिशन है उससे शहरों की संख्या बढ़ जाती है और जो शहर हैं और शहर की जो डेफ़ीनिशन में आने वाले हैं वे भी बढ़ जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन था। इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि इससे थोड़ा सा असर टैक्सेशन पर पड़ेगा। जैसे हाउस टैक्स पर विशेष असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। खासतौर से जो पुरानी राधानियां हैं उन पर खासतौर से ज्यादा असर पड़ने वाला है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष मेरा भी अमेंडमेंट है। वह लिस्ट नम्बर २ में ।

श्री अध्यक्ष : Is it on sub-clause (5) ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : सब-क्लॉज़ (५) में है मेरा अमेन्डमेंट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह बहुत मामूली सा है और वह यह है कि इस सब-क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाये। इस सारे बिल के पढ़ने से यह मालूम होगा कि सरकार की मन्शा यह है कि दो तरह की अपने यहां म्युनिसिपैलिटीज़ रखी जायें, एक तो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ जो कि ५० हज़ार से कम आबादी वाले स्थान हैं वहां तो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ और जो ५० हज़ार से ज्यादा आबादी वाले स्थान हैं वहां सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ कायम की जायें। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार के दिमाग में या मन्त्री महोदय के दिमाग में कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स काम कर रहा है और वह यह है कि टाउन म्युनिसिपैलिटी बिल जो अभी चालू है राजस्थान में, वे उससे गवर्न नहीं होते हैं और उनको यह डर है कि अगर सब म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए एक ही तरह का कानून बना दिया तो बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ वाले नाराज हो जायेंगे। वैसे उदयपुर में तो अभी कॉरपोरेशन चल रहा है। तो बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ वाले जैसे जोधपुर, जयपुर वाले नाराज़ हो जायेंगे कि हमें छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ और छोटे शहरों के साथ मिला दिया। इसलिए उनको स्टेटस देने के लिए सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ का नाम दे दिया। अगर आप सारा बिल पढ़ें तो उससे यह नहीं मालूम होगा कि सिटी और टाउन में क्या फ़र्क है। इसमें केवल नोमीनल फर्क रख दिया कि पचास हज़ार से ऊपर की आबादी वाले शहरों को तो सिटी की संज्ञा दी है और उससे नीचे की आबादी वाले नगरों को टाउन की संज्ञा दी है। केवल इस डर से कि वह बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ वाले और बडे शहरों वाले नाराज़ न हो जायें म्युनिसिपैलिटीज़ का नाम सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ रख दिया। यह कानून की पद्धति से दूर जाना होगा, अगर इस तरह का डिफरेन्स रखा। इस चीज़ से हटकर मैं समझता हूं कि सब म्युनिसिपैलिटीज़ को एक तरह के अधि-

(श्री चन्दनमल वैद)

कार दिये जायें, उनके लिए एक ही तरह के कानून हों तो ज्यादा उचित होगा । इसलिए मेरा यह संशोधन है कि या तो आप सब म्युनिसिपैलिटीज़ को सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ का ही नाम दीजिए या फिर सबको टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ का नाम दे दीजिए। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि इस सब-क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जायें ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन ऑनरेबल श्री चन्दनमल जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह संशोधन जो पुराने एक्ट के अन्दर था, जो डिफरेन्सेज़ टाउन और सिटी म्युनिसिपैलिटी के या कॉरपोरेशन के, जैसे उदयपुर के अन्दर है। उन डिफरेन्सेज़ को समाप्त करने के लिए लाया गया है और जब हम उन डिफरेन्सेज़ को समाप्त करना चाहते हैं तो एक तरफ तो एक म्युनिसिपैलिटी को सिटी म्युनिसिपैलिटी कहें और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी को कौंसिल कहें, इन दोनों नामों से स्पेसिफिक हो जायें तो यह बात हो सकती है लेकिन इसमें यह देखना है कि जब दो इन्सटीट्यूशन्स को डिफरेन्ट नाम देते हैं तो उस नाम देने का कोई मकसद तो होना चाहिए, कुछ उनकी पॉवर्स में डिफरेन्स होना चाहिए, कुछ उनके कॉसटीट्यूशन में डिफरेन्स होना चाहिए, कुछ मेम्बरशिप में डिफरेन्स होना चाहिए। एक तरफ तो जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके हैड्स को चेयरमैन कह देते हैं और दूसरी तरफ हम उनको प्रेसीडेन्ट के नाम से कह देते हैं। व वाइस चेयरमैन को वाइस प्रेसीडेन्ट कह देते हैं। मगर नाम से कोई डिफरेन्स नहीं

पड़ता है। टैक्सेशन की वही पॉवर्स सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को है और वही टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ को है। अगर हम दोनों के फंक्शन्स देखें तो वही हैं, वही कॉन्स्टीट्यूशन है, उसी तरह से इस एक्ट के मुताबिक गवर्न होंगे, तो मैं नहीं समझता कि यह नाम में डिफरेन्स क्यों ? दूसरे मैं यह कहूंगा कि जब बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट यहां हमने डिस्कस की थी तो उसमें एक सजेशन था और वह यह था कि जो दस हज़ार तक की आबादी की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको एबोलिश कर देना चाहिए। अब उसका तो पता नहीं कि दस हज़ार तक की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटीज़ को रखना या है नहीं, मगर जब यहीं से डिफ़रेन्स शुरू कर दिया है बिल में और यह कोई रीज़न्स नहीं कि क्यों उसको कौंसिल किया जाय, और क्यों सिटी किया जाय तो उस डिफ़रेन्स को रखने से क्या फ़ायदा ?

उदयपुर से यह रिप्रेजेन्टेशन होगा कि हमारे यहां कॉर्पोरेशन हो, उसको कॉर्पोरेशन किया जाय, कॉर्पोरेशन को बदस्तूर रखा जाय। अगर कॉर्पोरेशन रखा जाय तो राजस्थान के अन्दर ऐसी संख्या किसी सिटी की नहीं है कि कॉर्पोरेशन कॉन्स्टीट्यूट किया जाय। हमारे यहां सिर्फ म्युनिसिपैलिटी की संज्ञा है और इनको एक लेवल पर लाया जाय और एक लेवल का दर्जा दें। इस डिफ्रेंस से क्या होगा कि कौन्सिल या कॉर्पोरेशन को ग्रान्ट्स इन एड देने का सवाल आयेगा तो गवर्नमेंट सिर्फ नोमिनक्लेचर को देखकर इन म्युनिसिपैलिटीज़ को ग्रान्ट इन एड ज्यादा देदेंगी और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ को ग्रान्ट इन एड कम देंगे। यह डिफ्रेन्स अभी से इन्ट्रोड्यूस बिल के अन्दर करते हैं तो ठीक नहीं है उसका रखना। म्युनिसि-

(श्री श्रीभानसिंह)

पैलिटीज़ सब जगह रखें, लेकिन यह कह दें कि टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ और सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ । जो कुछ डिफ्रेन्स रखते हैं जैसा कि मैं अमेरिका का उदाहरण देता हूं, विलायत का उदाहरण दूं कि वहां पर हमेशा छोटी चीज़ को दूसरे नाम से करते हैं । लोकल सेल्फ का उनका टायर सिस्टम है और टायर सिस्टम में डिफ्रेन्ट फन्क्शन्स होते हैं और डिफ्रेन्टली कन्स्टीट्यूट होती है। इसी तरह अमेरिका के अन्दर सिटी मैनेजर और कौन्सिल Plan के डिफ्रेन्ट फन्कशन्स हैं और डिफ्रेन्ट कॉन्स्टीट्यूशन होती है। डिफ्रेन्ट उनके पॉवर्स हैं और डिफ्रेन्ट इन्कम के सोर्सेज़ हैं। यहां किसी चीज़ नहीं है कि डिफ्रेन्ट नहीं होते हुए भी अलग नाम रखना चाहते हैं । यह साइन्टिफ़िक बैसिस पर कोई डिसीज़न नहीं है। केवल नाम से वहां के सिटीज़न्स वगैरह को बच्चे की तरह से समझाना है। बच्चा रोता है तो बच्चे के लिए खिलौना दे दिया और वह खुश हो जाय। इसलिये इस एमेन्डमेंट को रखना चाहते हैं कि एक स्टेटस और एक केलीबर पर म्युनिसिपैलिटीज़ को लाया जाय। यह तो वही चीज़ हुई कि जिस तरह से संविधान बना उस वक्त पार्ट ए० बी० और सी० स्टेट्स रखो गई थीं । उनका मकसद यह था कि चूंकि पार्ट बी. और सी. स्टेट का अभी तक डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर के अन्दर थी। एक तरफ से वहां अटोक्रेसी थी और पार्ट सी स्टेट कमिश्नर के under थी। उनके अन्दर डेमोक्रेसी इन्ट्रोड्यूस की जाय, और वे डेमोक्रेटिक मेथड को सीख जांय और एक लेवल पर आ जांय। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब स्टेट में पहले से मौजूद थीं और म्युनिसिपल बोर्ड्स पहले से मौजूद थीं। तो म्युनिसिपैलिटीज़ के फन्कशन्स से, म्युनिसिपैलिटीज़ के आरगेनाइजेशन से और म्युनिसिपैलिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से सब लोग जो हैं वे कनवरसेन्ट हैं । तो डिफ्रेन्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ालो करें या परम्परा को मान कर उस आरग्यूमेंट को भी दें जो कॉर्पोरेशन के हैं। तो वे कौन से म्युनिसिपैलिटी के फन्कशन्स, उसके आर्गेनाइजेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा समझते हैं या जो टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ जैसे कि भरतपुर की हैं वे कम समझते हैं। फंकशन्स स्टेट्स में पहले लोकल सेल्फ के एक ही रहे हैं और जब फन्कशन्स लोकल सेल्फ के सब स्टेट में मानार्की के कमाने में एक ही रहें तो मैं समझता हूं कि अब डिफ्रेन्ट क्यों करें ? डिफ्रेन्ट उसको कर सकते हैं जो कि नया एरिया डवेलपड करते हैं तो उनको नोटीफ़ाइड एरिया कर दें । उसमें डिफ्रेन्स ला सकते हैं जिसको कि डवेलप करना है । मगर जो ऑलरेडी सिटीज़ हैं, डवेलप्ड एरियाज़ हैं उन सिटीज़ के अन्दर की म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर मैं समझता हूं डिफ्रेन्स की क्या जरूरत है ? इसलिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस एमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरदार शहर से आये हुए माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अपने प्रांत के अन्दर ही नहीं इस प्रकार की सारे देश के अन्दर व्यवस्था नहीं है, सिवाय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के कि जहां कारपोरेशन बने हुए हों। लेकिन जहां कारपोरेशन बने हुए हैं उनके फन्कशन्स अलग हैं। लेकिन जो

Page No.41

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बिल हम बनाने जा रहे हैं उस बिल के अन्दर करीब करीब सभी नगरपालिकाएं एक सी हैं, वे एक से टैक्स वसूल करती हैं, उनके आगे जो फन्कशन्स हैं वे सब करीब-करीब एक से हैं, फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। पहले कुछ स्थानों को कौन्सिल का नाम देकर उनको कुछ अधिकार कम सरकार दे दें, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ के बाप जब कौन्सिल होती हैं तो सरकार सब्सिडी बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। छोटे स्थान के म्युनिसिपल बोर्ड को वही काम करना पड़ेगा जो कि कौन्सिल को करना पड़ता है। जब दोनों के समान कार्य हैं, जब कि दोनों समान रूप से टैक्स वसूल करेंगे। उस स्थिति में एक भिन्नता का निर्माण करना किसी प्रकार से जायज़ नहीं है। भिन्नता निर्माण करें उस जगह जहां कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया है कि दस हजार से छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको तहसील पंचायतों के अन्दर उनके प्रतिनिधियोंके साथ सहयोग लेंगे। बाकी १० हजार से जो बड़ी हैं और ५ लाख से कोई बड़ा शहर नहीं है। ऐसी स्थिति में १० हजार के ऊपर जो शहर हैं और ५ लाख से नीचे जो शहर हैं, उनके अन्दर समान रूप से कार्य करने की, समान रूप से टैक्स लेने की परिपाटी है वहां इस प्रकार अलग-अलग रूप से भेद करके उनको अलग-अलग रूप से प्रश्रय देने का प्रयास करते हैं, तो बाकी के नगरों का विकास रुकेगा। यह हो सकता है कि सब्सिडी देने का जहां सवाल हो वहां जितनी नगरपालिकाओं में टैक्स वसूल होता है और जितनी आबादी है उसके आधार पर सब्सिडी दी जा सकती है। लेकिन उसके आधार पर अलग रूप से प्रतिष्ठा देना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और बाकी के जो कुछ नगर हैं उनके विकास के कार्यों में बाधा डालेंगे। इस प्रकार का जो विभेदीकरण किया जा रहा है उसके मैं विरुद्ध हूं और सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री नारायणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो यह संशोधन के लिए प्रस्ताव आया है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, इसके मैं पक्ष में हूं। पहले मैं यह मानता हूं कि इस इस प्रकार के वर्गीकरण का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ स्तर स्वायत्त शासन और जनतन्त्रीय किसी भी पद्धति में दिया जाय। जहां कि हमारी क्षमता जनतन्त्र के लिए पूर्णतया विकसित न हो वहां इस प्रकार की पद्धति रखी जाय, लेकिन जब मैंने इस सारे बिल को देखा और कौन्सिल के लिए कोई विशेष पॉवर, कोई टैक्सेशन अथवा अन्य प्रकार की, नहीं देखी, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां पर कोई खास ख्याल नहीं रखा गया है, केवल किसी नगर विशेष को एक विशेष प्रतिष्ठा देने के लिए ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। मैं यह मानता हूं कि स्थानीय स्वायत्त शासन में टायर सिस्टम अथवा किसी प्रकार का ऐसा सिस्टम कि जहां जिस प्रकार से विकास होता जाय उसी प्रकार से अधिक से अधिक पॉवर्स दिये जाय उचित है। जैसा कि सौराष्ट्र के पंचायत विधान में इस प्रकार के तीन अलग-अलग स्तर रखे गये हैं। जहां कि उनका विकास उस स्तर के अनुसार हो तो उनको अलग प्रकार की स्थिति और पॉवर्स दिये गये हैं। ऐसा अगर सिस्टम रखा जाय तो वह उपयुक्त है और

(श्री नारायणसिंह)

जहां स्वायत्त शासन में एक नये प्रकार की प्रेरणा देना चाहते हैं और जहां हम यह चाहते हैं कि स्वायत्त शासन काफ़ी एक विकेन्द्रित पद्धति का अनुमोदक हो, उसका प्रतीक हो। अगर उस विचारधारा से अलग-अलग स्तर स्वायत्त शासन पद्धत्ति में अलग स्तर रखें तो ठीक होगा और उस दृष्टि से जो इस विधेयक में संशोधन हुआ है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने आगे भी ऐसे एमेंडमेंट रखे हैं। यदि केवल म्युनिसिपैलिटीज़ कानून में समानीकरण ही हमारा दृष्टिकोण है और एक ही प्रकार का विधान सारे राजस्थान को देना है तो शायद हमें इस प्रकार को अलग स्तरीय स्थिति देने की आवश्यकता नहीं जची है, परन्तु मैं समझता हूं कि जो कौन्सिल पर प्रोवीज़न है, जो इसमें अगर एमेंडमेंट रखते हैं तो इस बिल में काफ़ी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें यह करना होगा कि आज सारी व्यवस्था म्युनिसिपल कमेटीज़ की इस समय चल रही हैं वह तो इस सारी साधारण म्युनिसिपैलिटी को देदें जो ५० हजार से कम है अथवा कुछ ज्यादा है। एक विशेष अधिकार उन कौन्सिल्स को अथवा कॉरपोरेशन्स को दें जो कि काफ़ी विकसित हो चुकी हैं और बड़े कस्बों में हैं, जैसे जयपुर। जयपुर एक राजधानी का स्थान है और यहां एक विशेष प्रकार की कॉरपोरेशन या विशेष प्रकार की पद्धति को चालू किया जा सकता है।

इस दृष्टि से यदि हम एक कौंसिल का निरूपण करें और उसको एक विशेषाधिकार दें और उसमें हम कुछ नई पद्धति का प्रयोग करें तब तो इस क्लॉज़ को रखने में मैं कोई आपत्ति नहीं समझता। लेकिन केवल मात्र इसको रख कर सन्तुष्ट हो जावें तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इसको हटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम श्री बहादुरसिंह जी ने रखी है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसका कारण यह है कि बलवन्तसिंह मेहता रिपोर्ट के बाद यह कानून जब बना उस वक्त इस तरह की कोई स्कीम नहीं थी, ५००० के जो कस्बे हैं वे रूरल एरिया में आते हैं और वहां पर एक कमेटी और बना दें तो इस एक्ट के मातहत तो गांवों के लोग महरूम रह जाते हैं....

श्री श्रीभानसिंह : कौनसी तरमीम का समर्थन कर रहे हैं यह मामूम तो हो जाय, यह इसमें कहीं है नहीं।

श्री अध्यक्ष: सब क्लॉज़ (५) पर बहस हो रही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र ने यहां पर रखा है और उस संशोधन को रखते समय उन्होंने जो उदयपुर कॉर्पोरेशन की स्थिति को लेकर जो भाव व्यक्त किये हैं उसमें मुझे दुःख हुआ। मैं समझता हूँ उनके विचार से उन्होंने जो संशोधन रखा है वह इसलिये है कि उदयपुर और दूसरे समान शहरों में जो कौंसिल बनाने का प्रावधान है उसका विरोध करना चाहते हैं। लेकिन जो उसूल म्युनिसिपैलिटीज़ का है जो नागरीकरण का ध्येय है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उनको केवल आत्मसंतोष हो जाता है

(श्री जनार्दनराय नागर)

यह कह कर कि क्योंकि उदयपुर वालों को खुश करना है इसलिये कौंसिल का प्रावधान किया गया है। कौंसिल और म्युनिसिपैलिटीज़ में भेद नहीं रखा जाय। मैं समझता हूं जब हम इस प्रकार के तुच्छ भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो मूलभूत सिद्धान्तों से इन्कार नहीं करना चाहिये। उदयपुर का कॉर्पोरेशन किसी की महरबानी से नहीं बना है बल्कि वहां की संस्कृति, नागरिकता....

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। 'नेरो' शब्द का प्रयोग वे कर सकते हैं लेकिन 'तुच्छ' शब्द काम में नहीं ला सकते। यह अनपार्लियामेंट्री है, it casts an aspersion...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उदयपुर के बारे में ही नहीं कहा और भी बड़े-बड़े शहरों के बारे में कहा।

श्री चंदनमल वैद : Let him be as unparliamentary as he likes,

श्री जनार्दनराय नागर : इन बातों से से घबराने वाला नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह सब जानते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : निश्चित तौर से उदयपुर कॉर्पोरेशन की तरफ इंगित करता है। मैं मानता हूं कि उदयपुर कॉर्पोरेशन के पीछे इतिहास है....

श्री चन्दनमल वैद : उदयपुर की हर चीज़ का इतिहास है।

श्री जनार्दनराय नागर : उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का, सबका इतिहास है, आज का इतिहास नहीं है बल्कि १४०० वर्ष का इतिहास है, मैं इन सब में नहीं जाना चाहता। उदयपुर कॉर्पोरेशन बना उस समय उसकी अपनी स्थिति थी। आज उस कोर्पोरेशन को जो अधिकार हैं वे इस बिल के जरिये जब वहां कौंसिल हो जायगी तब उनमें कमीं होगी लेकिन एक जगह एक ही तरह की बात करने का व्यापक उसूल है और जो सही उसूल है उसी के अनुसार राज्य में म्युनिसीपैलिटीज़ का विधान बनाया जारहा है। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में लोकतंत्रीय जीवन का शुरूआत हुआ है। हमारे नागरिक जीवन में लोकतंत्रीय भावना को प्रतिष्ठापित करने का भार म्युनिसिपैलिटीज़ के ऊपर पड़ता है। इसलिये जितनी सावधानी से, वैज्ञानिक दृष्टि से, नागरिक जीवन के विकास की दृष्टि से ध्यान करेंगे उतना ही स्वायत्त शासन और स्वायत्त जीवन के विकास में मदद करेंगे। इसलिये यह कहना कि उदयपुर वालों को खुश करना है या कोटा वालों को खुश करना है या बीकानेर वालों को खुश करना है इसलिए भेद रखा है, यह समझदारी की बात नहीं है।

मैं मानता हूं कि शहर या नगर और कस्बों में भेद है। यह केवल राजस्थान में ही नहीं है। हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में भी शहर हैं और उनमें भेद है। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। वहां पर कॉर्पोरेशन की व्यवस्था हो रही है। दस-बीस वर्षों में मेटरोपोलिस कायम करना पड़ेगा। शहर से आगे मेटरोपोलिस है। जब वहां पर मेटरोपोलिस होंगे तो उसके अधिकार और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली की जनता कॉर्पो-

(श्री जनार्दनराय नागर)

रेशन चाहती थी। जब इस बिल का मसविदा बन रहा था तब मैं समझ रहा था कि राजस्थान में जो बड़े–बड़े चार पांच शहर हैं। जो पुराने राज्यों की राजधानियां थीं वहां निश्चिततौर से कोर्पोरेशन रखने चाहिये। लेकिन आज की कल्पना यह है कि जहां १०–१२ लाख की जनसंख्या हो वहां कोर्पोरेशन रहना चाहिये। आज नहीं तो कल आखिर हिन्दुस्तान में दो–तीन लाख की आबादी वाले या डेढ़ लाख की आबादी वाले शहर जहां हैं वहां कोर्पोरेशन कायम करने होंगे। नागरिक जीवन जब उन्नत होगा तब लोग अपने आप इसकी मांग करेंगे। यदि जनता अपने आप चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सारा काम करेगी तो आप म्युनिसिपैलिटी और कौंसिल का एक पुराना चित्र सामने रहेगा।

सच बात तो यह है कि हम जनता को अधिकार देना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि सब के ऊपर का कॉर्पोरेशन न देकर मध्यम श्रेणी की कौंसिल इन शहरों में स्थापित कर दे यदि शहर विकसित होजाते हैं और उनमें सांस्कृतिक और क्षेत्रों में चेतना आ जाती है तो आगे के अधिकार भी दिये जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अब तक म्युनिसिपैलिटीज़ चलाने की ज़िम्मेदारी किस प्रकार निभाई है उसको देखें तो मैं कह सकता हूं कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा और एक आध और शहर हो सकते हैं जहां पर कॉर्पोरेशन स्थापित करने पड़ेंगे। आज उदयपुर में कोर्पोरेशन है और १५-१६ वर्ष से चल रहा है। उसका काम देखें तो बहुत अच्छा है। उदयपुर कोर्पोरेशन को १५ साल तक चलाने और उसको इस स्तर तक ऊंचा उठाने के बाद भी कौंसिल में परिवर्तित करने की बात मानते हैं। तो कहा जाता है कि उदयपुर वालों को खुश करने की बात कही जाती है। हमने कभी नहीं कहा कि कौंसिल में परिवर्तित किया जाय। कौंसिल में लाना हमको पीछे ले जाना है फिर भी यह कहा जाता है कि हमको खुश करने के लिये यह प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने कौंसिल का प्रावधान सभी बड़े-बड़े शहरों के लिये किया है। जहां पर दो लाख से चार लाख की आबादी है उनको केवल म्युनिसिपल कौंसिल ही देना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जयपुर शहर को भी कॉर्पोरेशन देना चाहिये। यदि आप उसको कोर्पोरेशन नहीं देते हैं तो उसको कौंसिल देकर कौंसिल को अधिकार देने चाहिये।

आज जो शहर हमारे यहां पर हैं वे हमारे और आपके बनाये हुए नहीं है। भारत में नागरिक जीवन की परम्परा बराबर शुरू से रही है। भारत में प्राचीनकाल में भी बड़े-बड़े शहर रहे हैं जैसे उज्जयनी, पाटलीपुत्र, तक्षशिला, नालन्दा आदि जिनकी संस्कृति, शिक्षा, समृद्धि, वाणिज्य आदि की ख्याति सारे विश्व में रही है। हमारी संस्कृति के साथ साथ भारत के शहरों की ख्याति भी अंतर्राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित है। ऐसे नगर जिनकी संस्कृति....

श्री श्री मानसिंह : I think, Sir, the Hon'ble Member going off the range.

श्रीजनार्दनराय नागर : मुझे जरा बोलने दें। डिस्टर्ब करना चाहाते हैं वह ठीक नहीं है। जो बात कह रहा हूं उसे सुनने की कृपा करें।

श्री जगदीशप्रसाद : भारत की संस्कृति गावों से बोल रही है।

श्री श्रीभानसिंह : साहित्य एकेडेमी से।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं कह रहा हूं कि कस्बे और शहर हमारे यहा शुरू से रहे हैं और रहेंगे। यह एक सत्य है जो आपके बीच में बोलने से उड़ नहीं जायगा इस सत्य को उड़ाने की कोशिश होती है तो यह फूक से नहीं उड़ने वाला है। गांव, शहर और कस्बे हमारे यहां हैं और बड़े-बड़े नगर भी हैं। जहां हमारे यहां गांव, शहर और नगर हैं वहां प्रमुख से प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र भी हैं। तो इसका कोई मतलब भी होता है। मैं समझता हूं यहां पर जो कस्बे हैं उनमें म्युनिसिपैलिटीज़ रखी गई हैं तीसरे दर्जे की तो शहरों में निश्चित रूप से कौंसिल्स रखनी चाहिये। यदि आप जयपुर को कस्बों से साथ रखना चाहते हैं कि शहर और कस्बों में भेद नहीं रखना चाहिये तो क्या आप ईमानदारी से व्यवहार कर रहे हैं। जयपुर को आप शहर कहेंगे और यदि नहीं कहेंगे तो शायद आप जयपुर में रहते नहीं हैं या आपने जयपुर देखा नहीं है। जो शहर है उनको शहर कहना पड़ेगा और कस्बे हैं उनको कस्बा कहना पड़ेगा। १० हजार की आबादी वालों को कस्बा कहते हैं और १ लाख से ऊपर की आबादी वालों को भी आप कस्बा कहना चाहते हैं, १० हजार का भी कस्बा और एक लाख से ऊपर का भी कस्बा यह कैसे हो सकता है। हमारे मित्र अजीबो–गरीब ही दलील देते हैं, उसका आधार यह है कि उदयपुर में कोर्पोरेशन क्यों बनाते हैं। मैं समझता हूं कि पिहले वैद्यराज को अपनी दवा करनी चाहिए और फिर दूसरों की दवा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की वोछली और ओछी बातें हम सदन में न करें। क्या उदयपुर राजस्थान का अंग नहीं है? अगर उदयपुर शहर में कौंसिल बनाने की बात है तो उसमें क्या एतराज़ हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है, इस बात को सोचें। क्या हम कह रहे हैं कि जयपुर शहर में कौंसिल न बनाई जाय, बीकानेर को कौंसिल न दी जाय? तो फिर इस प्रकार की बातें बनाकर हमारे दिल को ठेस लगाना या ठेस लगाने की कोशिश करना कहां तक उपयुक्त है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें हर वक्त इस सदन के अन्दर की जाती हैं जो कि राजस्थान की एकता का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। इस प्रकार की बातें करके राजस्थान की एकता को हम गुमराह करते हैं। इस बिल को सदन के सामने रखा गया है, भले ही आप न माने, मैं समझता हूं कि यह समझकर रखा गया है कि जयपुर कस्बा नहीं है, ग्राम नहीं है, जयपुर शहर है। हम मानते हैं कि जयपुर शहर है, अलवर शहर है, कोटा शहर है, बीकानेर शहर है। हम यह भी मानते हैं कि इनके अलावा और भी शहर हो सकते हैं और राजस्थान के अन्दर धीरे-धीरे शहरों में वृद्धि होती जायगी। राजस्थान बनने के बाद सात आठ सालों में राजस्थान के शहरों में जनसंख्या बढ़ी है और इसलिए बढ़ी है कि जनता के नये राज्य की स्थापना के बादया तायात के साधन बढ़ें, मार्ग खुले और व्यवसाय बढे। इसके साथ ही धीरे-धीरे जनता की मनोवृत्तियों का भी विकास हो रहा है, और जीवन विकसित हो रहा है, धीरे धीरे जनतंत्रीय प्रवृतियों का

Page No.46

(श्री जनार्दनराय नागर)

विकास होता जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : अब संशोधन पर बोले तो अच्छा है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूँ कि आज जो कस्बे हैं, उनकी धीरे-धीरे जन-संख्या बढ़ जायगी और वे शहर की श्रेणी में आ जायेंगे और कस्बे और शहर बराबर हो जायेंगे । सरकार की दृष्टि में गांव और शहर बराबर हैं इसलिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए । राजस्थान के विकास पर इस तरह का संशोधन जरूर असर करता है, जो इस सदन में रखा गया है ।

श्री श्रीमानसिंह : कॉर्पोरेशन फोबिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है, इसके समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं, खास करके कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में, जो कि ५० हजार की आबादी के ऊपर रखा गया है...

श्री चन्दनमल बैद : कौंसिल, कोर्पोरेशन नहीं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पढ़ा नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पढ़ लिया है । इस संशोधन के (भेद) को मिटाने की दृष्टि से सदन में रखा गया है । मैं नहीं समझता कि उदयपुर, जयपुर का दृष्टिकोण इसके अन्दर है या इस बिल के अन्दर उदयपुर के लिए इस प्रकार की चीज़ है, इसलिए ऐसी बात कही गई हो । मैं कहना चाहता हूं कि सभी स्थानों पर ऐसी संस्थाओं का एक ही नाम हो । नगरपालिका और कौंसिल का जो क्लॉज़ है, उसको हटा दिया जाय । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आ सकती जो भेद की बात कहती हो । दोनों पक्ष की ओर से भेद को मिटाने की बात कही गई । वैसे केवल नाम को रखने या न रखने का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी यह महसूस होता है और मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जाय तो ज्यादा उत्तम होगा । इस दृष्टिकोण से मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप संशोधन पर बोल रहे हैं या उदयपुर पर ?

(हंसी)

श्री सोहनलाल भटनागर : संशोधन पर बोलूंगा न कि शहर पर बोलूंगा ।

सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है और दूसरा धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उन दोनों का विरोध करता हूँ । माननीय अध्यक्ष, पुरानी विधान सभा ने जिस वक्त इस बिल को पास किया था, मेरे ख्याल से जो माननीय सदस्य उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने देखा और वे जानते हैं कि जो सिटी की डेफीनिशन उस वक्त पास की थी सारे सदन ने, वही डेफ़ीनेशन उस बिल में है और कोई नया बिल सदन के सामने नहीं

Page No.47

(श्री सोहनलाल भटनागर)

आया । मैं यह इसलिए नहीं कहता कि जैसा कि उन्होंने बयान किया है किसी खास शहर का, उदयपुर का या किसी एक दूसरे शहर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । प्रश्न जन अधिकार और कार्य-प्रणाली का उत्पन्न होता है ! आप जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों के अन्दर कई जगह बड़े-बड़े शहरों के लिए अलग व्यवस्था की है, कहीं कॉर्पोरेशन है, कहीं कौंसिल है, उसके अनुसार अपने यहां पर व्यवस्था कर दें तो मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होगा । ज्यादातर माननीय सदस्यों ने भावना को लेकर अपनी बात कही, मैं उस भावना पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर यह अवश्य है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की अलग-अलग श्रेणियां हैं और उनके कर्तव्य और कार्य-प्रणालियां अलग-अलग हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि वैसे ही नहीं रखा जा रहा है किन्तु भावना पूर्ति के लिए रखा जा रहा है । लेकिन कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बिल के प्रावधान में मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती, जिससे कार्य में फर्क नहीं आये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें फर्क है कि ५० हज़ार की आबादी के नीचे जो सिटी हैं वहां पर बोर्ड बनाने को कहा है, इस संस्था के सभापति को चेयरमैन कहेंगे और कौन्सिल के सभापति को प्रेसीडेंट कहेंगे । इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र भी कौंसिल का बोर्ड से ज्यादा होगा, उसके ज्यादा सदस्य होंगे । म्युनीसिपल बोर्ड अपने एक्ज़ीक्यूटिव फंक्शन ठीक तरह से नहीं चला सकेंगे, इसके लिए यह प्रावधान रखा है कि म्युनीसिपल बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहेंगे, वे एक सब कमेटी में वैस्ट होंगे न कि सारे बोर्ड के अन्दर । अगर उसमें बहुत ज्यादा सदस्य हों तो एग्जीक्यूटिव फन्क्शन को ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे । इसलिए प्रावधान रखा है कि शहर म्युनीसिपैलिटी में कमिश्नर होंगे और टाउन म्युनिसिपैलिटी के अन्दर एग्जीक्यूटिव आफिसर होगा । उनके अधिकारों में फ़र्क है क्योंकि शहर के अन्दर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो कमिश्नर को ज्यादा अधिकार देने पड़ेगे । इस तरह अगर और आगे बढ़ेंगे तो, मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क नजर आयेगा । इसलिए बहुत जरूरी है कि शहर में और नगर में, शब्दों में, फ़र्क है और जो नगर और शहर के अन्दर कुछ अन्तर है, तो उसे हम इस विधान सभा में इस कानून को बताते समय क्यों न माने ? मेरा निवेदन है कि जो भावना है और जिसे लेकर उदयपुर के लिए कहा गया, मैं समझता हूं उदयपुर ने काफ़ी त्याग किया है और अब भी त्याग कर रहा है । तो आप से कम से कम इतना त्याग चाहेंगे कि कोरपोरेशन की लाइफ हमको कौन्सिल के रूप में नजर आवे ।

डॉ० बाहादुरसिंह : ४० हजार की आबादी से बड़ा कस्बा होगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) अध्यक्ष महोनय, सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं....

श्री मोतीलाल चौधरी : समर्थन ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जी हां । यह बताया गया है कि जो कौन्सिल या कोरपोरेशन ५० हजार की आबादी के

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

ऊपर के शहरों में होंगे, वे म्युनिसिपल कौंसिल कहे जायेंगे और बाकी के म्युनीसिपल बोर्ड होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि कुल आबादी के लिहाज से अगर हम कौंसिल कहें और दूसरे को बोर्ड कहें तो उसे उपयुक्त नहीं कह सकते। अगर आबादी के लिहाज से माना जाय लेकिन अभी यह बताया गया कि पुराने ज़माने में बहुत शहर थे तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली को ही सही मानने में शहर कहा जा सकता है, उदयपुर को नहीं कहा जा सकता है, जहां एक लाख से भी आबादी कम है। ऐसी हालत में कहा जाय कि उसकी बड़े शहर में गणना होनी चाहिए। इसके लिए कोई दो बात नहीं कही जा सकती। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि शहर और दूसरे टाउन में एक विभेद रखा गया है वो क्यों रखा गया है ? जब हम एक ही एक्ट बनाने जा रहे हैं, सब का एक म्युनीसिपल एक्ट बना रहे हैं और उसमें उन धाराओं के द्वारा यह लागू करने जा रहे हैं कि ५० हजार के नीचे जितने शहर हैं, वहां की म्युनीसिपल संस्था म्युनीसिपल बोर्ड कहलायेगी और उसका सभापति चेयरमैन कहलायेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता एक को आप कहते हैं कि सेठजी और दूसरे को कहते हैं कि (बोहराजी) बोहराजी अर्थ एक है। इसमें धारायें जिस बेसिस पर रखी गई हैं कि एक को कौंसिल कहा जाय और दूसरी जगह बोर्ड कहा जाय, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है, बड़े बोर्ड होंगे उनकी आमदनी ज्यादा होगी, वहां वे ज्यादा खर्च करेंगे और सरकार जो सबसिडी देती है, वह भी आबादी के लिहाज़ से देती है, जो छोटे टाउन हैं, वहां भी आबादी के लिहाज से देती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ नाम के लिये इस प्रकार का भेद रखा जाय, यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि जो पुरानी राजधानियां थीं, उनकी आबादी २५ हजार की थी, उनको भी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने शहर का रूप दे रखा था। आज राजस्थान बनने के बाद उनका नाम टाउन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा यह भेद रख कर आप लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करते हैं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो यह संशोधन इस क्लॉज़ को डिलीट करने का है, यह उपयुक्त है और इसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमंत्री) माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर दो संशोधन आये हैं, पहला यह है कि जिस क्लाज़ के लिए आप कह रहे हैं उसे डिलीट कर दिया जाय, दूसरा यह है कि २० हजार से ऊपर जहां आबादी हो, वहां भी कौंसिल मान लिया जाय। आप और हम दोनों यह मानेंगे कि एक तरफ छोटी म्युनिसिपैलिटी हैं, जो १० हजार की आबादी के कस्बे पर हैं और दूसरी तरफ जो म्युनीसिपल कमेटी हैं जो तीन चार लाख की आबादी पर है...

श्री चन्दनमल बैद : ५० हजार के लिए कह रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई १० हजार की म्युनिसिपैलिटी है, ५००० हजार से ऊपर की आयेंगी तो यह बात तो सही है, राजाखेड़ा म्युनिसिपैलिटी और जयपुर म्युनिसिपैलिटी इन दोनों की एक समस्या नहीं हो सकती, इन दोनों के एक से

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

अधिकार नहीं हो सकते और इन दोनों में एक श्रेणी के अधिकारी नहीं हो सकते । तो इनकी समस्याएं अलग-अलग हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क है, उनमें जो ओफीसर्स रहेंगे उनमें फ़र्क है, जितना रुपया उनको हैंडल करना पड़ेगा उसमें फर्क है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिससे अलग-अलग जैसी समस्याएं जिस जिस शहर की हैं उनको अलग से निबटाया जा सके । इसको माननीय सदस्य ने नहीं देखा है कि फ़र्क कहां कहां है । पहला फ़र्क धारा ६६ में है । जहां सिटी म्युनिसिपैलिटी के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, जिसमें ७-८ व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन होंगे वह बैठेंगे, जयपुर जैसी म्युनिसिपेलिटी में जहां ५०-६० मैंबर्स हैं वे सब बैठें और उनकी सब की राय को मान कर उनकी राय से फैसला किया जाय यह मुश्किल है । इसलिए एग्जीक्यूटिव कमेटी रखी है बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए और दूसरी जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें दस, दस बारह, बारह, पन्द्रह, पन्द्रह मैम्बर्स होते हैं, उनके लिए यह नहीं रखा गया है, यह फर्क रखा गया है ।

दूसरा फर्क रखा गया है क्लॉज़ ७३ में जिसमें किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को या कौंसिल को कितना अधिकार होगा रुपयों पैसों के मामलों में, ठेकों के मामले में, लीज़ के मामलों में और सेल आदि के मामलों में, इसमें यह रखा गया है कि सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको थोड़े अधिकार दिये गये हैं, जो बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको ज्यादा अधिकार दिये हैं । यदि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी को दो ढाई हजार रुपयों के लिए सरकार की सेंक्शन मांगनी पड़े तो मुश्किल हो जायगी, छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटियों को जिनकी आबादी ६ हजार सात हजार है उनके लिए दो ढाई हजार रुपया उनके बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, वे अगर ज़मीन भी बेचे तो बहुत ज्यादा ज़मीन बिक सकती है, इसलिए उनके लिए इतनी रकम के लिए सरकार की सेंक्शन लेने का रखा गया है ।

तीसरा फ़र्क रखा गया है क्लॉज़ ६३ में, इसमें छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं । उनके जो फंक्शन्स हैं उनको उनकी इच्छा पर रखा है, राजस्थान सरकार उसमें दखल नहीं करेगी पर शहर की समस्याएं, रोशनी, बिजली, पानी, सड़क आदि हैं उनके लिए उनकी ड्यूटीज़ ज्यादा रखी हैं और कम्पलसरी रखी है, और एक फ़र्क क्लॉजेज़ २३६ और २३७ में रखा गया, जिसमें बरियल ग्राउन्ड्स और बर्निंग ग्राउन्ड्स वगैरह का है ।

और एक फ़र्क रखा गया है क्लॉज़ ३०३ में जिसमें हर बोर्ड के लिए एग्जीक्यूटिव ओफीसर के पास और हर कौंसिल के लिए कमिश्नर के पास अपील का प्रोविजन रखा है ।

आप श्रीमान् मानते हैं कि जयपुर का और एक राजलदेसर कस्बा है उसकी तरह के छोटे-छोटे कस्बे हैं उनमें एक ही से एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही सी व्यवस्था से काम नहीं कर सकते । कोई भी माननीय सदस्य यह बता देते कि हम किसी बोर्ड को ज्यादा एड दे देंगे, किसी कौंसिल को ज्यादा सबसिडी दे देंगे तो मैं मानता कि हां फर्क रखा गया है, पर यह कहीं नहीं रखा गया है, फिर कैसे कह सकते हैं कि फर्क रखा गया है ? हमने यह नहीं रखा है कि इसको एड देंगे

Page No.50

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसको नहीं देंगे, हमने सुविधा की दृष्टि से कि एक म्युनिसिपैलिटी अच्छी तरह से चल सके, सुचारू रूप से काम कर सके, इस दृष्टि से यह अधिकारों का एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क रखा है। इसलिए मैं, जो संशोधन रखे गये हैं उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संशोधन रखे गये हैं उन्हें वे वापिस ले लें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, जो उत्तर दिया गया है उसके बारे में मुझे दो-तीन बातें निवेदन करनी हैं। एक शहर की आबादी ५० हजार के स्थान पर अगर ४९ हजार हैं तो क्या एक हजार की आबादी घटने से उसकी हैसियत घट गई? आप कारपोरेशन बनाइये, उनको और अधिकार दीजिये, ऐसे ८ शहर हैं, उदयपुर की बात कही गई, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, उदयपुर राजधानी थी फोरमर राजस्थान की तब वहां कार्पोरेशन बनाया गया, उदयपुर से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और दो एक और भी बड़ी सिटी हैं, उदयपुर में तो ६० हजार की ही आबादी है।

श्री जनार्दनराय नागर : उस समय राजस्थान में उदयपुर ही सब से बड़ा सिटी था।

डॉ० बहादुरसिंह : उस समय सब से बड़ा था पर, अब तो उससे बड़े-बड़े बहुत से शहर राजस्थान में हैं, तो इस समय यह विभेद की नीति ठीक नहीं है। उन बड़े शहरों को संरक्षण देना चाहते हैं, उन्हें अधिकार देना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं तो क्यों नहीं कार्पोरेशन बना देते, इनको म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ रगड़ने से क्या मतलब? मैंने तो केवल २० हजार की बात की थी। राजाखेड़ा की बात करते हैं, वहां साढ़े तीन हजार की आबादी है, जहां १२ हजार कह कर आपने ये अधिकार दिये हैं।

जो छोटे-छोटे राज्य थे, जो स्टेट्स थीं और उनकी जो राजधानियां थीं वहां की आबादी आज दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसलिए कि उनके अधिकार आप बराबर छीनते जा रहे हैं, उनको संरक्षण दीजिये और जो मौजूदा नीति है उसमें परिवर्तन कीजिये, उन राज्यों की राजधानियां आज बर्बाद होती जा रही हैं, यह आप पर ही छोड़कर मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से इजाज़त चाहूँगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय उपमंत्री महोदय जब बोल रहे थे, लिस्ट में से पढ़-पढ़ कर बता रहे थे कि कौंसिलों में और बोर्ड्स में बहुत से फ़र्क रखे हैं, उसे सुन सुन कर हंसी आ रही थी। वे कह रहे थे कि एक तरफ चेयरमैन होंगे व एक तरफ प्रेसिडेन्ट होंगे....

श्री पुनमचन्द विश्नोई : यह मैंने नहीं कहा....

श्री चन्दनमल वैद : उन्होंने कहा, क्योंकि सिटी की आबादी ज्यादा होगी इसलिए एग्ज़ीक्यूटिव कमेटीज़ रखी गई हैं। मैं उनकी सूचना के लिये अर्ज कर दूँ कि हर म्युनिसिपैलिटी में एग्ज़ीक्यूटिव कमेटीज़ रखी जाती हैं, बिजली के लिए अलग, नल के लिए अलग, जमीन के लिये अलग, मकानों के लिये अलग, सफ़ाई के लिये अलग-अगल

(श्री चन्दनमल वैद)

कमेटीज़ होती हैं, यह कमेटीज़ बनाने का सब म्युनिसिपल कमेटीज़ को अधिकार है। उन्होंने इस बिल में किसी को अधिकार दे दिया तो उन्होंने यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अगर हम इन दोनों के सारे फंक्शन्स को देखें तो बोर्ड में और कौंसिल में कोई फ़र्क नहीं, बोर्ड और कौंसिल का नाम फेर दें तो इसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कोई फर्क नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो उदयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू और सरदारशहर की समस्याओं में कोई फरक नहीं है, केवल नाम बदल देने से या मेम्बर ज्यादा होने से, रुपया ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं आता। केवल किसी की भावना को संतुष्ट करने के लिये जैसा कि मावली से आये हुए माननीय सदस्य कह रहे थे, उनको सुनने के बाद, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि उनकी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिये ही वहां कॉरपोरेशन रखी है उदयपुर में। फोरमेर राजस्थान में उदयपुर सबसे बड़ा शहर था, वहां आप कॉरपोरेशन क्या, मैट्रोपोलिस क्या इससे भी बड़ी चीज़ होती वह करते तो कोई बात नहीं थी पर आज के जमाने में ८० हजार की आबादी वाले शहर में कॉर्पोरेशन या मैट्रोपोलिस बने और उससे बहुत बड़े-बड़े शहर हैं वहां कॉर्पोरेशन नहीं बने तो दुनियां सुनेगी तो इस विभेद की नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी उचित नहीं कहेगी।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of infarmetion Sir, मैं मेरे माननीय दोस्त की सूचना के लिये निवेदन कर दूँ कि उदयपुर की आबादी १ लाख के ऊपर है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य के दिमाग में हो सकती है, I do not want to be disturbed and Hon'ble Member will not disturb me now.

हो सकता है उनको जान में दस, बीस लाख की आबादी हो। हमें बहुत बार सुनाया गया कि उदयपुर का बहुत शानदार इतिहास है, यह हमने बहुत बार सुना है और हम एक बार नहीं सौ बार हजार बार स्वीकार करने को तैयार हैं कि, शानदार है पर उस शानदार इतिहास को सारे राजस्थान पर क्यों थोपा जा रहा है, सारे राजस्थान को उससे क्यों बर्बाद किया जा रहा है, अगर बहुत शानदार है तो महरबानी करके अलग राज्य बना लीजिये, क्यों आप सारे राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker Sir, I object to this, I vehemently object this Sir.

१० म० पू०

श्री चन्दनमल वैद : आपने कहा कि यह बहुत सुन्दर है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत सुन्दर होगा मगर इसको सारे राजस्थान पर आप न थोपें....

श्री अध्यक्ष : आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष, जब माननीय सदस्य ने ऐसी बातें कही तो मुझे मजबूर होकर ऐसा कहना पड़ा। मुझे दुःख है कि मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ी। मगर जब एक तरफ से अगर इस प्रकार की बातें कही जावें और उसका जवाब नहीं दिया जावे तो ऐसा मान लिया जावे कि उसका

Page No.52

(श्री चन्दनमल वैद)

कोई जवाब नहीं था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूँगा कि जब दोनों में फ़र्क नहीं है तो ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि नाम पर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध करेंगे । आगे सब कनॉज में हमें विरोध करने का अधिकार है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस विरोध को आगे के लिये रिजर्व रखता हूं और इस संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहूं तो अच्छा होगा । आगे ऐसा नहीं करूंगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (बोलने के लिए खड़े हुए) मैं स्पष्टीकरण कर दूं ।

श्री चन्दनमल वैद : अगर आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलने का हक होगा ।

श्री अध्यक्ष : ये तो स्पष्टीकरण करना चाहते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो बिल आया है वह ऐसा है जो पहले सदन में पास किया गया ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : On a point of order, Sir. Always the Minister appeals to the good sense of this House that it has been passed by the previous legislature and that we should take it granted. I say this previous House does not represent Ajmer people. We Ajmer people never had any say in this Act. I take exception to this sort of appeal.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहना कि गवर्नमेंट ने रियायत करके ऐसा किया है, यह उचित नहीं है । मैं नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं उसको आप माने या न माने मगर यह कहना कि उदयपुर के लिये ऐसा कर किया है...

श्री श्रीभानसिंह : This House is not bound by the decision of the previous legislature.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि आप भी उसमें माननीय सदस्य थे और मैं भी उसमें था, इसलिए यह नहीं कि गवर्नमेंट ने ऐसा रख दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चन्दनमल व डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

(विराम)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री हीरा : माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रस्ताव रखा, मगर उसका कोई असर नहीं...

श्री अध्यक्ष : आप किस बात पर बोल रहे हैं ? अभी तो म्युनिसिपिल बिल चल रहा है ।

श्री हीरा : आपका इससे क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही म्युनिसिपल बिल पर चल रही है। आपको अगर किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझ से चैम्बर में मिल लें, आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। आप सदन में हर बात को लेकर खड़े हो जाते हैं, यह तो उचित नहीं है।

श्री हीरा : खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ..

श्री अध्यक्ष : आप शांति रखिये। मैं आपके जो डाउट्स हैं, दूर कर दूँगा, मगर इस वक्त नहीं।

श्री हीरा : मैंने लिखा था उसके अनुसार तो कोई....

श्री अध्यक्ष : आप फिर वही बात कर रहे हैं। सदन का समय इस वक्त म्युनिसिपल बिल में लग रहा है। आप बैठ जावें और सदन की कार्यवाही होने दें।

श्री हीरा : इस विषय में आपको कुछ तो कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी आपको कोई समय नहीं मिलेगा, आप शांति रखिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब क्लॉजेज़, क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ (४) और (५) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉजेज़ (४) और (५) स्वीकार किये गये।

(विराम)

सब क्लॉज ६

(विराम)

एक नया सब क्लॉज़ ५ ए. में माननीय मन्त्री महोदय रखना चाहते हैं।

श्री हीरा : माननीय अध्यक्ष, आप मुझको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दें, उसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : (५ ए),

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह लिस्ट तीन में एमेंडमेंट है। "Affer sub-clause (5) insert the following new sub-clouse (5 A):-

"(5 A) 'clear days' used with reference to the period of a notice under any provision of this Act, includes Sundays and other holidays but does not include the date of receipt of such notice by the person to whom it is addressed or the date specified in the notice." अध्यक्ष महोदय, यह 'डिलेड' शब्द कई जगह आया है और इसकी डेफिनेशन क्लीयर नहीं है इसलिये इसको क्लीयर करने के लिये यह सब क्लॉज़ ए. रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (५ ए.) को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज़ (५-ए)

स्वीकार किया गया।

सब-क्लॉज़ (६) पर कोई एमेंडमेंट नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि उपखण्ड ६ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

उपखण्ड ६ स्वीकार किया गाय ।

उपखण्ड ७, श्री चन्दनमल ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने यह संशोधन रखा है कि sub-clause (7) को डीलीट कर दिया जावे । माननीय अध्यक्ष, अभी जब पहले सब क्लॉज ५ पर बहस चल रही थी उस समय मैंने अर्ज किया कि दोनों सीटीज़ और टाउन के फंक्शन में कोई फर्क नहीं रखा गया है और इस पर मोटा रूप सरकार दे रही है । इसमें लिखा है जहां जहां बोर्ड से मतलब है वहां चेयरमैन बोर्ड और जहां म्युनिसिपल कौंसिल हैं वहां पर प्रेसिडेन्ट और वाइस प्रेसिडेन्ट माना जावे । इसका मतलब यह है कि जब बिल बनाया गया तब इसकी कतई मंशा यह नहीं थी कि म्युनिसिपल बोर्ड और कौंसिल में कोई फर्क रखा जावे । लेकिन बाद में इसमें कोशिश करके बदल दिया है । लेकिन जहां—जहां म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायतें थीं उसके लिये यह लिख दिया गया कि वहा--वहां इन शब्दों को मान लिया जावे । तो इससे साफ़ साबित होता है कि इन दोनों के कार्यों और अधिकारों में कोई फर्क नहीं है । केवल नाम का फर्क है और मैं समझता हूँ कि नाम का फर्क वाजिब नहीं होगा । अगर सिटी म्युनिसिपैलटी रही है तो उसके लिये अलग से कोई कार्य-विधि होनी चाहिये । उनके अधिकारों में फ़र्क होना चाहिये । कम से कम उनमें आबादी का डिफरेन्ट तो होना ही चाहिये । दो ढाई लाख की आबादी का फ़र्क होगा । अगर एक लाख से ऊपर की आबादी वालों को वे शहर बनाना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता मगर, मैं यह कहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है कि ५० हजार के कस्बों को सीटी मान लिया जावे । यह एक राजस्थान में ही होगा अगर ऐसा होगा तो यह वाजिब नहीं है । वाजिब तो यह होगा कि एक लाख से ऊपर की आबादी वालों को शहर माना जावे । लेकिन हमारी जो सरकार है वह कुछ लोगों को खुश करने के लिये, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कुछ लोगों को खुश करने के लिए ५० हजार की आबादी वाले को शहर मान रही है । इसलिए कि शहर हो गया, शहर कहने से ही उनके सीने चौड़े हो जांय, दुनियां में जो आपकी हंसी होने वाली है वह तो होगी । इसलिए मैं माननीय उपमंत्रीजी से फिर प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार करलें और हमारी जो हंसी उड़ाई जाने वाली है उसको रोकें ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इसका समर्थन करने से पहले मुझे इस सदन में उन बातों के ऊपर भी ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा जिनके कारण पिछली विधान सभा ने सिटी और कौंसिल की डेफीनेशन अलग अलग से स्वीकार की थी । अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की ओर से ओरिजिनल बिल पिछली बार इस सदन में

(श्री भैरोंसिंह)

प्रस्तुत किया गया था उसमें न तो अलग से कोई सिटी की डेफिनिशन थी और न अलग से इस प्रकार की व्यवस्था थी सिटी में म्युनिसिपैलिटी होगी तो उसको कौंसिल कहा जायगा। लेकिन सदन के कई माननीय सदस्य जो शहरों की बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटियों के सदस्य हैं, जिनका सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व आया था, सबने बैठकर एक वाया मिडिया निकाला था कि पचास हज़ार से ऊपर जनसंख्या वाली सिटी म्युनिसिपैलिटी को कौंसिल घोषित किया जाय। मैंने इस बिल को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ लिया कि कहीं कोई अन्तर नहीं कि सिटी और टाउन म्युनिसिपैलिटी में किस प्रकार का अन्तर होगा। लेकिन उस समय चूंकि इस प्रकार की भावना थी, जिस भावना को एप्रिशियेट करने की गरज से सदन ने इस प्रकार का कदम उठाया तब से लेकर आज तक नगरपालिका विधेयक के ऊपर कई चर्चायें सुनने को मिली हैं और भिन्न भिन्न डवेलपमेंटस हुए हैं। एक कॉरपोरेशन को, एक बड़ी म्युनिसिपैलिटी को, बड़ी नगरपालिका को दूसरा नाम देने के बारे में और अन्य नगरपालिकाओं के वैसे ही नाम रखने के बारे में जो दृष्टिकोण है, उसके मूलभूत आधार पर सोचना पड़ेगा। यू.पी. में टाउन एरीया कमेटीज़, टाउन कमेटीज़ और ऊंची म्युनिसिपैलिटियों के नामों में कुछ अन्तर रखा है लेकिन अभी अभी राज्य विधान सभा के सदन के कई माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका के संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद करते हुए इस बात की मांग की थी कि यू.पी. में जितने म्युनिसिपल क्षेत्र हैं, क्षेत्र और आबादी के हिसाब से उनको अलग अलग संशोधित क्यों किया उन सब में एकता लाने का प्रयत्न किया जाय और यू.पी. सरकार ने मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन देते हुए कहा कि अलग अलग म्युनिसिपैलिटियों के नाम रखने से जो अनुभव आया है। उसको देखते हुए सरकार यह निर्णय लेने वाली है कि उनका सब का एक नाम रखा जाय। जहां अधिकारों का प्रश्न है, सरकारी सहयोग का प्रश्न है, जहां सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सीडी का प्रश्न है, आबादी के लिहाज़ से अन्तर आ जाय यह तो मालूम हो सकता है लेकिन भिन्न २ नाम देने में कोई तर्क हो यह नहीं दिखाई देता। सिटी कौंसिल कहने से ही कोई आदमी बड़ा बनता है ऐसा समझा जाय तथा कोई सिटी कौंसिल का कौंसिलर है यह कहाया जाय उससे ही उसकी आत्मा को संतोष होता हो वह बात तो दूसरी है। सारी म्युनिसिपैलिटियों के नगरपालिकाओं के, चाहे वे बड़ी हो या छोटी उन सबके सदस्य एक समान सदस्य हैं। नाम में भिन्नता है कि एक म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर है, दूसरा सिटी म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर और सिटी कौंसिल का कौंसिलर। यदि नामों में अन्तर रखने के लिए कानून में व्यवस्था करनी पड़े तो ऐसा होना चाहिए था कि जिससे गलतफहमी न फैले। इसके पीछे यदि कोई अधिकार देने का प्रश्न होता, सुविधान देने का प्रश्न होता, प्रशासनिक दृष्टि से सुधार होने का प्रश्न होता तो इनमें इसको कौंसिल, इसको सिटी कौंसिल या इसको म्युनिसिपल बोर्ड इन चीजों में व्यवस्था के रूप से अन्तर होना चाहिए था। लेकिन अधिकारों में कोई अन्तर नहीं, सहयोग में कोई अन्तर नहीं, प्रशासन में कोई अन्तर नहीं, केवल नाम का अन्तर है।

अब यह प्रश्न आता है कि विधान सभा

(श्री भैरोंसिंह)

नाम का अन्तर रखें, कुछ लोगों को खुश करना चाहिए या इससे जो गलत फहमी पैदा होती है उससे दूसरा निर्णय लें । जहां तक गलतफ़हमी का प्रश्न आता है, राजस्थान के पांच चार शहर ऐसे हैं जहां के व्यक्ति क्लैम कर सकते हैं । म्युनिसिपल सदस्य, म्युनिसिपल मैम्बर हैं वे कौंसिलर कहलाना अच्छा समझेंगे । वे शहर हो सकते हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, जोधपुर । लेकिन प्रश्न चार पांच का नहीं है, किन्तु सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं का प्रश्न है । पांच स्थानों के सदस्यों को यदि म्युनिसिपल कौंसिलर कहलाने में संतोष होता है तो उससे दूसरों में गलतफ़हमी फैलेगी, दूसरी जगहों के मैम्बर्स इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करेंगे । यदि जयपुर में चुने हुए सदस्य कौंसिलर हैं तो सांभर में चुने हुए सदस्य कौंसिलर होंगे नहीं और वे सदस्य रहेंगे । अधिकार दोनों के एक हैं, सुविधायें दोनों की एक प्रकार की हैं, व्यवस्था एक प्रकार की है, अधिकार सुविधा और व्यवस्था की है, केवल अपीजमेंट की दृष्टि से नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह अनुपयुक्त होगा । अब प्रश्न यह आता है कि कहीं गलतफ़हमी ज्यादा बढ़ती है या अपीज़मेंट ज्यादा बढ़ता है । मैं समझता हूं पांच शहरों के व्यक्तियों का जो उन व्यक्तियों को मैम्बर बनाना चाहते हैं उनका नेग्लीजेबल परव्यू होता है, जो समूचे राजस्थान की नगरपालिकाओं का दृष्टिकोण होना चाहिए वह अन्य में हो सकता है और जब भिन्नता रहती है, जहां तक जानकारी का सवाल है निश्चित रूप से उनके दिमाग में एक गलतफ़हमी फैलेगी । इस भिन्नता से वे लोग ऐसा समझेंगे कि हम सारी नगरपालिकाओं के सदस्य हैं और वे कौंसिलर हैं । आबादी के लिहाज से जयपुर नगरपालिका बड़ी हो सकती है लेकिन अधिकारों के

१०. १५. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य पदासीन, उपाध्यक्ष,)

लिहाज़ से नहीं । इससे एक दूसरे को समझने में संकीर्णता आवेगी । इस प्रकार की गलतफ़हमी को दूर करना ज्यादा अच्छा है और चार पांच शहरों के नगरपालिकाओं के सदस्य, १०--१२ सदस्य हो सकते हैं । वे नगरपालिका का सदस्य कहलाने में अपनी तौहीन समझते हों और म्युनिसिपल कौंसिलर कहलाने में बड़प्पन समझते हों, इस तरह से उनको खुश करने के लिए कानून में अन्तर लाना कोई उपयुक्त चीज़ नहीं होगी । हो सकता है कि इस प्रकार का अन्तर न लाने से १०–१२ सदस्य नाराज हो जांय । जब कानून बनता है तो कई बातों में विरोधी दल कभी साथ देता है और कभी नाराज होता है । लेकिन बहुमत के आधार पर सरकार जिसको न्याय समझ बैठती है सदन में वह पास होता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब पहले इस विधेयक पर वाद विवाद हुआ तब भी स्वयम् मन्त्री महोदय के मन में ऐसा विचार था कि छोटी बड़ी म्युनिसिपैलिटियों को भिन्न २ नाम देना चाहिए, कौंसिल का रूप देना चाहिए, इसका विरोध प्रकट किया गया था वे स्वयम् भी नहीं चाहते थे कि नाम में कुछ मतभेद हो । सदन में ऐसा पहले हो चुका है, उस समय कुछ नहीं हुआ । कुछ लोगों ने सदन में संकुचितता के वातावरण में संशोधन किया है,

(श्री भैरोंसिंह)

मस्तिष्क का विकास किया है और नवीन जानकारी भी प्राप्त की है, इस दृष्टि से इस पर विचार करेंगे और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी भी कौंसिल सिटी और टाउन म्युनिसिपैलिटी के विषय में जो मतभेद होने वाला है, गलतफ़हमी पैदा होने वाली है उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा जो नज़र आता है वह यह है कि आजकल शहरों में एक वातावरण बना है उसी प्रकार गांवों में भी एक वातावरण बना है, जहां गांव और शहर के वातावरण में एक समन्वय की आवश्यकता थी, दोनों दूर की दृष्टि से देखने लगे हैं। शहरों के प्रति गांव वाले ऐसा महसूस करने लगे हैं कि बड़े बड़े शहर गांवों का शोषण करते हैं और शहर वाले ऐसा सोचने लगे हैं कि गांव वालों को उपलब्ध न होकर शहर वालों को मिलेगा। जहां गांव और शहर का अन्तर है, वातावरण का अन्तर है, जयपुर और सांभर का भी प्रश्न आता है। जयपुर के मुकाबले में सांभर बड़ा नहीं है। वहां से जो चीज़ उपलब्ध होती है, शहर वालों के प्रति उनके दिल में यह भावना हो सकती है कि वह उसका उपयोग शहर वालों के लिए क्यों हो ? इसलिए उस खतरे को सामने रख कर शहर और गांवों को, गांव और शहर को छोटे गांव और बड़े गांवों को उससे दूर रखें और जो भावना बन रही है, वातावरण बन रहा है उसको समाप्त करें। मैं समझता हूँ कि सदन इस सारी स्थिति को सामने रख कर निर्णय लेगा कि गांव और शहरों के जो व्यक्ति हैं उनमें दुर्भावना न रहे, जब नगर पालिका के नामों में ही अन्तर रखते हैं तो दुर्भावना फैलने का अन्देशा हो सकता है। एक वातावरण विषाक्त न बने, जो काम उत्थान का हाथ में लेना चाहते हैं उसमें रुकावट न हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। मैं अन्त में स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सिटी की डेफिनेशन स्वीकार कर ली, उसमें परिवर्तन लाना चाहे ले आये लेकिन कौंसिलर का नाम रखे जाने के लिए और कुछ माननीय सदस्यों को खुश करने के लिए इस बात के लिए कि किसी बड़ी म्युनिसिपल कौंसिल के वे कौंसिलर हैं, इसको इसमें सुशोभित न कीजिये। राजस्थान में एक परिपाटी है, एक कहावत है वह मैं निवेदन करूंगा :

'रुपया चार दे दो नाम दरोगा धर दो।' राजस्थान में एक परिपाटी चली आयी है कि रुपया चार दे दो नाम दरोगा धर दो चाहे उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन के सदस्य बन जाय लेकिन उस हालत में उनका नाम कौंसिलर धर दो, लोग कौंसिलर कहें। कौंसिलर के सामने सदस्य बनने की इच्छा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के यदि कोई सदस्य बनते हैं तो नाम के पीछे नहीं किन्तु काम करने की भावना और लगन के पीछे। जनता की सेवा करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। नगरपालिका का प्रतिनिधि चाहे किसी नाम से पुकारा जाय, लेकिन दृष्टिकोण हो सेवा करने का और जिनका सेवा करने का दृष्टिकोण होता है या सदन में इस तरह का क्लेम करते हैं वे कभी भी नाम के पीछे नहीं जावेंगे। वे इससे नफ़रत करेंगे और यह पसन्द करेंगे कि हमारा नाम तो छोटा है पर काम मोटा है।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ऐसी कोशिश करता है उससे निवेदन करें कि आप काम बड़ा करिये, नाम के पीछे मत जाइये ।

यदि इस प्रकार की सद्बुद्धि दें तो कम से कम ऐसे सदस्य जो इसके पीछे जाने का प्रयत्न करना चाहेंगे, वे ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे ।

इन शब्दों के साथ सरदार शहर से आने वाले सदस्य का समर्थन करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो संशोधन माननीय सदस्य श्री चन्दनमलजी ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । अभी जब इस पर वाद–विवाद हो रहा था तो मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के आर्गूमेन्ट्स या भाषण सुने । हो सकता है कि बहुत से सदस्य लिटरेचर के अन्दर बहुत लिटरेरी हों । पर जहाँ तक म्युनिसिपल बोर्ड का सवाल है मैं यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में या किस तरह वे आर्गेनाइज़ होते हैं या किस तरह से रन होते हैं इसके बारे में वे शायद बहुत कम जानते हैं । मगर फिर भी उनकी जो भावना थी जो सेन्टीमेन्टल एप्रोच था जिसको कि बहुत से इर्राशनल एप्रोच भी कहते हैं उसको अगर देखा जावे तो मैं उसका आदर करता हूं ।

मगर उनके जो रीज़न्स हैं कि पहले शहर बड़ा था, उनका इतिहास पुराना बड़ा है, शानदार है, एक उनके पीछे हैलो है,उस हैलो की रेस्पेक्ट करना चाहिये और उसकी रेस्पेक्ट करने के लिये उसका नाम बड़ा दो । उनको कौन्सिल कहो । यह मुझे ठीक नहीं लगता । पुराने इतिहास पर हर बार हम लौटें और उसको हर बार दोहराते रहें तो केवल इससे कोई व्यक्ति, पार्टी या संस्था या प्रदेश कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता । पास्ट हिस्ट्री सबकी ग्लोरियस रही है । हरएक व्यक्ति हरएक रेस, हरएक प्राविन्स, हरएक देश और हरएक नेशन अपनी पास्ट हिस्ट्री ग्लोरियस रहने की बात कोट कर सकता है । सबकी पास्ट हिस्ट्री ग्लोरियस है । इसकी हमें आज दोहराने की जरूरत नहीं । जरूरत तो आज हमें इस बात की है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं । प्रेजेन्ट में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं । आज पास्ट हिस्ट्री से जनता के दुःख दर्द दूर नहीं होने वाले, जनता की भूख इस पास्ट हिस्ट्री से दूर नहीं होने वाली,आजतो जनता यह मांगती है कि आप उनके लिये आज क्या करने जा रहे हैं । इस चीज़ को जनता आज मांगती है । हां, पास्ट से आप सबक ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं । अगर उनको इतिहास बताया जावे कि पास्ट में किसने क्या साहस किया, क्या कार्य किया तो जनता इससे आपसे नाखुश नहीं होगी यह जरूर है । पर....

श्री उपाध्यक्ष : इतिहास के प्रश्न को इस विवाद में से डिलीट कर दिया जावे तो अच्छा है ।

श्री श्रीभानसिंह : इतिहास तो आ चुका है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जरूर नहीं आया है ।

Page No.59

श्री चन्दनमल वैद : वह तो मावली वाले सदस्य करेंगे तब आयेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : He only refered the question.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इतिहास को डिलीट किया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : 'He' का क्या मतलब है उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : डिक्शनेरी मुलाहिज़ा कर लीजिये ।

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) जो पिछला लोकल सेल्फ का इतिहास है उस पर आप भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें सभी ऐंगल से देखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि जिनको हम कौंसिल कहते हैं उसमें कितने शहर आते हैं ? सब शहरों को भी ले लिया जावे तो ८ शहरों से ज्यादा नहीं आते । उन आठ शहरों की पापूलेशन ली जावे तो २३ लाख की पापूलेशन में से २ लाख की आती है और १४५ म्युनिसिपल में से ८ म्युनिसिपल यह चाहती हैं कि हमें कौंसिल कहा जावे और ८ म्युनिसिपल कमेटियों के सदस्य जो होंगे वे चाहते हैं कि उन्हें कमिश्नर कहा जावे । कौंसिलर कहा जावे और उसके जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स हों उनको भी कमिश्नर कहा जावे । एक माननीय मन्त्री ने नोटिफिकेशन बताया । किसी धारा में मेजर डिस्टिंक्शन है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I only refered the clause because it was one of the factors.

श्री श्रीभानसिंह : और वह क्लॉज़ शायद उन्होंने २३६ या ऐसा ही दूसरा क्लॉज़ बताया । तो कितना हमारा एप्रोच है, कैसा है कि एक हमने रौंग चीज़ कर दी । उस चीज़ के सपोर्ट में आर्ग्यूमेन्ट्स नहीं । अब हमें आर्ग्यूमेन्ट्स क्रीएट करनी है । इसमें क्या होता है । आखिर हमें एक्ट को पढ़ना चाहिये । One of the reasons was Every body knows the historical beckground of Udaipur, यह कोई पॉवर में हुआ ? मूलभूत चीज़ है पॉवर्स की, कॉन्स्टीट्यूशन की, फंक्शन्स की, टैक्सेशन की । ये चीजें हैं । उन चीज़ों में डिफरेन्स बताया । ये जो पॉवर्स हैं टैक्सेशन के ये तो म्युनिसिपल बोर्ड के हैं और ये कौंसिल के हैं ।

एक आर्ग्यूमेन्ट दिया गया कि उसमें वोट्स ज्यादा होंगे । ओब्वीयस है जहां एक लाख की गिनती होगी वहां वोट कम होंगे क्यों ? पर यह डिफरेन्स माना जाए इसके लिये तो मैं नहीं समझता कि यह आर्ग्यूमेंट कहां तक रीज़नेबल हैं ।

फिर कहा गया कि कौंसिल जो है वे कमेटी सिस्टम से काम करेगी । मैं निवेदन करूं कि आज भी म्यूनिसिपल कमेटी या नोटिफाइड एरिया जो हैं ये कमेटी सिस्टम से ही तो काम करते हैं । तो यह कमेटी सिस्टम का इनका मेन आर्ग्यूमेन्ट है इसमें आप कौंसिल के लिये प्रोवाइड कर दें कानून में और म्युनिसिपल बोर्ड चुनने के बाद कमेटी बना दें तो इनमें कोई फर्क नहीं आता ।

यह कहा गया कि जैसे संविधान में पहले

(श्री श्रीभानसिंह)

ए. बी. सी. स्टेट्स रक्खी थीं तो उसी तरह से स्वायत्त शासन में ये पार्ट यहां भी होने चाहिये। पर उसमें पार्ट ए. बी. सी. स्टेट रखने में आर्ग्यूमेन्ट दूसरी थी। उनमें पोलिटिकल एडवान्समेन्ट का डिफरेन्स था। पार्ट ए. स्टेट, वे रक्खी गई थीं जहां ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स फन्क्शन करती थीं। पार्ट बी स्टेट वहां रक्खी गई थीं जहां मोनार्की फंक्शन करती थीं, जो डेमोक्रेसी तरीकों में जानती ही नहीं थी। उनमें राजस्थान पार्ट बी. में था और पार्ट सी वे इलाके थे जो कमिश्नरों के नीचे थे ब्रिटिश गवर्नमेन्ट सीधा रूल करती थी। तो यह डिफरेन्स था। जिस इन्स्टीटयूशन का हम वर्क करना चाहते हैं उसके बारे में उस समय न हमको एक्सपीरियेन्स था, न एक्सपेरीमेन्ट किया था न अन्डरट्रायल निकले थे। इस लिये यह स्टेटों का डिफरेन्स उस समय रक्खा गया था।

यहां पर यह कहा गया कि लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट हमारे लिये नई चीज़ है। मैं कहता हूं नई नहीं है। यहां लोकल इन्स्टीट्यूशन्स लार्ड रिपन के टाइम में क्रीएट हुई थीं और तब से हम उस दिशा में तरक्की करते आ रहे हैं। पीछे हम नहीं गये हैं। तब से आगे ही बढ़ते आ रहे हैं और ये इन्स्टीट्यूशन्स हमारी स्टेटों में मिनिस्टर्स थे तब भी एग्ज़िस्ट करती थीं। तो आज हम यह नहीं कह सकते कि शहरों के, छोटे शहरों के आदमी सिटिज़न शिप के राइट को समझते नहीं। वे अपने राइट को खूब समझते हैं। फिर यह भी नहीं कि कौंसिल हो जाने से किसी के सिटिज़नशिप राइट में बढ़ती हो जायगी और अगर कोई म्युनिसिपल का या नोटिफाइड एरिया का या किसी पंचायत का सदस्य है तो उसका सिटिज़नशिप राइट कम हो जायगा। हमने इस सिटिज़नशिप राइट की तो संविधान में गारन्टी कर रक्खी है। वह म्युनिसिपल बोर्ड या पंचायत या नोटिफाइड एरिया या कौंसिल पर बेस्ड नहीं है। वह एक संविधान के ऊपर बेस है। तो जब राइट्स पर हस्तक्षेप नहीं करते तो इस डिफरेन्स को एबालिश करने में क्या है? लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट की भी अन्डर स्टेंडिंग भी वही हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ की अन्डरस्टेंडिंग भी वही हैं। अन्डरस्टेंडिंग भी वही लाइन पर, बेसिस उसी लाइन पर सिर्फ एक जगह ८ वार्ड्स हो एक जगह ७ हों। इसको तो सिर्फ 'आर्ग्यूमेन्ट्स फार आर्ग्यूमेन्ट्स सेक' से यह किया जाये कि यह डिफरेन्स रखना है। एक आर्ग्यूमेन्ट दिया गया कि कल्चरल आर्ग्यूमेन्ट। यह ऐसा है कि मैं नहीं कह सकता कि कल्चरली जोधपुर एडवान्स है या उदयपुर या बीकानेर है। मगर जिस जगह का मैं हूं उस जगह के लिए कह सकता हूं कि भरतपुर कल्चरली एडवांस है और अगर सही रूप में देखा जाय तो उदयपुर बैकवर्ड है। क्योंकि भरतपुर यू० पी० के बहुत नज़दीक है। उदयपुर किसके नज़दीक है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, We are discussing the clause and not the States.

श्री श्रीभानसिंह : I referrd the culture because my frind...

श्री उपाध्यक्ष : Will not refer culture. Yes, will continue the debate.

श्री श्रीभानसिंह : अगर कल्चर के

(श्री श्रीभानसिंह)

ऊपर आर्ग्युमेन्ट किया जाय तो मैं यह कहता हूँ कि भरतपुर में जहां ४५ हज़ार की पोपुलेशन है वह राजस्थान में सबसे ज्यादा कल्चरली एडवान्स्ड है। वह पोलीटीकली कॉन्श्यस है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गलत है।

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Dy. Speker, Sir, I wanted to tell my friend that...

श्री उपाध्यक्ष : No interuptions.

श्री श्रीभानसिंह (जारी) : तो यह कहा जाये कि कल्चरली जो यूनिट है उनको कौंसिल डिक्लेयर किया जाये तो कौंसिल डिक्लेयर किस को किया जाये वहां जहां कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के के लोग रहते हैं ? तो वहां पर अब कल्चरली वहां के कल्चर के लिए कौनसी इन्स्टीट्यूशन लाई जाये, मैं नहीं समझता। हिन्दुस्तान में जो संस्कृति है उसकी संस्कृति का कल्चर है और वह भरतपुर में मिलेगा। अभी अजमेर के माननीय सदस्य ने आब्जेक्शन किया मेरी समझ में नहीं आता कि जो कमिश्नर के नीचे रहे और जहां कमिश्नरों ने हमेशा शोषण किया वह कल्चरेली अपने को एडवाइस कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो हमेशा से राजाओं के नीचे रहे वह अपने को एडवान्स्ड कहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान में प्रजापरिषद ने तो एजीटेशन किया तो क्या माननीय सदस्य ने कभी अजमेर में एजीटेशन किया। कभी किया हो हमने तो कभी इतिहास में नहीं सुना। अब वह नये इतिहास की रचना करें तो दूसरी बात है। कल्चरेली एडवान्स के आर्ग्यूमेन्ट्स कभी कौंसिल में डिफरेंसेज़ नहीं आ सकते। हमारे राजस्थान के अन्दर हमें सब यूनिट्स को एक ही दृष्टिकोण से देखना है। सब सिटीज़ बराबर हैं। हां पापुलेशन का डिफरेन्स जरूर माइनर है। १२२ या १२३ म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको तो छोट नाम दिया जाय- और ८ म्युनिसिपैलिटीज़ को कौंसिल नाम दे दिया जाये, यह [illegible] रहता। अगर आपको एक सी [illegible]स रखना है तो मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को अपनी तरफ से अमेन्डमेंट लाना चाहिए और जो बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको टैक्सेशन की पॉवर्स आप ज्यादा से ज्यादा दे दें, उनके कान्सटीट्यूशन में कुछ रद्दोबदल कर दें। जैसे पैरिश है वहां जहा टायर्स हैं वहां टैक्सेशन की पावर्स डिफरेन्ट कर दी हैं, ग्रान्ट्स इनएड का जो सिस्टम है उसको चेंज किया है। वहां उन्होंने टायर सिस्टम रखा है और अगर उन्होंने डिफरेन्स रखा है तो आर्गेनाइजेशन में डिफरेन्स रखा है और उसके अन्दर आफिसर्स अलग रखे हैं। मगर यहां पर सिर्फ, आफिसर्स को डिफरेन्ट नाम दिया जाय और रिप्रेजेन्टेटिव को डिफरेन्ट नाम दिया जाय। जब वही पॉवर्स हैं, वही फंक्शन्स हैं, वही कान्सटीट्यूशन है तो किस तरह से यह आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि यह प्रोग्रेसिव बोडी है और यह सिविक एमीनीटीज़ को अच्छी तरह से मीट आउट करेंगे। तो कोई रीज़नेबल बेसिस नही है इस डिवीज़न का और जब कोई रीज़नेबल बेसिस नहीं है तो इस डिफरेन्स

Page No.62

(श्री श्रीभानसिंह)

को एबोलिश करना चाहिए और अगर आप परसिस्ट करके हैं कि यह डिफरेन्स तो रहना चाहिए तो आप अपने बिल में चेंज करिये। अगर आप चेंज करते हैं तब तो हम समझ सकते हैं कि आप सब को एक ही लेवल पर लाना चाहते हैं। आज क्या है उनको क्या पॉवर्स देना चाहते हैं। वह इतने एडवान्स नहीं हैं जो सिविक एमीनीटीज़ सुधार सकें या अपने एरिया को कंट्रोल कर सकें। उससे जो आप अनडिवाइडेड एरिया रखते हैं यह कोई ठीक नहीं है। सिर्फ यहां पर एक नेम (नाम) से यह कहा जाय कि अच्छा नाम लगा कौंसिल का और फिर उसको लास्ट तक विदाउट रीज़न्स या एनीथिंग कहें कि यह सपोर्ट करना है तो यह रीजन्स पर नहीं आयेगा। कल्चरल ग्राउन्ड्स पर नहीं आयेगा, पापुलेशन ग्राउन्ड्स पर नहीं आयेगा फंक्शन्स पर नहीं आयेगा, पॉवर्स पर नहीं आयेगा, कान्स्टयूशन पर नहीं आयेगा और रिसोर्सेज़ पर नहीं आयेगा। फिर किस पर आयेगा ? सेन्टीमेन्ट्स पर और इमेज़ीनेशन पर आयेगा। तो सेन्टीमेन्ट्स और इमेज़ीनेशन का जहां तक सवाल है उस पर इस डिफरेन्स को रखना चाहें तो रख सकते हैं। मगर आग्यूमेन्ट्स का जहां तक सवाल है वहां पर माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह आरग्यूमेन्ट्स पर नहीं गिर सकता।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक शब्द निवेदन कर दू। मैं समझता हूं कि इस मामले पर काफी वाद-विवाद हो रहा है, दोनों ओर से मैं समझता हूं कि इसको अभी डेफर कर दिया जाय। इस पर बात कर लेंगे। इसमें किसी को भी ऑबजेक्शन नहीं होना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Sir, before this sub-clause is deferred, I propose that the member of this side may also be given an opportunity to express the views on this subject.

श्री चंदनमल वैद : किस साइड को ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Those who want to support this sub-clause.

श्री उपाध्यक्ष : Should I defer the sub clause (7).

१०.३७ म.पू.

दर्शक दीर्घा से एक अजनबी व्यक्ति द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा

(दर्शक दीर्घा में से किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा खड़े होकर यह कहा कि यहां विदेशी भाषा का क्यों प्रयोग किया जा रहा है)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of privilege, Sir, This is a breach of privilege and contempt of the House. This is very sad that matters like this are occuring of and on, and so the action must be taken by the House.

श्री उपाध्यक्ष : (Calling) Sergant-at-Arms. He will plcase take the person in his custody.

Page No.63

श्री श्रीभानसिंह : The House should take a serious view and should not treat such happenings lightly. I would request for special conizance in the matter.

श्री उपाध्यक्ष : I have understood your point. The person has been taken into the custody of Sergant-at Arms. We will proceed with his buisness. I think there is no haste, this is postponed for the present.

१०.४१ म०पू०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(पूर्व कम से)

श्री भैरोंसिंह : श्री ज्वालाप्रसादजी को आप बोलने दें ताकि उनके विचार सुनने का मौका मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उनके विचार सुनने का मौका बाद में भी मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : निर्णय लेने के पहले ही उनको मौका मिल जाय। उनकी सिफारिश हो।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Is this the wish of the House to hegr him ?

कई माननीय सदस्य : yes, yes.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे लायक दोस्त जो हैं श्री माधोपुरीजी को।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : What is this Sir madhopuri. He is from Sri Madhopur and not from Sri Madh opuriji.

श्री भैरोंसिंह : सदन के सदस्य माननीय सदस्य होते हैं, न कि दोस्त।

डॉ० बहादुरसिंह : 'श्रीमाधोपुरीजी' कोई कोन्स्टीटुएन्सी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: कोई शिकारपुरी की तरह नहीं है, इतना विश्वास दिलाता हूं।

(हंसी)

मैं मुरादाबादी, नसीराबादी की तरह नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस क्लॉज़ को डिलीट करने के लिए मूव किया गया है उस विषय में मुझे यह कहना है कि अभी इस हाउस में जो वोटिंग किया गया है उससे जितना डिसक्शन हुआ है और इस सदन में अपनी राय एक नम्बर में दे दी। जो कि अभी इसके पहले यहां पर एक्सेप्ट हुआ था क्लॉज़ उसके मुताबिक। उसके बाद भी उसी बात को यह कह कर कि वापिस लेते हैं, यह कहने के बाद भी जो इस क्लॉज़ के ऊपर इस तरह की बहस आयेगी तो मेरी राय में यह रिडन्डेन्ट है और इस पोजीशन में और

(श्री ज्वालप्रसाद शर्मा)

सवाल नहीं कहे ज सकते हैं। अभी डेफिनिशन चल रहे हैं और डेफिनिशन में डिफरेन्ट डिफरेन्सियेशन को यही सदन एक्सेप्ट करता है,दूसरी उसकी कोरोलेरी के रूप में जो फाइन आगे की है उसी के ऊपर उन्हीं विचारों को लेकर फिर डिफरेन्सियेशन किया जाता है तो आपके रूल्स इस तरह के हैं कि कोई रिडन्डेन्ट चीज कोई बार-बार कही जाने वाली चीज,इस सदन का वक्त लेने वाली चीज़ जो डेफर कर दी मिनिस्टर साहब ने इसके पहले जब 'सिटी' का डेफिनेशन हो रहा था तब भी इस तरह के विचार दूसरी तरफ से रखे गए। डेफर करा था तो पहले वाला करते। उसके एक्सेप्ट करने के बाद डेफर करने का मतलब नहीं समझता।

इसके साथ में जो आग्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनके बारे में अपने विचार रखता हूं। वह यह है कि आप किसी नाम को किसी चीज को पकड़ते नहीं है। यह कोई गलत चीज है कि केवल सिटी वाले या गांव वालों के नाम के ऊपर उनके अन्दर डिफरेन्सियेशन हो। यह जो एक प्रवृत्ति चल गई है कि हम कह दें कि शहरों के खिलाफ गांव वाले और गांव वालों के खिलाफ शहर वाले उस बात को, उस दीवाल को बनाये रखने के लिए किसी तरह से इस चीज को बार-बार कहें। मैं इन सब टेकटिक्स को जानता हूँ और कांग्रेस पार्टी इन सब टेकटिक्स को पूरी तरह जानती है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उनके सामने, सवाल यह नहीं जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बतलाया था कि म्युनिसिपल कमेटीज़ जो इस एक्ट के मातहत बनने ज़ा रही हैं उनका जरिया इस बात का आज एक आमदनी का है। मैं समझता हूं कि इस बात को दूसरी तरह से रखा जाय तो ज्यादा अच्छा हो। जैसा कि आज रखना चाहते हैं वह यह है कि ३८ लाख की आमदनी वाली कमेटी और एक सिटी की १० हजार, ५ हजार या ११ हजार या २० हजार की जो कमेटी है और जिसकी आमदनी ढाई लाख रुपये हैं, उसके फन्कशन्स के अन्दर एक फन्डामेन्टल डिफरेन्स पड़ता है। एक अलग चीज दोनों के अन्दर पैदा हो जाती है। १० हजार के शहर वालों की ताकत टैक्स देने की एक लिमिटेड है। उसकी आमदनी को करके जब स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़ को करें तो एक ताकत बिल्कुल अलग है और दूसरी तरफ जो म्युनिसिपल कमेटी बड़े शहरों की है उनकी हालत को देखते हैं कि जहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांवों से ही और कहीं से यह कोई आसमान से तो नही टपकेंगे, तो शहरों के अन्दर टट्टी तक उठाने की समस्या हो जाती है, जब कि १० २० हजार वाले गांवों के पास जंगल में जाने की जगह होती है। लेकिन ५० हजार का जो शहर है वहां की स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़ के अन्दर, म्युनिसिपल कमेटी की जिम्मेदारी के अन्दर जो कि इस एक्ट में जायज तौर से लागू होती है, उन स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए जो निर्णय उठा रखा है वह तो जरूरी है। वह जरूरी मुझे मालूम होता है इसलिए न कि कोई कौन्सिल कही जाय, इसलिए न कि नाम से उनको अलग कर दिया जाय, लेकिन यदि आज मैं यह कहूं कि मेरा नाम और बहादुरसिंहजी का नाम एक क्यों नहीं है? क्या मेरे आंख, कान और उनके आंख और कान में फर्क रखा है? बहादुरसिंह को ज्वालाप्रसाद और ज्वालाप्रसाद को बहादुरसिंह कहें तो...

Page No.65

डॉ० बहादुरसिंह : शरीर में अन्तर है।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : He does not look like 'Jwala Prasad.'

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्स-डिटी प्रूव करने के लिए यह बात कही है । एक मैम्बर अपनी शक्ल का है अपने ढंग का है और दूसरा दूसरी शक्ल का । इस बात से काम चलने वाला नहीं है । काम चलने वाला इस बात से है कि मैं मेरे दोस्त को बतलाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि वे यू. पी. के पास होते हैं और वहां यहां की कल्चर की कोई निशानी नहीं है। यह तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ । राजस्थान भर का कोई विशेष कल्चर है तो उसका सबको गर्व है । उसका गौरव भरतपुर को है। एक तरफ गौरव उदयपुर का है तो एक तरफ जोधपुर का है तो एक तरफ वह झालावाड़ का गौरव है....

श्री चन्दनमल बैद : नसीराबाद का ?

श्री ज्वालाप्रसाद : नसीराबाद और चूरू पर बाद में आऊंगा, अगर मैदान में आयें।

(हंसी)

उस कल्चर की बात कहते हैं जो राजाओं के पैरों तले कुचला गया है, वह चीफ कमिश्नर की आह की बात उठाते हैं। आज वे इतिहास की बात नहीं जानते हैं। आज वे उसको भूल जाते हैं तो उनको इतिहास नहीं मालूम है जिसने कि राजस्थान का नाम पैदा किया जो जयनारायण व्यास और माणक-लाल वर्मा आदि नेताओं की ट्रेनिंग ग्राउन्ड रहा है....

श्री चन्दनमल बैद : आपने अपना नाम नहीं लिया।

श्री ज्वालाप्रसाद : वहां तक ही नहीं, बल्कि मध्यभारत के श्री बैजनाथ महोदय आदि सब अजमेर रहे हैं। वे इतिहास की बात नहीं जानते हैं और कल्चर की बात करते हैं। हमारा आजादी की लड़ाई में क्या हिस्सा रहा है उसको ये गुलामी के अन्दर कुचले हुए लोग क्या समझ सकते हैं ? वे सिविल लाइफ और सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कहते हैं। ६५ साल से म्युनिसिपल कमेटी आज अजमेर के अन्दर है . .

श्री श्रीभानसिंह : On a point of clarification, Sir. जयनारायणजी वगैरह अजमेर वालों को सिखाने गए थे। आप नहीं सीखे तो यह उनकी गलती नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं जानता हूं वे सीखने गए थे या सिखाने गये थे कि आज अर्जुनलाल सेठी और मोई-उद्दीन को निकाल दिया जाय तो राज-स्थान का आज़ादी की लड़ाई के अन्दर नाम नहीं रहेगा। जो इतिहास की बात नहीं जानते हैं वे कल्चर की बात नहीं उठायें। इस कल्चर की बात का म्युनिसिपल बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।. . .

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य जो उदयपुर से आये हैं उन्होंने कल्चरल आर्ग्यूमेंट दिया था, मैंने नहीं। मैंने तो उसको रिफ़्यूट किया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बाहर जाकर कुछ भी गपशप करें

मैं यह बात कहता हूं कि यह जो डिफरेन्सियेशन है। आज सवाल नामिनक्लेचर का है। उसका ताल्लुक है। नामिनक्लेचर को लेकर चलेगें तो नामों का फर्क पड़ता है। नामिनक्लेचर में स्वयं में किसी चीज के फन्क्शन के लिहाज से और किसी चीज की आमदनी और जिम्मेदारी के लिहाज से, उनकी स्टेट्यूटरी के लिहाज से सबको डिफरेन्शियेट करना चाहाते हैं। तो डिफरेन्सियेशन करना पड़ेगा। वह डिफरेन्सियेशन होना चाहिए। किसी सिटी की आबादी ५० हजार है और उसकी ढाई तीन लाख की आमदनी है तो मेरे दोस्त लोग पीछे जाने की सोचते हैं, आप अपना वही पुराना राग अलापते हैं, 'वेदों का डंका बजवा दिया आलम में ऋषि दयानन्द ने'।

(हंसी)

क्या मजेदार बात है? मैं समझता हूं कि सदन इन सब बातों के साथ इस क्लॉज़ को सपोर्ट करता है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं कि आप डिटेल्स में जायेंगे, उसके लिटिगेशन्स में उसके अनुसार में जायेंगे तो आज एक म्युनिसिपल कमेटी में एक सिविल इन्जीनियर है, उसके साथ एक वाटर वर्क्स का इन्जीनियर है, उसके साथ दो चार सुप्रिन्टेन्डेन्टस हैं, तो उसका वजन म्युनिसिपल कमेटी नहीं उठा सकता है। उसकी मशीन छोटी होगी वहां एक सेक्रेटरी को काम चलाना होगा। वहां इन्जीनियर भी होगा, वाटरवर्क्स भी होगा, सिवल इन्जीनियर भी होगा और उन सबका काम करना पड़ेगा। जितना जिसके पास पैसा होगा, जितनी जिसकी आमदनी होगी, उसके मुताबिक हम उसके फन्क्शन्स को तय करेंगे।

इसलिये यह डिफरेन्शियेशन है, इसलिये नहीं है कि आदमी आदमी में डिफरेन्शियेशन है, यह इसलिये है कि इसकी आमदनी में अन्तर है और आमदनी जो रिसीव करते हैं, जैसे आज जो जयपुर की म्युनिसिपैलिटी है, जोधपुर की है इस प्रकार की ८ हैं, उन्होंने कहा ८ सिटीज़ हैं, मैं मानता हूं कि आपको कहना चाहिये और नहीं कहेंगे तो भी वही स्थिति रहेगी उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। As a mather of fact यह जरूरी है कि यह क्लॉज़ रहना चाहिये। इसको रखने के बाद ही सारी स्थिति पार पड़ती है। राजस्थान में यह नये सिरे से रखा जा रहा है। जिनको इसका अनुभव नहीं है उनको बहुत कुछ सीखना है और जब वे सीख जायेंगे तब सीखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वे यही कहेंगे कि आज जो किया गया वह ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member from Mavli would be in a better position to appreciate this point.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने कुछ मुरादाबादी बातें रखी...

श्री ज्वालाप्रसाद : (अश्रव्य) on such counter remarks I must speak.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : और इस लहजे के साथ उन्होंने समर्थन किया और वह भी मैं समझता हूं, उचक उचक कर हाउस

Page No.67

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के डिकोरम के खिलाफ, कुछ पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर के खिलाफ....

श्री ज्वालाप्रसाद : आप हाउस का डिकोरम बहुत रखना जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order. Order please

श्री पूनमचंद विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस का विषय या जो क्लॉज़ था वह तो दूर चला गया है और हाउस में गर्मी लाने के लिये बहस चल रही है। मैं चाहता हूँ कि कानून के क्लॉज़ पर बहस हो और जो मामला हमारे सामने है उस विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष : इस क्लॉज़ को तो डेकर करने जा रहे है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इसमें कुछ कामा-फुल स्टोप भी लग जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कम से कम समय लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत कम, ५-७ मिनिट ही लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल्चर पर अधिक नहीं कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बहुत थोड़ा कहूँगा।

मैं समझता हूं, यदि कोई आदमी या कोई माननीय सदस्य पार्लियामेन्ट से विधान सभा में आ जाय तो जैसी उसकी इज्जत रहती है वैसा ही कोई कौंसिलर यदि विधान सभा का सदस्य बनता है...

श्री ज्वालाप्रसाद : Sir, I again rise on a point of order. If he...

श्री उपाध्यक्ष : Order....Order..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पर्सनल रिमार्क्स नहीं हैं, मैं तो एग्जेम्पल दे रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कौंसिल के बारे में और बोर्ड के बारे में जो संशोधन सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और जिसके बारेमें सदन के अधिकांश सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये उनमें से कुछ माननीय सदस्य को छोड़कर मावली से आने वाले माननीय सदस्य के विचार सुने और अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो विचार संशोधन के विरुद्ध रखें वे सुने। विरोध में और पक्ष में दोनों ही बातें हो सकती हैं लेकिन उन्होंने ये बातें शायद इसलिये कहीं कि अजमेर ५०,००० से ऊपर आबादी वाला है और यदि पचास हजार से ऊपर आबादी वाले शहरों में कौंसिल बनेगी तो....

श्री ज्वालाप्रसाद : Sir, is it necessary to meet the arguments of the Hon'ble member on a personal motive ?

श्री उपाध्यक्ष : No interruptions please.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of

Page No.68

(श्री ज्वालाप्रसाद)

order, Sir, I was telling, to meet the arguments...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, There was no personal motive as my friend said.

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be two points of order at a time. It can be raised after the one has been disposed of.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of arder...

श्री भैरोंसिंह : वह तो आउट ऑफ ऑर्डर है।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, इनकी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your seat.

श्री ज्वालाप्रसाद : Sir, no ruling has been given on my point.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को समझ गया हूं। There was no intetion to motivate.

श्री श्रीभानसिंह : संसदीय परंपरा के मुताबिक माननीय सदस्य चेयर को एड्रेस करें तो थर्ड पर्सन में करें। माननीय सदस्य ने 'you you' करके चेयर को एड्रेस किया। मेरा यह सब्मिशन है कि चेयर को इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है या नहीं, इस पर चेयर रूलिंग दे।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a fact that the Hon'ble member addressed the chair as 'You'.

श्री ज्वालाप्रसाद : No Sir, I first told Mr. Dy Sdeeker and then referred the chair as 'You'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, I remember he used the word 'you' and did not address the chair in the third form.

श्री उपाध्यक्ष : I rule out the point. In future he will address the chair only.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार क्या हुआ कि किसी....

श्री उपाध्यक्ष : Will please confine to the discussion on the clause and not refer any other matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No Sir, not more than that. किसी गांव में एक महाजन रहता था और उसके एक पुत्री थी। एक बार वह उससे बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर उससे कहने लगा कि....

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 'पुत्री' कहा या 'कुत्री'?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विश्वास है माननीय सदस्य थोड़ा हाउस के डेकोरमा का ख्याल रखेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद : I simply wan-

(श्री ज्वालाप्रसाद)

ted to know wheather he used the word 'Putri' or 'Kutri'.

श्री उपाध्यक्ष : No interruptions please, Yes, the Hon'ble member (Shir Satish Chandea) will contninue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उस महाजन की जो पुत्री थी उसनें घर में कुछ खराब काम किया। उसका पिता जो था वह बड़े गुस्सेवाला था। गुस्से में आकर वह उससे कहने लगा तू बड़ी गधी है तेरी शादी किसी गधे से करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय वह ये वाक्स कह रहा था उसी समय हवेली के नीचे से गधों का एक झुंड जा रहा था। उनमें से एक बड़ा विद्वान, बड़ा प्रगतिशील था उसने सुनी तो वह सब कुछ छोड़ कर दर्वाजे पर बैठ गया। एक दिन बैठा रहा, दो दिन बैठा रहा, तीन दिन बैठा रहा, आखिर लोगों ने कहा कि तुम ऐसे कमजोर हो गये हो, तुम्हारी हालत खराब हो गई है, दर्वाजे से हटाने की बहुत कोशिश की गई, बिरादरी वालों के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया, उससे दरवाजा छुड़ाने के लिये कई साथी गधों ने कोशिश की लेकिन वह गधा वहां से हटा नहीं। आखिर में लोगों ने उससे पूछा कि तुम वहां से हटते क्यों नहीं हो तो उसने कहा कि मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि उसने उस सेठ के वाक्य सुने थे कि तेरी शादी किसी गधे से करूंगा, उसने समझा कि खुदा न ख्वास्ता कोई दिन ऐसा आजाय कि अपने वाक्य और वचन की पूर्ति के लिये शायद वह सेठ मुझे ही अच्छा समझे और लड़की की शादी मेरे साथ करदे। इस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की वज़ह से वहां बैठ गया और दरवाजे पर से नहीं गया। इस प्रकार कुछ कल्पना के अनुसार भाविष्य की आशा में यह सोचने लगें कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कौंसिल हो जाने की वज़ह से ज्यादा अच्छा होगा, बोर्ड में नहीं होगा। लेकिन आज के युग में जो डिस्क्रिपेन्सीज को खत्म करने जा रहे है, जहां सबकी समानता की बात करते हैं, छोटे और बड़े जागीरदारों को खत्म करने की बात करते हैं, सदन में यह कहा जाता है कि पिछले दस वर्षों में हमने जागीरदारियां और जमीदारियां को खत्म कर दिया है।

११ म० पू०

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ज़माना आयेगा, जब आने वाली सन्तान आगे आने वाली सन्तति कहेगी कि कए समय था जब मंत्री-मंडल ने जागीरदारी और जमींदारी को खत्म किया लेकिन गांवों और शहरों में एक डिस्टिंक्शन बना दिया और बड़े बड़े गांवों और शहरों के बीच में एक बड़ा अन्तर खड़ा कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कौन से स्टेन्डर्ड से आप दोनों को अलग रखते हैं। दोनों का एक सा काम है। म्युनिसिपल कमेटी का मेम्बर है और कौंसिल का मैम्बर कौंसलर है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी मैम्बर हूं और अनेक माननीय सदस्य ऐसे हो सकते है जो बोर्ड या कौंसिल के मैम्बर हो सकते हैं। जहां तक दोनों के काम का ताल्लुक है, दोनों के फंक्शन का ताल्लुक है, पॉवर्स का ताल्लुक है, मैं

Page No.70

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समझता हूं दोनों के फंक्शन, काम में अन्तर नहीं है विशेष । उपाध्यक्ष महोदय, दोनों का एक ही काम है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई कौंसिल का मैम्बर है, या बोर्ड का मैम्बर है, वह अपनी जबान हिलाता है, और लोगों की टट्टियां साफ होती हैं । मैं नहीं समझता कि अगर कोई व्यक्ति बोर्ड का मैम्बर हो जायगा तो कोई अपना कारनामा दिखायेगा, या कोई व्यक्ति कौंसिल का मैम्बर हो जायगा तो अपना कारनामा दिखायेगा क्योंकि दोनों के फंक्शन एक है । अगर वे अपनी जबान हिलाते हैं तो लोगों की टट्टियां साफ होती हैं ।

(हंसी)

उनका एक ही हक होता है, बोर्ड का मैम्बर हो, कौंसिल का मैम्बर हो, उनमें डिस्टिंक्शन नहीं है, हां उसका नाम कमेटी जरूरी है । एक तो मैम्बर होगा और दूसरा कौंसलर होगा, एक म्युनीसिपल बोर्ड होगा, दूसरी कौंसिल होगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसी बात हुई कि किसी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहे मेरा नाम शेषनाग है । कहने को तो नौनिहाल और झपली के अन्दर बिच्छु फनफनाता नाग और झपली में बिच्छू । शेर कहता है, मैं नाहर हूं, सिंह हूं, फनफनाते नाग में और सिंह के काम में कोई अन्तर मैं नहीं समझता । जहां तक नगरपालिकाओं का ताल्लुक है, म्युनीसिपल बोर्ड हो, कौंसिल हो, कारपोरेशन हो, सब जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा करने के लिए दोनों हैं । उनके स्टेटस के अन्दर, नाम के अन्दर अन्तर खड़ा करने से ज्यादा सेवा हो सकेगी, ऐसा मैं नहीं मानता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस युग में तो विशेष कर गांवों और शहरों के अन्तर को कम करने की आवश्यकता है । आये दिन हम देखते हैं कि शहरों के लोग गांवों में जाते हैं, तो ज्यादा बढ़िया और अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं और ग्रामीणों पर रौब गालिब करने की कोशिश करते हैं । गांवो के अन्दर इससे एक भावना पैदा हो गई है कि शहरों के लोग मालदार हैं, वे गांवों के माल पर गुलछर्रे उड़ाते. है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नासमझी के कारण देखने में यह आता है कि ग्रामीण भाइयों के दिल में एक प्रतिक्रिया पैदा हो गई है, जब वे शहर में आते हैं तो सड़क के बीच में चलते हैं । वे सड़क के बीचों बीच चलते हैं, मोटर वाला होर्न बजाता है, आवाज़ देता है, वे अड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यह टैक्स नहीं देता इसलिए मोटर बचा कर ले जाये, हम क्यों बचें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उनके दिल के अन्दर एक प्रतिक्रिया है कि टैक्स हम देते हैं. पैसा हम देते हैं, विनाश हमारा होता है लेकिन शहर के लोग मोटर चलाते हैं, शहर वाले गुलछर्रे उड़ाते हैं । इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की मेज की भावना, इस प्रकार की एक दीवार शहर और गांव वालों के बीच में खड़ी हो गई है और यह खाई बढ़ती जा रही है । इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि गांव और शहर के जीवन के अन्दर ज़मीन और आसमान का अन्तर दिखाई देता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस कानून के द्वारा राजस्थान के लिए एक कानून बनायें, नामों में डिस्टिंक्शन न हो, कानून के रूप मे सबका हक एक हो । अलग

Page No.71

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अलग स्टेटस देने की प्रवृत्ति पुराने ज़माने में होती थी, कोई ताज़िया सरदार होता है, कोई बड़े भैय्ये, कोई छुट भइये। वह ज़माना गुजर गया, अब बड़े भइये नहीं है, छुट भइये नहीं है, सब समान हैं और इसी में आनन्द है। हम एक ओर इस चीज़ को खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी ओर उसी चीज़ को दूसरे रूप में रखते जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इस क्लॉज़ को, सदन के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए, डेफर करने के लिए एक इन्टेन्शन जाहिर कर चुके हैं, इसलिए जिन माननीय सदस्यों की इस प्रकार की भावना है कि डिस्टिंक्शन रहना चाहिए, यह खाई बनी रहनी चाहिए, शहर और गांवों में एक अन्तर रहना चाहिए। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भेदभाव से, इस प्रकार के अन्तर से, इस खाई को पाट नहीं सकेंगे, शहर और गांव को नज़दीक नहीं लायेंगे, बल्कि दूर करेंगे और लोगों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना पैदा होगी, सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की भावना पैदा होगी। सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है। वे एक कांग्रेस सदस्य हैं और कांग्रेस सदस्य होने के नाते इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए। मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो संशोधन रखा है, उस संशोधन पर सहानुभूति के साथ, उदारता के साथ विचार करते हुए उसे स्वीकार करेंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझनू) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The decision on this amendment having been deferred, it leaves little controversy to say something over this amendment. The debate over this amendment was a very lively one and I think in this atmosphere of jollity.

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) · उपाध्यक्ष महोदय, हम बार बार कहते हैं और अब भी मेरा वही निवेदन है कि सबके समझ में आ सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order. Order please.

(श्री नरोत्तमलाल जोशी से)

आरम्भ रखिये, जिस भाषा में चाहें।

श्री हीरा भाई : हिन्दी में भी तो बोलें कभी।

श्री उपाध्यक्ष : Order please,

श्री नरोत्तमलाल जोशी : जिस सौहार्द और हंसी के वातावरण में इस संशोधन के ऊपर वाद-विवाद हुआ है और उसके ऊपर अन्तिम निर्णय स्थगित रखा गया है, उसके बाद, मैं समझता हूं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो तर्क और युक्तियां इसके पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत की गई हैं वे बहुत ही अवैयक्तिक न होते हुए भी वैयक्तिक थी, क्षेत्रीय न होते हुए भी सार्वदेशिक थीं किन्तु एक बात स्पष्ट है, जो कि बहुत से माननीय सदस्यों

Page No.72

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

के तर्कों और युक्तियों से प्रतीत होती है कि इस विधान सभा के अन्दर हमने अपना एक उद्देश्य मान लिया है कि हम समाजवादी ढांचे को कायम करें और उसके ऊपर चलें, तो इस प्रकार का भेदभाव, कि कौंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी अलग अलग हो और नामों में पृथकीकरण हो, यह ठीक और संगत नहीं होती। एक बार जब इस बात का विवाद चला था कि सदन के सदस्यों को माननीय कहा जाता था और ठीक हमारे संविधान के स्वीकार होने पर प्रथम चुनाव के बाद इस प्रकार का एक विवाद चला कि विधान सभा के सदस्य माननीय हों, इस विभेद को मिटाया जाय और काम-काज की भाषा के अन्दर, व्यवहार के अन्दर माननीय शब्द हटा दिया गया। उसी तरह हम समझते हैं कि दोनों संस्थाओं के सदस्य होने चाहिए और स्वायत्त शासन संस्थाओं में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इसी वातावरण में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे यहां बड़े बड़े शहरों के अन्दर अलग अलग म्यूनिसिपेलिटी एक्ट्स थे, जैसे जयपुर म्युनिसिपिल एक्ट अलग था, उदयपुर का अलग था, जोधपुर का अलग था, उसको कोर्पोरेशन का नाम दिया जाता था और उसमें चुने हुए सभापति को मेयर कहा जाता था लेकिन अब यह सारी स्थिति गुज़र गई। जब कि उन सारे विधेयकों का एकीकरण किया गया, उस वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया कि हम उनकी पृथक सत्ता को कायम रखें, वह चाहे अधिकारों के ज़रिये से न हो, किन्तु नाम के ज़रिये से हो. कौंसिल, म्युनिसिपल बोर्ड को हम अवश्य रखें किन्तु विधान सभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद उस एक्ट के स्वरूप को नहीं रखें। अब जमाना बदल गया है, लोगों की भावनायें बदल रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जनतन्त्र के इस युग के अन्दर जब कि हम शनैः शनैः सारे समाज के अन्दर, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अन्दर, सारी पंचायतों के अन्दर हमको समानीकरण करना है और समानता का भाव लाना है। इस तरह की विषमता का प्रयोग, चाहे वह केवल शब्दों में ही हो, अधिकारों में न हो, नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि सारा जो वाद विवाद हुआ, उसमें यह बात थी कि एक एक्ट पास कर लिया है, एक क्लॉज़ पास कर लिया है, इसका यह मतलब यह नहीं कि आगे आने वाले क्लॉजेज़ पर विचार प्रस्तुत न कर सके। ठीक है कि एक विधेयक पारित हो गया, लेकिन जब अन्तिम रूप से उसको पारित न किया जाय, इसके प्रिएम्बल और टाइटल को पास न करें तब तक हमें अधिकार है कि हम बैठकर, जो पारित की हुई धारायें हैं, उनमें संशोधन कर सकें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आशा करता हूं कि जिस भावना से इस संशोधन के विचार को अन्तिम निर्णय के लिए स्थगित रखा है, उसमें यह ध्यान रखा जायगा कि जो विषमीकरण है, जो विषमतायें हैं, उनको ठीक करके, म्युनिसिपल बोर्ड, कौंसिल और बड़े बड़े शहरों की या छोटे गांवों की म्युनिसिपल कमेटियां हैं, उनके अन्दर किसी प्रकार का विभेद नहीं रखा जायगा। अगर रखा जाय तो जो टैक्सेज़ आदि के अधिकार दिये गये हैं, उसमें रखा जा सकता है, लेकिन नाम के अन्दर किसी प्रकार का विभेद रखा जाना असंगत होगा। इतना मैं और कहना चाहूंगा कि जब निर्णय किया जाय, जो भी निर्णय आये, उस पर सदन

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

के माननीय सदस्यों की राय ले ली जाय और फिर पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह डेफर कर दिया है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I have to say a few words. I rise on a point of order, Sir, I have nothing to say about the merits of the clause which is under dispute because, much has been said on either side. But the question is that definition of 'city' has been passed and it has become a part of the Bill. By virtue of Rule 127, it stands as part of the Bill. Now if the minister-in-charge is going to amend the definition of 'Council' and it is being deferred, then the definition of this 'city' becomes redundant. In such circumstances, there is only one way out and that is that the Minister should withdraw the Bill and re-introduce it with suitable amendments in consultation with the parties, otherwise it will be illegal and against the procedure and the Rules. Rule 127 is:—

"Notwithstanding anything covtainea in these rules, the Speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question, "That this clause (or as the case may be, that this clause as amended) stand part of the Bill."

Here, the definition of 'City' has been passed and it has become part of the Bill. The Speaker can make consequential changes in the amendment but he cannot change the definition of 'City' which already stands part of the Bill. The only way that I find, Sir, is that this Bill should be re-introduced by the Government otherwise we cannot again amend the definition of 'City'.

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker, Sir, I support the submission from my friend. I have not been able to find out any reason for this deferring of the clause.

श्री नोरोत्तमलाल जोशी : The Hon'ble Member is not fully audible.

श्री जनार्दनराय नागर : I may say, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But the point is that the Chair has not sought advice from the House as yet. So I think that except the Hon'ble Member who has raised the point, no body is entitled to speak on the floor. The Hon'ble Minister concerned may please enlighten the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) :

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रिज़म्पशन कि इस क्लॉज़ का क्या करने जा रहे हैं, इसमें अमेंड किया जा रहा है या इसे हटाया जा रहा है, ठीक नहीं है। डेफर इसलिये किया जा रहा है कि इस पर बात चीत करके We want to come to an agreed conclusion. और मुमकिन है कि एग्रीड कन्क्लुजन यही हो कि यही रह जाय पर इसमें अमेंडमेंट करने की कोई बात मैंने नहीं कही है। यह कहा गया है कि इस क्लॉज़ को इस तरह अमेंड करते हैं तो वह कंफ्लिक्टिंग है, तो मेरा यह निवेदन है कि 'सिटी' को क्या कहें, यह कोई कन्फ्लिक्टिंग नज़र नहीं आता। तो जो इसे डेफर किया है वह आपस में बातचीत करने के लिये किया है ताकि एक एग्रीड कन्क्लुजन पर आ सकें।

तो इस पर जो यह पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया है उसमें ज्यादा महत्व नज़र नहीं आता। फिर भी मैं यह निवेदन कर दूँ कि आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज़ किया है उसका ध्यान रखा जायगा।

यह प्रिज़म्पशन कि इसे अमेंड किया जायगा या इसे हटा दिया जायगा, ऐसी कोई बात मैंने इसको डेफर करने के लिये नहीं कही है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : यह तो ठीक है, अमेंड नहीं करें तब तक तो पॉइन्ट ऑफ आर्डर ठीक नहीं होगा। पर मैंने यह वैधानिक आपत्ति उठाई थी कि यदि संशोधन करने जा रहे हैं तो वैधानिक आपत्ति मैंने उठाई है वह विधिवत् रहेगी। क्योंकि परिभाषा है वह स्थान स्थान पर हैं, वह रिडन्डेन्ट होगी।

श्री अर्जुनदास : समझ में नहीं आई।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : वे समझ नहीं सकते माननीय उपाध्यक्ष, यह उनकी समझ से बाहर की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : संशोधन नहीं करना है तो कोई आपति नहीं है। संशोधन करें उस सूरत में यह वैधानिक आपत्ति मैंने रखी है।

श्री जनार्दनराय नागर : यदि माननीय मन्त्री महोदय की मन्शा यह नहीं है कि संशोधन किया जाय या इसे हटाया जाय तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने इसे डेफर करने का क्यों कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया है कि हम सब लोग मिलकर एग्रीड कन्क्लुज़न पर पहुंच जायं इसलिये इसे डेफ़र किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : सब लोग कौन ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं बता दूँगा।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: Yes, Shri Narottam Lal Joshi.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : The point

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

for the procedure raised by the Hon'ble Minister from Ajmer...

कुछ माननीय सदस्य : Minister ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am sorry. I apologise. The difficulty before him is hypothetical. Even if the definition of the word 'City' is passed, it does not mean that all the consequential amendments should be rejected outright. The House has a right of vote and right of discussion and thereafter the right of vote, if the House...

श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा : That is not my contention, sir.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Hear me please. If the House comes to a decision contrary to the decision taken before, just as my learned friend has expressed his doubt, I may say that if the House votes for the amendment in sub-clause (7), which is contrary to the amendment passed previously regarding the definition of 'City' then what is the position before the House ? The Speaker can relax the Rule and the House can re-consider the decision which has been taken because so long as the question is not put regarding the title and preamble, the Bill is not passed finally, and until that stage is arrived at the House can go back to the decisions so as to remove all controversies, so as to remove all the inequalities regarding this Bill. So there will be no difficully even if the Hon'ble Minister or the House itself comes to a decision contrary to the definition passed. Then the Speaker can relax that rule and can put the question before the House to re-consider and the House will take it accordingly. The difficulty before the Hon'ble Member is only hypothetical, and when that stage comes, I think the House will be competent to have a decision over it.

श्री उपाध्यक्ष : I have heard enough on the issue and I rule out the point of order raised and the reasons shall be given later on. Further debate on the sub-clause in deferred and I proceed with sub-clauses 8, 9 and 10.

(विराम)

प्रश्न यह हैं कि उपखंड (८), (९) और (१०) स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

उपखंड (८), (९) और (१०) स्वीकार किये गये ।

(विराम)

उपखंड (११), श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि उपखंड (११) को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

उपखंड (११) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

उपखंड (१२) श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ १२ में मेरा मामूली सा संशोधन है । 'डिस्ट्रिक्ट जज' की जगह सिर्फ 'सिविल जज' कर दिया जावे । क्योंकि होता यह है कि म्युनिसिपैल्टीज़ के चुनाव की इलेक्शन पीटीशन्स डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है और बहुत से जिले ऐसे हैं जहां डिस्ट्रक्ट जज नहीं है । होता क्या है जिस जिले में डिस्ट्रक्ट जज नहीं होता वहां के लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है । डिस्ट्रिक्ट सिविल जजेज़ हैं उनको ३०२ और ३०७ के अधिकार हैं लेकिन उनको म्युनिसिपल इलेक्शन पीटिशन सुनने का अधिकार नहीं है । यदि एक व्यक्ति को सरदारशहर या रतनगढ़ की इलेक्शन पिटीशन करनी है तो वह बीकानेर जावेगा । मगर कत्ल के केसेज़ हैं तो चूरू में उसकी सुनवाई हो सकती है । इसलिए मैंने यह रखा है । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसको मानलेंगे । अगर वे चाहें तो डिस्ट्रिक्ट जजेज़ एण्ड सिविल जजेज़ दोनों रख दें तो मुझे कोई एतराज नहीं । इससे यह हो जावेगा कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज नहीं हैं और सिविल और एडिश्नल । सिविल जजेज़ ही हैं तो भी उनका काम हो जावेगा । अगर इस तरह से माननीय मन्त्री मानना चाहें तो उस हद तक मैं उसको एमेंड करने के लिये तैयार हूं । मैं समझता हूं कि यह मेरा मामूली सा संशोधन है और उसको मानने के लिये माननीय मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इनका समर्थन करता हूं । मैं मानता हूं कि इलेक्शन पिटीशन करने वाले लोगों के लिये काफी दिक्कत दूर हो जावेगी, यदि सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों को रख दिया जावे । मैं समझता हूँ कि सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज रखने से लोगों को बहुत सुविधा हो जावेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक है और इसको मान लिया जाए ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर जज लिखा है वहां पर यह कर दिया जावे:—

"Judge' means a District judge or ony other judge appointed by the State Government...." any other judge इसमें सारी बात आ जाती है । इसलिए इसके लिए कहां तक उचित है, यह ड्राफ्टर से पूछा जावे ।

श्री चन्दनमल वैद : सिविल जज और एनी अदर जज कर दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : You accept the amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : जज के साथ और Civil judge or any other judge appointed by the State Government ऐसा रख दिया जाये ।

Page No.77

श्री उपाध्यक्ष : You accept the amendment ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अगर आप एमेंडमेंट कर दें तो मेरे कहने का मतलब यह है :

"Judge' means a DistJrict udge or Civil Judge or any other judge appointed by the State Government."

श्री चन्दनमल वैद : ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : You have agreed to that amendment ?

श्री चन्दनमल वैद: Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चन्दनमल वैद ने सब-क्लॉज़ (१२) में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

संशोधन इस प्रकार है :

" 'Judge' means a District judge or Civil judge or any other judge appointed by the State Government,"

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरे कहने का मतलब यह है कि आप (श्री वैद) इसको विथड्रा कर लें और मैं यह अपनी तरफ़ से मूव कर देता हूं, "or civil Judge"... एड कर दिया जावे । आप अपना संशोधन विथड्रा करलें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको विथड्रा कर लें ।

श्री चन्दनमल : मुझे कोई एतराज नहीं है । I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (१२) के संशोधन को, जो श्री चन्दनमलजी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

(विराम)

श्री चन्दनमल : I withdraw my amendment.

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज के आगे " Civil Judge or" रख दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसादजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(विराम)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ (१२) संशोधनानुसार स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

(विराम)

सब-क्लॉज़ (१२) संशोधनानुसार, स्वीकार किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

सब-क्लॉजेज़ (१३) (१४) (१५) (१६) और १७ में कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉजेज़ १३ से १७ स्वीकार किये जावें।

(विराम)

(स्वीकृत)

सब क्लॉजेज़ (१३) से (१७) स्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : सब-क्लॉज़ १८।

श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद, (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में ओक्युपायर शब्द है। "Oeeuper' includies an owner in actual occupation of his own land or building;" इसकी जगह मैंने इस वर्तमान डेफ़िनिशन को मैंने मेरे संशोधित डेफ़िनिशन में इन्क्ल्युड किया है क्योंकि यदि इतना ही होता तो इसमेंकई दिक्कतें होतीं। क्योंकि ओनर ऑक्युपायर कहलाता है जब वह खुद बिल्डिंग में रहता है। अतएव वर्तमान डेफिनिशन के बदले इसको रखा जावे : "Occupier" includes an owner in actual occupation of his own land or building, and any person for the time being paying or liable to pay to the owner of any land or building the rent or any portion of rent payable in respect thereof, and includes a hotel keeper, a lodge house keeper, aud any owner whose premises are let to more than one tenant." 'ऑक्युपायर' की डेफिनिशन जिस तरह से है अगर उसी तरह से रहेगी या रह गई तो टीनेन्ट वगैरह जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वे भी ऑक्युपायर की डेफिनिशन में आ जावेंगे जो ओनर भी हैं : but occupier does not mean owner. बल्कि ओनर की जगह, जैसा कि मैंने गवर्नमेंट के सामने रखा है। अगर उसको इस तरह से वाइड कर दिया जावे ताकि कल को म्युनिसिपल एक्ट के ज़रिये किसी प्रकार की कार्यवाही की जावे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और ऐसा न हो कि वह कह दे कि मैं तो मालिक ही नहीं हूं क्योंकि किसी भी आदमी को पकड़ना होगा तो वह फौरन यह कह देगा कि मैं मालिक नहीं हूं। इसलिये ऑक्युपायर की डेफिनिशन वाइड होना चाहिये। इसलिये मैंने यह रखा है। उसकी बिल्डिंग है या नहीं, इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जावे। इसी इरादे से मैंने इस डेफ़िनिशन को किसी दूसरे एक्टों से लेकर इस जगह रखा है और उसको इतना वज़न दिया है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि इस एमेन्डमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ लिखा है ऑक्युपायर किसको मानेंगे वह सब हमारे सामने है। टाइमबीइंग इसके बाद इसको "includes an owner in actual occupation of his own land or building:" तो ओनर भी बन जावेगा। आपने लैन्ड की डेफ़िनिशन की है उसके अन्दर "land includes land which is built

(श्री सोहनलाल भटनागर)

upon or covered with water." दूसरी लैन्ड जो पड़ी है उसका भी होता है "occupier includes an owner in actual possession..." इसलिये सेन्स बिल्कुल क्लियर है और इस एमेन्डमेंट की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शंकरलाल, (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो डेफ़िनिशन दी है और जो एमेन्डमेंट नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उनका मतलब केवल यही रह जाता तो एम्बीग्युइटी रहेगी । लेकिन मैं यह कहूँगा कि "इन्क्ल्युड" की जगह "मीन्स" आ जावे तो सब मतलब पूरा हो जावेगा । 'occupier' means an owner in actual possession. क्योंकि ओक्युपायर इन्क्ल्युड में इन्क्लुडेड रहता तो ओक्युपायर की जनरल सेन्स है । इसके अलावा अगर 'इन्क्यूड' करते हैं तो एम्बीग्युटी रहेगी । इसलिये जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसका मकसद हल हो जावेगा । इसलिये जो संशोधन रखा है उसको मंजूर कर लिया जावे और 'इन्क्ल्यूड' के बजाय "मीन्स" आ जावे । "occupier includes an owner in actual occupation of his own land or building, and any person for the time being paying or liable to pay to the owner of any land or building the rent or any portion of the rent payable in respect thereof; and includes a hotel keeper, a lodge house keeper, and any owner whose premises are let to more than one tenant." इसलिये इस एम्बीग्यूटी को मिटाने के लिये यह संशोधन आवश्यक है ।

श्री पूनमचन्द (उप-मन्त्री) : मैं ज्वाला प्रसाद के अमेन्डमेंट को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१८) का संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

परिणाम स्वरूप संशोधित उपखण्ड १८ स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (१६) (२०) (२१) (२२) (२३) में संशोधन नहीं हैं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१६) (२०) (२१) (२२) (२३) स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

उप-खंड (१६) (२०) (२१) (२२) (२३) स्वीकार किये गये ।

(विराम)

उप-खंड (२४)। श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि उप-खंड (२४) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

उप खंड (२४) स्वीकार किया गया।

(विराम)

उप-खंड २५, श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ (२५) के 'बी' भाग को लुप्त करने को मेरा प्रस्ताव है। इसमें पब्लिक सिक्योरिटीज़ का सवाल है। 'ए' का जहां तक सवाल हैं इसमें है कि स्टेट गवर्नमेन्ट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट उत्तरदायी होगी लेकिन 'बी' के अन्दर संस्था को ऑर्डर देगी। नगरपालिका ने कोई चीज़ ली, ऐसा भी हो सकता है स्टेट गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर दिया कि शार्दुल टैक्स टाइल मिल्स के इतने शेयर्स खरीद लो, इसी तरह से दूसरी इन्डस्ट्रीज़ के भी, इसमें पब्लिक का पैसा लगेगा, इससे ऐसा हो सकता है उस पब्लिक मनी का दुरुपयोग होगा, कोई लाभ नहीं होगा, नगरपालिका को भी लाभ नहीं। इसको इसी लिए लुप्त करने के लिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि उस धन का दुरुपयोग न हो और यदि इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ में लौस होता है तो फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर रहेगा। इसीलिए इसको लोप कर दिया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई, (उपमंत्री): सब क्लॉज़ 'बी' की मंशा वह नहीं है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसमें है: "a security expressly authorised by any order which the State Government makes in this behalf," मीन्स, स्टेट गवर्नमेन्ट की मंजूरी या सेन्क्शन जरूरी होगी किसी सिक्योरिटी के लिए उसका मतलब है। इसलिए मैं इस अमेन्डमेन्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : सेन्क्शन का जहां तक सवाल है, मंजूरी आप से लेगा लेकिन आपका ऐसा कोई निर्देश भी तो होगा जिसके आधार पर लेगा। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि आपने मंजूरी दी और ऐसी परिस्थिति में कुछ सदस्यों ने मिल कर शादुल टैक्सटाइल मिल के मालिकों से मिल कर, यह कह दिया कि हमने मन्जूर कर लिया है, सरकार ने मंजूरी दी है फिर भी कल को घाटा हो जाय, मैम्बर को बदलते रहते हैं, उस सिक्योरिटी का सेफगार्ड किस तरह से होगा? सिक्योरिटीज़ को सेफगार्ड रखना है, ऐसे मामलों में आजादी रखनी होगी, बाध्य करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (२५) (बी) में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उपखंड (२५) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

उपखंड (२५) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब क्लॉज़ (२६), श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, २६ में यह है ।

"(26) 'Public street' means any street.

(b) which has heretofore been levelled, paved, metalled, channelled, sewered or repaired out of municipal or other pubic funds or.." इस बदले में मैंने सिर्फ जो संशोधन पेश किया है उसमें इतना भर दिया है कि "(b) Which has with the consent, express or implied, of the owner of the site thereof been levelled, paved, metalled, channelled, sewered or repaired out of Municipal or other public funds," कहने का मतलब यह है कि किसी जगह किसी का प्राइवेट लैण्ड है और उस पर पब्लिक का मनी लगाकर या म्युनिसिपल का मनी लगाकर कुछ करना चाहें, लेवल करना चाहें या कोई सड़क बनाना चाहें या कन्स्ट्रक्शन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो यह करने से पहले उस प्राइवेट लैण्ड ओनर की कन्सेंट अवश्य ले लें । नहीं तो दिक्कत पैदा हो सकती है । इसलिये मैंने इतना सा सुझाव दिया है कि इसमें डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट उसकी कन्सेन्ट लेने का मसला जरूर आ जाना चाहिए । मेरा इससे इतना ही मकसद था ।

श्री भैरोंसिंह, (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है, अपना संशोधन पेश करते समय इस सब क्लॉज़ में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसको समझा नहीं है शायद । म्युनिसिपल बोर्ड या कौंसिल किसी भी पब्लिक स्ट्रीट या रोड को यदि लेवलिंग में लेंगे, सीमेंन्ड डलवाएंगे या कोई भी कन्स्ट्रक्शन करेंगे तो यह इसमें इन्क्लूड है कि म्युनिसिपल बोर्ड उसकी पहले कन्सेन्ट लेगा । कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड बिना कन्सेन्टके किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी पर किसी भी रूप से अधिकार नहीं कर सकते और नहीं कर सकते इसलिये उनको कन्सेन्ट लेनी पड़ती है । अब इसमें स्पेसिफिक्ली इन वर्डस को लिख दें कि उससे कन्सेन्ट लेनी पड़ती तो वैसे कोई आपत्ति नहीं है । पर फिर भी यह एक प्रकार का रिपीटीशन ही होगा । क्योंकि यह जनरल प्रिन्सिपल आफ लॉ है कि किसी की सम्पत्ति पर अधिकार करने से पहले उससे पूर्व जो भी अवश्यक कार्यवाही है वह करनी पड़ेगी । इसलिये यह चीज़ इसमें ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है । इसको दुबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो शब्द इसमें एड करना चाहते हैं वह अन्डरस्टुड है । यह डेफ़ीनेशन में है इसलिये निवेदन करूं कि इसे रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : In the light of the explanation of the Hon'ble Minister, I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री ज्वालाप्रसाद को अपना संशोधन को वापिस लेने कि इजाज़त दी जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (२६) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज़ (२६) स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : सब-क्लॉज़ (२७) पर कोई अमेंडमेंट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (२७) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज़ (२७) स्वीकार किया गया।

(विराम)

सब-क्लॉज़ (२८), श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसमें मेरा अमेंडमेंट है "After the word 'pension' in line '2;' be inserted and all the words appearing thereafter be deleted from part (28)." इस (२८) में आखीर में आया है "in receipt of a salary from Government, who is not a full time servant of Government," सवाल यह सोचने का है सदन के लिये कि एक आदमी जो पार्ट टाइम गवर्नमेंट के दफ्तर में काम करता है और वही आदमी म्युनिसिपैलिटी में आने का भी राइट रखता है। वह इस डेफ़ीनेशन के जरिये है।

"(28) 'salaried servant of the Government' does not include a retired servant of Government in receipt of a pension or a person in receipt of a salary from Government who is not a full time servant of Government." तो मान लीजिये कि अगर वह आदमी चाहें तो अपना इन्फ्लुएन्स गवर्नमेंट पोस्ट पर पार्ट टाइम ही सही पर जितने टाइम भी रहता है। उसका इन्फ्लुएन्स तो होता ही है तो उस पोस्ट का इन्फ्लुएन्स काम में ले सकता है। मैं जानता हूं एक आध केस के बारे में। एक लॉ कॉलेज में एक आदमी पार्ट टाइम नौकरी करता है और इसके बाद अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करता है। अब गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के तौर पर बाकायदा उसका नाम नोटीफ़ाइड करती है सरकार, और इस तरह से उसका इन्फ्लुएन्स बढ़ा है। इसके बाद में वह म्यूनिसिपल कमेटी में आकर खड़ा होता है और सारे अधिकार रखता है। तो जब वह पार्ट टाइम सरकारी नौकरी करता है चाहें फिर वह ८ घंटों में से ६ घंटे काम करे पर करता है रेगुलर। तो जब रेगुलर काम करता है तो उसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट ही माना जाना चाहिये। पब्लिक पोलिटिक्स में उसे पार्ट नहीं लेने देना चाहिये। तो इसलिये मैं समझता हूं कि इसको इसमें से डिलीट कर देना चाहिये। गवर्नमेंट का सर्वेन्ट है। सो है चाहें फिर आठ घंटे का हो या छः घंटे का और नहीं है सो नहीं है। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि यही जो डेफीनेशन जिस तरह से रक्खी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

गई है वह ठीक है । "Salaried servant of the Government' does not include a retired servant of Government in receipt of a pension" पेन्शनर को तो इन्क्लूड कर दिया है। वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। पर यह भी खड़ा हो सकता है । क्योंकि फुल टाइम सर्वेन्ट नहीं है । इन को थोड़ी बहुत तनखा या अलॉउन्स मिलता है तो ऐसी सूरत में उनको भी मौका मिलना चाहिये । अगर उनको हटा देते हैं तो इससे बहुत सी कम्प्लीकेसी होंगी । मान लीजिये वकील है, काम करता है गवर्नमेंट का और बहुत से ऐसे हैं जो पार्ट टाइम सरकार का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को चुनाव में आने का मौका मिलना चाहिये । अब आवेंगे या नहीं आवेंगे यह पब्लिक के वोटों पर डिपेन्ड करेगा । फ्रैन्चाइज़ जितना वाइड रक्खेंगे उतना अच्छा होगा । इस व्यू पोइन्ट व्यू से कहूंगा कि वे अपना यह संशोधन वापिस ले लें ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया उसके बाद भी मेरी यह धारणा है कि मेरे इस संशोधन का मकसद यह नहीं था कि उनको एक्सक्लूड किया जाय जो टाइम टू टाइम कन्ट्राक्ट बेसिस पर काम करते हैं । मेरा तो उनसे मकसद था कि जो लोग इस कानून के मातहत दोनों तरह के इस हाथ भी लड्डू और उस हाथ भी लड्डू रखते हैं, जिनको सभी छूट मिलती है । इसके बावजूद भी गौर से सोचा जावेगा तो समझ सकेंगे कि जो कन्ट्राक्ट पर काम करते हैं, कभी वकालत का काम करते हैं, फीस लेकर काम करते हैं वे पार्ट टाइम नहीं गिने जाते । पार्ट टाइम का मतलब तो रेगुलर काम करने वालों से है। फिर वे चाहें ८ घंटे के बजाय ६ घंटे ही काम करते हों। पर करते रेगुलर हैं। तो अगर इन रेगुलर काम करने वालों को हम छूट देते हैं तो फिर रेगुलर गजेटेड आफीसर भी बच जाते हैं । इस पर आफ्टर थोट की तरह गौर करें । मैं दो चार इन्स्टान्सेज़ देकर समझाऊंगा तो मैं इन शब्दों के साथ अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (२८) पर प्रस्तुत संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सब-क्लॉज़ (२८) स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

सब-क्लॉज़ २८ को स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सब-क्लाँजेज़ २९, ३० व ३१ कोई में संशोधन नहीं हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर, (सलूम्बर): सब-क्लॉज़ (२९) में ऐसा है कि रिजर्वेशन का रक्खा है, शिड्यूल कास्ट के लिये रक्खा

(श्रीसोहनलाल भटनागर)

है। मैंने एक अमेन्डमेंट आगे मूव किया है, कि शिड्यूल ट्राइब्स वालों को भी इसमें रक्खा जावे। तो अगर वह मेरा अमेंडमेंट मन्जूर कर लिया जाता है तो इसमें कॉन्सीक्वेन्शयल चेन्ज होगा। इसलिये इस क्लॉज़ को डेफ़र कर दिया जाए तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : किस क्लॉज़ को डेफ़र किया जावे।

श्री सोहनलाल : २९ को।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Have you got any objection ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में ऐसा बताया गया कि शामिल तो नहीं है। शिड्यूल ट्राइब्स की डेफ़ीनेशन इसमें आई नहीं है। यह तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें आनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आनी चाहिये। इसलिये डेफ़र कर दिया जावे तो अच्छा ही है।

श्री चन्दनमल वैद : फिर अमेंडमेंट ही मन्जूर कर लें न।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो आगे है ! इसमें तो कॉन्सीक्वेन्शयल होगा।

श्री चन्दनमल वैद : अभी मूव कर दें और हम मान लेंगे, क्या बात है

श्री ज्वालाप्रसाद: It should be drafted properly. therefore, it should be deferred.

श्री उपाध्यक्ष : So I defer the sub-clause (29).

(विराम)

Now sub-clause (30) and (31).

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उपखंड (३०) और (३१) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

उपखंड ३० और ३१ स्वीकार किये गये।

(विराम)

उपखंड ३२, श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नगरपालिका की टैक्स की नीति है और इसमें जो बातें इन्क्लूड की गई हैं उनमें से टोल और सैस टैक्स को हटाने के लिये मैंने यह संशोधन रक्खा है।

आज सही माने में देखा जावे तो इस टैक्सेशन की नीति पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नगरपालिकाएं अपने अपने टैक्स लगाती हैं और उनमें से यह टोल टैक्स बड़ी आमदनी देने वाला टैक्स है सही, पर आज सवाल नीति का हमारे सामने है और हम लोग आज एक नीति के आधार पर जो सोचते हैं उनके लिये नीति के दृष्टिकोण से इस पर सोचना आवश्यक है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज सब मनुष्यों के जो खाद्य पदार्थ हैं या जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक जो पदार्थ हैं उन पर क्या केन्द्रीय सरकार और क्या राज्य सरकारें निरन्तर टैक्स लगाती जा रही हैं और जितना टैक्स लगाते हैं उसी अनुपात में हमारा जो वस्तु के मूल्य का स्तर है वह बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति यह बनती जा रही है कि ज्यों-ज्यों हम टैक्स बढ़ाते हैं त्यों-त्यों जीवनोपयोगी पदार्थों और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। तो इन पदार्थों पर जहां तक टैक्स का सवाल है टैक्स लगाने से आमदनी जरूर बढ़ती है सरकार की पर साथ ही चीज़ों के मूल्य भी बढ़ जाते हैं और इसका असर हर आदमी पर पड़ता है। ऐसी हालत में लगातार अगर आपने ऐसे मौके निरन्तर मूल्यों के बढ़ने के लिये दिये तो नतीजा यह होगा कि एक दिन वह आएगा कि लोगों के लिये जीना मुश्किल हो जावेगा।

इसलिये मैं समझता हूँ कि हमें कुछ ऐसी नीति अपनानी होगी कि जनता पर जिन टैक्सों का सीधा प्रभाव न पड़े ऐसे टैक्स ही हम लगाएं। इसमें ऑक्ट्रॉय का टैक्स ऐसा है जिसका हर आदमी पर सीधा प्रहार पड़ता है और प्रहार के साथ ही साथ दिक्कतें भी बहुत उठानी पड़ती हैं। राजस्थान में सेल्स टैक्स से पहले जकात का टैक्स था। वह इसी वजह से हटाया गया। पर यह जो टौल टैक्स है वह भी करीब करीब इसी तरह का है। इसको भी हटाया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। जो भी चीज़ बाहर से आती है उस पर यह टौल टैक्स लगता है। यह जकात के टैक्स का काम करता है। मैंने यहां तक देखा है कि स्टेशन पर कोई आदमी पेटी में कोई चीज़ लेकर आ जाता है, कपड़े लेकर कर आ जाता है तो उसको स्टेशन पर सारी चीजें खोलकर दिखानी पड़ती है। पूछा जाता है क्यों लाये हो, क्यों नहीं? गांव से किसान घी लाया, तो उस पर भी मनमाने तरीकों से टौल टैक्स लगाया जाता है। तो जगह जगह इस प्रकार की चौकियां बनाकर लोगों को लूटने के अतिरिक्त भ्रष्टाचार भी इससे फैलता है। तो यह आज वैसी ही दिक्कतें पैदा कर रहा है जैसी जकात करता था। तो इस टैक्स को हमें बदलना चाहिये और जब हम अपने राज्य में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और हमारा दृष्टिकोण है कि हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो समाजवाद में टैक्सों की नीति पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टैक्सों के संबन्ध में आपकी नीति वह होनी चाहिए कि जनता के ऊपर जो भी टैक्स लगाये जायें वह प्रत्यक्ष होने चाहिए। परन्तु अप्रत्यक्ष करों का असर ऐसा पड़ता है कि इस से हर एक आदमी को हैरान होना पड़ता है। आपका जो टैक्स हो वह प्रत्यक्ष होना चाहिए। परन्तु इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ की नीति है वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जिससे खाद्य पदार्थ और साधारण चीज़ों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। पंचायतों का जब सवाल आया कि वह भी इस प्रकार के टैक्स लगा सकती है, म्युनिसिपल बोर्ड को भी टैक्स लगाने की बात इसमें कही गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर हमें एक नीति बनानी है समाजवादी। तो समाजवादी नीती में टैक्स का बहुत महत्व है और टैक्स का जो असर है वह सीधे किस आदमी के ऊपर पड़ता है। मैं कहता हूं कि हर आदमी के ऊपर

Page No.86

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसका असर पड़ता है। आज कुछ टैक्सेज़ जो लगाये हैं जैसे बीकानेर में लगाये हैं मैं कहना चाहता हूं कि उन टैक्सेज़ का असर हर आदमी के ऊपर पड़ा है। अनाज के ऊपर टैक्स लगाया, नमक, मिर्च, हल्दी धनिया आदि पर भी टैक्स लगाया तो उनके भाव बढ़ गए। यहां तक कि जो साधारण चीजें हैं, आवश्यक पदार्थ हैं उन पर भी मनमाने तरीके से टैक्स लगाने से वहां पर साधारण आदमी के लिए जीना कठिन हो जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आपकी टैक्स की नीति यह है कि छोटे आदमियों को जिनको दो रोटी खाने को मिलती है और दो रोटी से भी पेट नहीं भरता है और हमारे टैक्स की नीति इस प्रकार की है कि भूखे के हाथ से छीन लें तो यह समाजवाद की नीति नहीं है। आपकी नीति ऐसी है कि जो गरीबों के पास है उसको भी छीन लिया जाय तो यह समाजवाद की नीति नहीं है। हो सकता है कि यह बहुत ही बुनियादी प्रश्न लगता हो परन्तु जहां तक समाजवाद के अपनाने का सवाल है और समाजवाद की नीति का सवाल है आपको जरूर इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा और जिन टैक्सों के द्वारा मनुष्यों के जीवन निर्वाह की सामग्री पर असर पड़ता है ऐसे टैक्सों को राजस्थान से हटाना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान में आक्ट्राई और टोल टैक्स को लेकर बहुत चर्चा होती है। आप किसी भी देश को देखिये इस प्रकार से नगरपालिकाओं को ऐसे टैक्सेज़ लगाने की कोई इजाज़त नहीं है। आप हाउस टैक्स लगाये, हाउस टैक्स से आपको सीधा गेन होता है, आप बिज़नेस के ऊपर टैक्स लगाये कि मनुष्य बिज़नेस के ज़रिये कितना कमाते हैं उसके पर्सेंटेज़ पर आप लगा सकते हैं और ऐसे ही दूसरे टैक्सेज़ हो सकते हैं जिनका असर सीधे आदमी के ऊपर पड़ता है। अगर ऐसे सीधे कर आप जनता पर लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जो धीरे धीरे उत्तरोत्तर समाजवाद की ओर बढ़ने का कदम है उस तरफ़ आप बढ़ सकेंगे। अगर टैक्सेज़ की नीति को आपने मान्य नहीं किया तो उत्तरोत्तर इस प्रकार की नीति का सीधा जनसाधारण के ऊपर असर पड़ेगा। इससे यह भी होगा कि हम जिस समाजवादके लक्ष्य की ओर पहुँचना चाहते हैं उसलक्ष्य की ओर नहीं पहुँच सकेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि यह सैपरेट टैक्स याने अतिरिक्त टैक्स भी लगा सकती है। तो मान लीजिए किसी मुहल्ले में कोई काम होता है तो वह कह देंगे कि आपके मुहल्ले में काम करते हैं तो आपको अलग से टैक्स देना होगा। मैं कहता हूं कि जो मुहल्ले बहुत पिछड़े हुए हैं आज वही लोग हैं कि पुराने समय से जो नगरपालिका का ताल्लुक रहा है उसमें यह देखा कि ऐसे लोग पिछड़े हुए रहे हैं जिनके बारे में कोई कहने वाला नहीं है और जो गरीबों की बस्तियां हैं। इस तरह से आज कोई काम आयेगा तो नगरपालिका कहेगी कि आपके मुहल्ले में तो हम अतिरिक्त पर लगा कर ही काम कर सकते हैं। नतीजा यह होगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जहां साधन नहीं हैं वहां पर अतिरिक्त टैक्स की बात करेंगे। तो ऐसे इलाके मेरे ख्याल से अभी उन्नति नहीं कर सकेंगे। ब्लॉक डवेलपमेन्ट में ऐसे कई इलाके हैं जहां गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार की योजना रखी है कि अगर आपके इलाके में आप इतना पैसा देंगे तो काम हो सकता है वनी नहीं। यह हुआ है। जिस इलाके के पास पैसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके डवेलपमैन्ट ब्लाक्स में जो काम होने चाहिएं वह वहां अब नहीं हो सकेंगे। मैं अभी अभी जैसलमेर के इलाके में गया जहां कि एक मील के अन्दर पांच आदमी मिलते हैं। जहां विकास का काम करने की जरूरत है और वहां पर जब विकास के काम का सवाल आयेगा तो कह देते हैं कि इतना पैसा तो आप दें और इतना पैसा सरकार देगी तब काम होगा। ऐसी हालत में जहां साधन नहीं हैं, आबादी नहीं है बहुत कम आदमी हैं वहां पर अतिरिक्त कर का सवाल आयेगा तो वहां का कोई विकास नहीं हो सकेगा। जहां तक नीति का सवाल है अगर नीति के ऊपर टैक्स लगाने की जो सबसे बड़ी चीज़ है वह यह है कि समाजवाद की स्थापना के लिए आपके टैक्सों की नीति में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और टैक्सों की नीति जैसी पुराने समय से चली आ रही है और हिन्दुस्तान में भी कई इलाके में है अगर आप समाजवाद की दृष्टि से सोचेंगे तो आपको वह नीति बदलनी पड़ेगी और इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी कि हर आदमी के जीवन निर्वाह के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़े। अगर इस प्रकार की नीति बनाते हैं और ऐसी प्रक्रिया रहेगी तो सच्चे समाज की स्थापना हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से मैंने इसी संशोधन को रखा है और टोल टैक्स और रोस टैक्स को हटाने की बात करता हूं। अगर हम अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं तो यह समाजवादी तरीका है। परन्तु उसके साथ ही साथ अगर हमने दूसरे तरीके रखे तो मैं समझता हूं कि सही बात पर पहुंचने में दिक्कत होगी। उसमें कोई बात नहीं है। नतीजा यह होगा कि असर आप लोगों के ऊपर बहुत बुरा होगा। इसी दृष्टिकोण से मैं इस संशोधन को रखता हूं। मैं समझता हूं कि इससे म्युनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक स्थिति पर असर अवश्य पड़ेगा लेकिन इसके साथ ही साथ अगर नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन आता है और वह दूसरे तरीके के टैक्स लगाकर हम अपनी कमियों की पूर्ति कर सकते हैं तो दूसरे प्रावधान उसमें रखे जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह जो संशोधन है यह प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें मिला दी हैं जिनसे माननीय मंत्री महोदय को भ्रम हो गया है और अपने जितने भी टैक्सेज़ थे उन सब को समाजवादी वाक्य के साथ मिला दिया। जहां तक टोल टैक्स का सम्बन्ध रखता है यह तो गांव वालों से सम्बन्ध है। गांव वाले लकड़ियां लाते हैं और शहर में बेचते हैं, घी लाते हैं शहर में बेच कर वापिस अपने गांवों को चले जाते हैं। या इसी प्रकार की छोटी मोटी चीजें लाकर बेचते हैं और म्युनिसिपैलिटी उन पर टैक्स लेती है। गांव वाले तो शहर में आते हैं इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर और बेचजाते हैं और उसका सही लाभ शहर वाले उठाते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स तो उन लोगों से लेना चाहिये कि जो शहर के लोग इन चीज़ों से फायदा उठाते हैं। लेकिन गांव वाले जो लकड़ियां या घी या इसी प्रकार की छोटी छोटी चीजें शहर में लाकर बेचते हैं और वापिस चले जाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है यह अनुचित

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है क्योंकि इन चीजों का उपयोग गांव में होता तो इस पर टैक्स लगाना ठीक था मगर इनका उपयोग तो शहर में होता है। बाकी जहां तक बिक्री कर हैं, ऑक्ट्राई टैक्स है उसके सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जहां तक टोल टैक्स का सम्बन्ध है और गांव वालों का सम्बन्ध है यह टैक्स गांव वालों के उपर लगाया जाता है मैं इसका विरोधी हूं और यह गांव वालों पर नहीं लगना चाहिये और जो श्री मुरलीधर जी व्यास ने टोल टैक्स का संशोधन रखा है उसकी जो भाषा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय को जहां तक टोल टैक्स शब्द है उसको तो हटा ही लेना चाहिये।

१२ मध्यान्ह

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन सदन के सामने हैं उसके बारे में जो बातें यहां कहीं गई हैं उसमें सदन को यह भी सोचना होगा कि जितनी म्युनिसिपल कमेटियां आज चल रही हैं राजस्थान में उनमें तरह तरह के टैक्सेज़ लगे हुए हैं, और उन टैक्सेज़ को यह कवरअप करता है, और उनकी आमदनी के ज़रिये जो हैं उन ज़रियों को यह बराबर जो है आगे बढ़ाता है। यह बड़ा एक मुश्किल काम है। उसको सोचना चाहिए कि जो टैक्सेज़ का इन्सीडेन्स है उसको चेन्ज करें, एक तबके से दूसरे तबके में ले जाना यह चीज़ कितनी कठिन होती है, इसको समझ लेना चाहिये।

जहां तक टोल टैक्स और दूसरे टैक्स की बात है, बल्कि जनरल बात हैं यह कह देना कि टैक्स के खिलाफ बोल दिया यह सब को भला लगता है, लेकिन सोशलिस्ट पेटर्न और समाजवादी व्यवस्था में कोई ५ साल में आसमान से रुपया नहीं लाया जायगा। टैक्सेज़ का किसी रूप में वज़न किन पर पड़ता है, जैसा कि अभी जो एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक तरफ टोल टैक्स की वसूली में छोटी म्युनिसिपैलिटी और बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ में फर्क नहीं होना चाहिए दूसरी तरफ गांव वाले या बाहर वाले जो चीज़ शहर में बेचने के लिए लाते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेज़ लिए जाते हैं उन टैक्सेज़ के विरुद्ध हैं और कहते हैं कि टैक्सेज़ उन पर लगाना चाहिए जो कि शहर में रहते हैं न कि जो शहर के अन्दर माल लाते हैं। मगर टैक्सेज़ इन्डाइरेक्ट और डाइरेक्ट टैक्सेज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी करके और सोच कर बोला जाता है तो और इसको समझने की कोशिश की जाती तो, मैं समझता हूं बखूबी इस बात को समझ लेते कि जो पेरेमोउन्ट टैक्सेज़, टाल टैक्स आदि जो कि चूंगी में घुसते ही लिए जाते हैं उसका मतलब यह होता है कि जो चीज़ एक रुपये में आती है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है एक रुपये पर दो आना तो वह चीज़ टैक्स देने के बाद १ रुपया २ आने में बाजार में जाकर बेची जायगी। जो उसका ले जाने वाला है आखिर वह खुद अपना हिसाब लगाता है कि अगर दो आना जो वहां पर ले लिया गया है तो शहर वालों से ही वह टैक्स वसूल करने का तरीका मात्र है। यह गांव वालों पर टैक्स नहीं है। यह टैक्स वहां के कन्ज़्यूमर पर होगा, क्योंकि वह काम में लाया जायगा पर्टीक्यूलर शहर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वालों के द्वारा जिनके काम में, जिनकी सेवा के लिए वह म्युनिसिपल कमेटी टैक्स लगाती है। उसका वह एक तरीका बन गया है कि वह टैक्स कहां से वसूल किया जाय तो वह चूंगी वसूल की जाय, जैसे दिल्ली या बम्बई या दूसरी दिसावरों में बड़ी-बड़ी मंडियां हैं वहां के जो व्यापारी माल भेजते हैं शहरों के अन्दर में तो उस पर भी वह चुंगी वसूल की जाती है। तो उस टैक्स को यह कहें कि गांव वालों पर लगाया है या यह कहें कि बाहर वालों पर लगाया है यह गलत है। यह चुंगी का टैक्स लेते हैं तो उस माल पर लेते हैं जो कि सिटी में बिकता है, जिसको कि सिटी में कन्जूम करने वाले खरीदते हैं। गांव के अन्दर या उस मंडी के अन्दर जो व्यापारी उस माल को खरीदता है तो उस माल को खरीदते वक्त चुंगी के पैसे को जोड़ कर वह कन्जूमर को देता है। इसलिए वह टैक्स लेने का एक तरीका है। उस टैक्स को पे करने वाले शहर के बाशिन्दा हैं, जो शहर में रहते हैं और जिसके अन्दर म्युनिसिपल कमेटी है, जिसको टैक्स लगाने का टरमीनल टैक्स लगाने का अधिकार मिला है। वह दो पैसा बाहर वालों पर या दो पैसा गांव वालों पर लगाती है तो वह बाहर वाले या गांव वाले अपनी जेब से नहीं देंगे। जब वे शहर के अन्दर अपनी चीज़ को बेचेंगे तो अपने मुनाफे में इसको लगायेंगे, अपनी कीमत के अन्दर लगायेंगे।

मैं देखता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी सरकार से कुछ कहती है। इस सिलसिले में तो जो डेमोक्रेसी का तरीका है और जो अख्त्यार किया जाता है उसके बजाय हालत यह की जाती है कि सरकार द्वारा इस तरह का चुनाव कराकर म्युनिसिपैलिटी बना दी, स्वायत्त-संस्था खड़ी कर दी, यह कोई बात नहीं है। आपके नियम लागू हैं कानून मौजूद हैं, चुनाव करा लिये। हर जगह आप बना सकते हैं. लेकिन इसके साथ मैं कहूंगा कि वहां पर जहां म्युनिसिपल कमेटी दी जाय तो यह सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके उस गांव की मिनिमम आमदनी क्या है इसका हिसाब लगायें और उन टैक्सेज़ को लगाकर फिर चुनाव कराया जाय। म्युनिसिपल कमेटी बनाने के लिए यह तरीका होना चाहिए कि आप जहां पर म्युनिसिपल कमेटी को बनाते हैं वहां बनाकर कैसे उम्मीद करते हैं, जनता के युग में कैसे सरकार चुनाव कराकर छोड़ देती है और कहे कि टैक्सेज़ भी वह लगा दे। आज सवाल फन्डामेन्टली यह सोचना पड़ेगा कि सरकार इस सदन में इस बात को तय करे कि जो म्युनिसिपल कमेटी बनाई जायगी, डिक्लेअर करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन सरकार को अधिकार जब देंगे तब म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव करावें लेकिन टैक्सेज़ एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में लगाकर उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव कराया जाय। आज स्थिति यह है कि एक जगह नहीं कई जगह करना पड़ता है कि वहां म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव कराये जाते हैं और कहीं टैक्स लगाने को बात करते हैं तो जनता इस तरह का आन्दोलन करती है कि हमको चुने हुए नुमायन्दे दो और जब नुमायन्दे आजायेंगे तो वह लगायेंगे तो मानेंगे, और सरकार चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी दे देती है।

आज राजस्थान की म्युनिसिपैलिटियों

Page No.90

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

की हालत इस तरह की है कि जब तक टैक्सेज़ नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक वे ठीक तौर से नहीं चल सकती हैं। इसके बारे में पूरी तरह से सोच लेना चाहिए। सरकार को सोच लेना चाहिए। एक आना दो आना चुंगी का म्युनिसिपल कमेटी, जयपुर, द्वारा लगाये जाते हैं तो यहां डेढ़ महीने तक की हड़ताल. होती है और हड़ताल के वक्त में यहां पर जब चलते हैं तो चुंगी और स्वायत्त संस्थाओं के खिलाफ़ वातावरण पैदा किया जाता है। टैक्सेज़ देने के लिए शहर के लोग तैयार नहीं होते हैं और डेढ़ महीने तक १४४ धारा लागू रहती है और लोग शहीद होने के लिए निकलते हैं और एक लम्बे अर्से तक म्युनिसिपेलिटी को तोड़ देते हैं और इस तरह से टैक्स लगा नहीं पाते हैं शहर में रहते हैं और वहां के अन्दर की गंदगी को निकालना हैं तो टैक्सेज़ की तरफ बढ़ना पड़ेगा और जनता को तैयार करना पड़ेगा। यहां की सफाई करने का काम दूसरे गांव वालों से रुपया लेकर सरकार को नहीं करना चाहिये। यह सरकार जो सीधा इन्जेक्शन और सीधा कन्ट्रोल करती है तो इन्डाइरेक्टली शहरों पर कितना खर्च किया जाता है, अजमेर एक्सक्लूडेड, क्यों उसकी आमदनी ३८ लाख है और वह सरकार से एक पैसा भी नहीं लेती है, लेकिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और दूसरी सिटी हैं वहां पर कितनी सबसिडी वाटर वर्क्स और बिजली के अन्दर कितना पैसा बराबर कर देती है। यह हम गांव वालों का रुपया लगाते हैं या शहर वालों का ? एक बात मैं सरकार से भी कहूंगा कि जिन म्युनिसिपल कमेटीज़ की फाइनेन्शल पोज़ीशन ठीक नहीं हो, वहां के अधिकार को अपने हाथ में लेलो दूसरी जगह भी यह कायदा रहा है, और दूसरी स्टेटों में भी यह कायदा रहा है, दूसरे, प्रान्तों में भी कि किसी म्युनिसिपल कमेटी की फाइनेन्शल पोज़ीशन ठीक नहीं रहती है तो उसको सुपरसीड किया जा सकता हैं और सुपरसीड करके सरकार उसके फाइनेन्सेज़ को ठीक करके फिर जनता के हाथ में देती है। यहां उल्टा रहा है। अपनी टोपी दूसरी तरफ रखने के लिए एक संस्था बना दी जाती है और उससे कहा जाता है कि तू टैक्स लगा, और वह जनता के डर से टैक्स नहीं लगाती है तो स्वायत्त शासन संस्थाएं चल नहीं पाती हैं और उसके बाद नामोशी दी जाती है कि अमुक स्वायत्त संस्था हमारे शहर में यह नहीं कर सकी। मैं कहूंगा कि यह हाउस जनता का है और जनता ने हमको चुन कर भेजा है और आप सरकार बनाकर बैठे हैं तो आप में पॉवर ज्यादा होना चाहिए जनता का मुकाबला करने के लिए आप इन्डाइरेक्टली गवर्नमेन्ट में होने पर भी चाहे शहर से कनेक्टेड नहीं हो खुद टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहां शहर से चुने हुए लोग टैक्स लगायेंगे इन टेक्सेज़ के ऊपर भी आप सरकार में आयेंगे मंजूरी के लिये इसलिये जहां पर आप स्वायत्त संस्थाएं बनाएं वहां आप टेक्सेज़ लगा सकते हैं और जहां पर लगे हुए हैं वहां पर उसको जैसा का तैसा रखना चाहिये। जहां पर नहीं लगा है वहां पर स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिकार तभी दिये जावें सरकार उनको पूरी तरह से दिवालियापन से निकाल कर सुपुर्द करे। पांच साल तक एडमिनिस्ट्रेटर आपने जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल में रखा और उसके बाद भी आज ठीक तरह से नहीं चल रही है। पांच साल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तक सरकार ने क्या किया ? टैक्स लगाने के लिये हर बार कोशिश की हर बार उसका विरोध हुआ। जब वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर था तब वहां पर अच्छी तरह से लगा सकते थे लेकिन जब सरकार ही नहीं लगा सकी तो इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं उसकी ज़िम्मेदारी कैसे समझें ? जयपुर में नहीं हैं, बीकानेर में नहीं हैं, जिस की तरफ आंख उठाते हैं वे आन्दोलन करते हैं और खत्म कर देते हैं। हमारे यहां भी आन्दोलन होता अजमेर में···

श्रीउपाध्यक्ष : Hon'ble member, we are expected to take the privelege motion if your speech can be curtailed. प्रिविलेज़ मोशन हमारे सामने पड़ा है उसको लेना है। १२॥ का समय पास आ रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं अपील कर रहा हूं कि टैक्सेज़ के बारे में मुरलीधरजी के जो संशोधन रखा है उससे मैं अपील करूंगा कि टैक्सेज़ बारे में जिम्मेदारी के साथ कदम उठाय जाय और स्वायत्त संस्थाएं स्वायत्त संस्थाओं के रूप में चल सकें ऐसा करना चाहिये और सरकार को जिम्मेदारी समझ कर ही स्वायत्त संस्थाओं को बनाना चाहिये, जब फाइनेन्सेज़ ठीक हों तभी पॉवर्स देनी चाहिये। इन शब्दों के हाथ मैं विरोध करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Ordre pleaer.

श्री शंकरलाल: On point of order Sir, यहां पर जो पोइन्ट है वह टैक्सेज़ की डेफिनेशन का है और डिस्कशन इस बात का हो रहा है म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा टैक्स लगाया जाय या नहीं लगाया जाय, जनता पर भार होगा···

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री शंकरलाल : My point of order is that we are discussing the definition of Tax. The objection should have been raised when the relevant clauses are taken up for discussion.

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order. The Hon'ble member to resume his seat.

मैं सूचना यह देना चाहता था कि प्रिवलेज़ मोशन जो हमारे सामने है उसको ले लिया जाय। हम इस सब क्लॉज़ को पूर्ण नहीं कर पायेंगे। Shri Shribhansingh to continue till we get the papers.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट श्री मुरलीधरजी ने रखा है, उसका जहां तक टोल टैक्स का सवाल है, मैं समर्थन करता हूं और जहां तक सैस का सवाल है मैं इसका विरोध करता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने फ़रमाया, उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन था, वे यहां पर कभी तो टोल टैक्स के बारे कह रहे थे, कभी टरमीनल टैक्स के बारे में कह रहे थे, कभी ऑक्ट्रोय के बारे में कह रहे थे, अभी सवाल यह नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज़ की जो पोज़िशन है उसको रिहेबिलिटेट करना है, उनको इन्कम देना है। राजस्थान में

(श्री श्रीमानसिंह)

१३५ म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें से कौनसी ने टोल टैक्स लगाई है, एक अजमेर म्युनिसिपैलिटी है जिसके लिये कहा जा सकता है, बाकी सीक्रेटली लगाती हों तो, पता नहीं लेकिन राजस्थान सरकार के सामने होता तो पता चलता। टोल टैक्स किस प्रकार लगता है ? शहर में जो चीज़ें आती हैं या शहर में से होकर जो चीज़ें पास होती हैं उन पर जो टैक्स लगता है वह टोल टैक्स कहलाता है। कोई चीज़ जयपुर से पास होकर जोधपुर जा रही है तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ेगा । म्युनिसिपल एरिया में से कोई चीज़ ले जाते हैं तो उस पर यह टैक्स देना पड़ता है यह है टोल टैक्स । मतलब यह है डेफिनेटली ट्रेफिक mobility को चैक करता है और मोबिलीटी ऑफ गुड्स में हिन्डरेन्स करता है। यह देखते हुए इसे लगाना उचित नहीं है। इसका कोई खास उपयोग नहीं है और न इससे कोई खास इन्कम ही होती है। जैसे अजमेर म्युनिसिपैलिटी ने टोल टैक्स लगाया है। बाहर से जो भी लोग अजमेर में आते हैं उनको यह टैक्स देना पड़ता है । एन्ट्री पर देना पड़ता है इसलिये मोबिलिटी ऑफ ट्रेफिक को हिन्डर करता है और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिये भी हिन्डरेन्स है। इस टैक्स को जल्दी समाप्त करने के लिये टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि इस टैक्स से इन्कम कम है बल्कि नेग्लीजेबल है और इस पर खर्चा अधिक है इसलिये इसको रिमूव करना चाहिये जब अजमेर यह टैक्स लगता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं है तो बाकी म्युनिसिपैलिटीज़ पर लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब इसकी आव-श्यकता होती है तभी लगाया जाना चाहिये। जैसे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट की और उसको कंस्ट्रक्ट करने में ५ लाख रू. खर्चा हुआ तो उसको मीट करने के लिये लगा सकते हैं लेकिन वह भी तब तक जब कि आप उसकी कोस्ट को रिकवर नहीं करलें। जिस दिन कोस्ट रिकवर कर लेते हैं उसी दिन खतम करना चाहिये । यह टैक्सेशन इन्क्वायरी की रिकमन्डेशन है। कोई भी म्युनिसिपैलिटी इसको लगायेगी तो इसका नतीज़ा यह होगा कि ट्रेड एंड कमर्स और मोबिलिटी में हिन्डरेन्स होगा उस टैक्स को लगाने से क्या फायदा जिससे कोई इन्कम नहीं होती। कमेटी की रिकमन्डेशन यही है कि टोल टैक्स लेवी नहीं करें क्योंकि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, इसके लिये जो मशीनरी रखनी पड़ेगी उस पर एक्सपेन्डीचर ज्यादा होगा और इन्कम कम होगी। माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे, यह कह रहे थे कि टोल टैक्स से म्युनिसिपैलिटी रिहेबिलिटेट हो जायगी। जो अजमेर म्युनिसिपैलिटी यह टैक्स लेती है उसको भी रिहेबिलिटेट कर नहीं सके। जिससे इन्कम कुछ नहीं हो ऐसे टोल टैक्स को लगाने से फ़ायदा क्या ? जहां तक टोल टैक्स का सवाल है उसको डिलीट कर दिया जाय, यह मेरी ही राय नहीं है बल्कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की भी राय है।

१२.१८ म०प०

श्री धाराधर शर्मा द्वारा सदन की कार्यवाही में की गई बाधा विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रिवलेज मोशन को ले लेता हूं। जैसा कि सदन को ज्ञात है एक व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आपत्ति-

Page No.93

(श्री उपाध्यक्ष)

ज़नक व्यवहार किया इसलिये मैं लीडर ऑफ दि हाउस से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के प्रस्ताव को रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मंत्री, सदन के नेता की ओर से) माननीय उपाध्यक्षजी, आज एक अपरिचित व्यक्ति श्री धाराधर शर्मा, निवासी जयपुर, ने प्रात: १०.५५ पर, जब कि सदन की कार्यवाही चल रही थी, दर्शक दीर्घा से चिल्ला कर कहा, कि यहां विदेशी भाषा का क्यों प्रयोग किया जा रहा है ? जिसके फलस्वरूप सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची। इनका यह कार्य सदन के अपमान (कन्टेम्पट ऑफ दि हाउस) की गणना में आता है अत: मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री धाराधर शर्मा को सदन के समक्ष पेश किया जाकर उन्हें अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने एवं सफ़ाई देने का अवसर दिया जाय तथा उसके बाद सदन द्वारा इस निर्णय लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभियुक्त का बयान लेता हूं। (अभियुक्त से) अपना नाम बतलाये ?

अभियुक्त : धाराधर।

श्री उपाध्यक्ष : पिता श्री का नाम ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : बंसीधर जी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जाती ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : जाती में मैं कोई विश्वास नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : आप भारतीय हैं या विदेशी हैं ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : मैं भारतीय हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उम्र आपकी ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : ३२ साल।

श्री उपाध्यक्ष : निवास स्थान ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : जयपुर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका व्यवसाय ?

श्री धाराधर (अभियुक्त) : सामाजिक कार्यकर्त्ता।

श्री उपाध्यक्ष : आपको ज्ञात है, आपने दर्शक गैलेरी में खड़े होकर ऐसा अभद्र और अशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए शोर-गुल किया जिससे सदन की प्रतिष्ठा और कार्यवाहीं में बाधा पहुंची, इसके सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री धाराधर : (अभियुक्त) निवेदन है कि मैंने दर्शक दीर्घा से, जब एक माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा में सदन में बोल रहे थे, सदन में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना की, इससे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा मैं उसके लिए सदन से क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपराध किया ?

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) That covers the whole thing.

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी प्रार्थना पत्र मिला है। मेरा ख्याल है उसकी प्रतिलिपि इन (श्री कृषि मंत्री) के पास है। मैं उसे सदन के सम्मुख पढ़ कर सुना देता हूं :

मैंने दर्शक दीर्घा में जब एक माननीय सदस्य अंग्रेजी भाषा में सदन में बोल रहे थे, सदन में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना की, इससे सदन की प्रतिष्ठा का जो धक्का पहुंचा है, मैं उसके लिए सदन से क्षमा चाहता हूं।

ह० धराधर शर्मा"

अब इस पर विवेचन आवश्यक है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यहां विदेशी भाषा का प्रयोग करने की बात कही गई, इस पर टोका गया तो सदन की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। मुझे ऐसा जंचता है, अगर इसकी कोई दूसरी अच्छी बात हो सकती है...

श्री उपाध्यक्ष : वहां तक नहीं। आसन से जो पूछा गया हैं वह रख दिया गया है। उसको करेक्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार सदन का दुबारा अपमान हुआ है और इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये अगर सदन सख्त कदम नहीं उठाये तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्यवाही फिर हो सकती है। इस लिये कम से कम इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए आवश्यक अधिक सख्त कदम उठाना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : पास किसने दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Pardon

श्री दया कृष्ण विजय : पास किसने दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : पास दिया श्री करणसिंह ने।

श्री भैरोंसिंह : पहले इसका निर्णय ले लिया जाय। इसके बाद देखा जायगा कि पास किसने दिया है, पास देने वाले की क्या जिम्मेदारी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : जिम्मेदारी के प्रश्न को नहीं टाला जा सकता। जहां तक पास का सवाल है, I think the person must be asked for who gets the pass issued for delibrately getting the proceedings of the house disturbed.

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को बाद में लेंगे। क्वान्टम ऑफ सेन्टेन्स के प्रश्न पर बात कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि आज जो वातावरण हमारे देश के अन्दर चल रहा है, भाषा पर जो विवाद है, उस भाषा के विवाद में बहुत से माननीय आदमी हैं, मनुष्य हैं, उनकी शायद फीलिंग इस तरह की हो जाय कि हर जगह वह उनके सेन्टीमेंट से केरी हो जांय और मैं यह समझता हूं कि ऐसी बात पहले भी आकर दो एक ने की थी तो यह

(श्री श्रीभानसिंह)

बड़ी बात है जिसके लिये उनको जरूर दंड का भागी होना चाहिये। मगर यह सदन इतना मेगनोनीमस है और इसका एटीट्यूट मेगनोनीमस होना चाहिये कि इस तरह कोई व्यक्ति भावों के आवेश में आकर, जो सदन उन्हीं का है, उस सदन की प्रतिष्ठा और मान को न रखें। यह जनता का सदन है और जनता के प्रतिनिधि यहां बैठते हैं। उस सदन का वे मान नहीं रखते तो उन्हें सोचना चाहिये कि जनतंत्र को कहां तक, जनतन्त्र की प्रणाली को वह कहां तक मजबूत बनायेंगे, करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई व्यक्ति भूल और भावुकता में गलती करे तो माननीय सदस्यों को उदारता का परिचय देना चाहिये और इन्होंने जो माफी मांगी है, उसे माननीय सदस्य एक्सेप्ट करें।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अभियुक्त ने भाषा का सवाल उठाया, जहां तक भाषा का सवाल है, राष्ट्र भाषा को आदर देना चाहिये, इससे कोई दो मत नहीं हो सकते। राष्ट्रभाषा को विकसित करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का अच्छा प्रादुर्भाव हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर दूसरी भाषा का बहिष्कार करते हैं तो एक प्रकार से मानस के अन्दर में घुसी एक संकीर्ण प्रवृत्ति . .

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! Please.

माननीय सदस्य, प्रश्न यह नहीं है कि भाषा का उपयोग किया जाय या न किया जाय। प्रश्न यह है कि आपको दंड क्या दिया जाय ?

श्री नारायणसिंह : जो अपराध किया उसके बारे में ये माफी मांगते हैं तो उदार चित्त से इन्हें आज माफी दे दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में आज दर्शक दीर्घा से एक बन्धु ने अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को लेकर सदन से हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रार्थना की। जहां तक प्रार्थना का प्रश्न है, मैं उस सम्बन्ध में इस सदन में कुछ नहीं कहना चाहता बल्कि यह एक आपत्ति जनक वस्तु है कि हम दर्शक दीर्घा में बैठ कर सदन के माननीय सदस्य की ओर संकेत करके यह निवेदन करके सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करें लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का उत्तर उन माननीय बन्धु ने इस सदन के अन्दर दिया है, मैं समझता हूँ कि इस सदन के लिए काफी है, पर्याप्त है। सदन वैसे साधिकार है, जितने ज्यादा अधिकार का प्रयोग करना चाहें, उतना प्रयोग करने के लिए वह सत्ता अपने हाथ में रखता है। लेकिन प्रश्न एक आता है और वह सदन के प्रति अप्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, उस समय अपने पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये या सदन जिस प्रकार की महत्वपूर्ण संस्था है, उसकी महत्ता पर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर सदन इन्हें सजा भी दे दे तो सदन का बड़प्पन नहीं होगा। सदन के सामने किसी के द्वारा कसूर करने के बाद इस प्रकार का प्रश्न आता है कि वह व्यक्ति अपनी गलती महसूस करके उसके लिये सदन से क्षमा मांगे, तो सदन का बड़प्पन इसमें होगा कि सदन

श्री भैरोंसिंह)

क्षमादान करें। एक तरफ़ प्रश्न आता है अपने अधिकारों के प्रयोग करने का और दूसरी तरफ प्रश्न आता है सदन के बड़प्पन का। मैं समझता हूं कि अधिकारों का प्रयोग न करके सदन क्षमा करके बड़प्पन दिखाये तो अच्छा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सामने ६ वर्ष के अन्दर यह तीसरा वाकया मेरे ख्याल से है। एक वाकया कुछ दिनों पूर्व आया और उस समय सदन ने भी नरमी रखी थी। बड़े दुःख की बात है कि हमारे माननीय सदस्यों द्वारा नरमी करने के लिए बराबर प्रार्थना करने का नतीजा यह हुआ कि उसके बाद दूसरा वाकया यह हो रहा है। मेरे ख्याल से जिस भावावेश में आकर इस महानुभाव ने कहा, भूल है, न तो हमें इसकी जांच करनी है और क्या शब्द इन्होंने कहे, इसकी भी जांच नहीं करनी है। जहां तक सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है मेरे ख्याल से डिटरेन्ट पनिशमेंट नहीं दी गई तो एक के बाद एक ऐसा वाकया होता रहेगा और सदन की प्रतिष्ठा भंग होती रहेगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इन चीजों को हमें समाप्त करना है तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यह नहीं कि हम बड़प्पन ही बता दें, बड़प्पन माफ़ करने में नहीं होता। जो हमारे यहां चीज़ होती है, उसकी व्यवस्था करनी है और चेतना हैं तो कोई सज़ा दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माफी मांगने पर नहीं छोड़ना चाहिये और इसलिए नहीं छोड़ना है कि इन्होंने किया है वह ठीक है, लेकिन भविष्य में वाकयात न हो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें कुछ डेटरेन्ट सजा अवश्य दी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister will reply.

श्री मुरलीधर व्यास : दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री मुरलीधर व्यास : दो शब्द कहना चाहता हूँ . . .

श्री उपाध्यक्ष : कहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने सदन की कार्यवाही में अड़चन पैदा करने की बात की है और उस पर कई सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कार्यवाही, जिसे कि ज़ाय कि पहले भी इस प्रकार की कुछ कार्यवाहियां हुई और उन कार्यवाही पर क्षमा मांगने के बाद सदन ने उसे माफ़ किया और इस प्रकार की कार्यवाही अब भी की जायगी तो ऐसा होगा कि इस प्रकार की कठिनाई फिर खड़ी हो। यह बात जो कही गई, जहां तक मैं समझता हूं इस प्रकार की कार्यवाही फिर हो सकती है। परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि आज जो खास कर कार्यवाही हुई उसी तरह की पहले भी कार्यवाही हुई, उस पर काफ़ी गम्भीरता से चर्चा हुई थी। मैं समझता हूं जो पहले कार्यवाही हुई, उस

Page No.97

(श्री मुरलीधर व्यास)

कार्यवाही में और आज की कार्यवाही में ज्यादा अन्तर भी हैं ? और जब हम आज से पहले सदन के अधिकार पर सोचते हैं और ज्यादा गम्भीर कार्यवाही के ऊपर बहुत गम्भीरता के साथ सोचते हैं और निर्णय लेते हैं तो ठीक बात है कि अगर इन्होंने क्षमा मांग ली है तो इन्हें क्षमा कर देना चाहिये । लेकिन आज हमारे सामने ऐसा सवाल आता है कि अधिक ढील न हो और इस प्रकार की कार्यवाही की है, उसे कुछ न कुछ सजा देनी चाहिये तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे सोचने का तरीका कुछ भिन्न हो जायेगा और मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसा कि मैंने भी सुना, जो कार्यवाही हुई, जो आवाज़ वहां से आई, यह कहा कि विदेशी भाषा समझ में नहीं आती, हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of arder, Sir, डिस्कशन के लिये पॉइन्ट यह है कि इन्टरफियर किया, यह मैटिरियल है, बहस के लिये, न कि क्या कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्टफियर किया, यह भी नहीं । क्वांटम ऑफ सेन्टेन्स तय करना है अब तो ।

श्री मुरलीधर व्यास : किन शब्दों का उपयोग किया गया, वह शब्द कुछ ऐसे थे जो ठीक बात है । यह हमारे संविधान ने मान्य किया है हम हिन्दी का उपयोग करना चाहते हैं, उसे राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं, संविधान की बात है, ऐसी हालत में किसी बाहर के व्यक्ति ने ऐसी बात की, जहां तक बात करने का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि ऐसी बात नहीं करना चाहिये, इससे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, पर जो बात कही, वह ऐसे लफ्ज़ हैं कि उन पर यदि सदन फैसला करता है, जो कहा गया उसके प्रतिकूल बात खड़ी की जाय और सदन कहता है कि दण्ड देना चाहिये, क्षमा नहीं करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला सदन के द्वारा हो जाय तो सदन के दृष्टिकोण से नहीं होगा और आज की विचारधारा जिसे हम मान्य कर लेते हैं, उसके प्रतिकूल होगा, उसका खुला दुरुपयोग होगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जो आज के लिये क्षमा की बात रखी है, जिस व्यक्ति ने यहां आ कर इस प्रकार की कार्यवाही की, वह उसके लिये क्षमा मांग लें तो जहां तक सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है वह पूरा हो गया ।

अगर सजा देने का रखते हैं तो वह काम जो हम करने जा रहे हैं उस पर और उन विचारों पर भी इससे थोड़ी ठेस लगती है तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में ठेस लगाने की बात है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी कि सभी माननीय सदस्यों की राय है, इस मामले में सदन द्वारा क्षमा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि हम साढ़े बारह के बाद तक बैठे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : लीडर ऑफ दी हाउस को जो रिप्रेजेन्ट करते हैं, उनकी राय भी सुन ली जाय, उसके बाद सदन द्वारा फैसला किया जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा, (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस सदन का तीसरा मौका है, जब इस प्रकार की यह तीसरी घटना हुई है। यह भी सही बात है कि पहली घटना के अन्दर सदन ने कुछ लोगों को सजा भी दी, दूसरी बार की घटना के बारे में सदन ने माफीनामा पर माफ भी किया। तीसरी मर्तबा यह जो घटना हुई और जिसके बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने अमुक बात कही वह सही है। हो सकता है कि सदन की गैलेरी में बैठे हुए कई बातों को सही महसूस करते हों पर निश्चित रूप से गैलैरी में बैठे हुए लोग बोलना शुरू करेंगे तो इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुँचेगी और सदन की प्रतिष्ठा को इससे बड़ा धक्का पहुँचेगा, निश्चित तौर पर अगर गैलेरी में बैठे हुए लोग यहां बोलते हैं तो उससे सदन को डिस्टरबैंस होता है।

पर अभियुक्त ने लिख कर माफी भी पेश की है, माननीय सदस्यों की विचारधारा को भी मैंने सुना, मैं ऐसा महसूस करता हूँ इस सदन की ऐसी निश्चित राय है कि क्योंकि अभियुक्त ने माफ़ीनामा पेश कर दिया है तो उसको इस मर्तबा माफ़ कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि इनको माफ कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

चूंकि तुमने सदन के सम्मुख क्षमा याचना की है अतः तुमको क्षमा किया जाता है, लेकिन चेतावनी दी जाती है कि इस अपराध को न दोहराना।

श्री भानसिंह : On a point of information, Mr. Deputy Speaker. Since the man has apologised to the House and the House has shown its magnanimity in accepting that apology, I would like to know now as to who is the Hon'ble Member who has given the pass to this man. He would not have entered the gallery if he was not issued a pass through an Hon'ble Member and when we undertake that we know the person personally, we should be responsible. The House would like to know the name of the Hon'ble Member through whom the pass was issued so that I may move a motion that the House may proceed and submit the matter to the Privileges Committee.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सदन के सम्मुख निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्य ने रिकमन्डेशन की है वे श्री करणसिंहजी हैं....

श्री भैरोंसिंह : किशनसिंहजी....करणसिंहजी तो कोई सदस्य नहीं हैं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा परस्पर बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. चूंकि यह एक अलग प्रश्न है, इसलिये इसको विभिन्न प्रश्न होने के आधार पर यहीं स्थगित करता हूँ। सदन इस पर किस तरह आगे बढ़ेगा इस पर कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये जांय।

Page No.99

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! इस प्रश्न पर विचार सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता इस लिये है कि सदन की प्रतिष्ठा को बार बार धक्का पहुँचाया जाता है और वह बचने की कोशिश करते हैं। सदन ने आज एक व्यक्ति को क्षमादान किया....

श्री उपाध्यक्ष : इसके सम्बन्ध मे जब तक कि कोई मूव नहीं हो in writing according to rules, I fail to entertain the motion.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं थोड़ा अर्ज करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह यहां अभी हाउस की प्रतिष्ठा का प्रश्न आया और लीडर ऑफ़ दी हाउस की जगह काम पर रहे हैं उन्होंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा उन्हीं को चाहिये था कि जिन माननीय सदस्य की वज़ह से सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा और जिनकी वज़ह से यह विशेषाधिकार का प्रश्न आया, उनके सम्बन्ध में भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते। उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया तो इसके लिये सदन जिम्मेदार नहीं। सदन तैयार है कि यदि माननीय उपाध्यक्ष आज्ञा दें तो इसी वख्त यह प्रश्न सदन में प्रस्तुत किया जाय, क्योंकि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिये हमें अवसर दिया जाय कि हम इसे इसी वख्त रखें और सदन इसको इसी समय तय करे।

श्री श्रीभानसिंह : विशेषाधिकार के प्रश्न के लिये कोई समय का प्रतिबन्ध नहीं हैं, टाइम लिमिट नहीं है, A privilege motion can be moved at any time at that moment. तो यह पर्मिशन चाहते हैं, मोशन तो अभी मूव हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : अभी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : अभी होगा। होगा कैसे नहीं ?

जो एक्स्प्लैनेशन दिया है कि हाउस की प्रिविलैजेज़ किस तरह ब्रीच होती हैं, वह मोटी बात है, वह ब्रीच करते हैं। एक माननीय सदस्य के पास से आता हैं तो रेस्पान्सिबिलिटी उस माननीय सदस्य की हैं, यह माननीय सदस्य पर प्लैस करना है ताकि आयन्दा सोच समझ कर किसी को पास दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, नियम ५५-५६ के अनुसार, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है, जब चाहें उसी वक्त इसे लिया जा सकता है, अत...

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, हाउस की कार्यवाही, अभी एडजोर्न न करें..

श्री तनसिंह (बाड़मेर): नियम ५५-५६ उन लोगों के लिये भी लागू होती है जो यहां लाये गये। जब प्रिविलेज़ मोशन मूव होता है तो उसके इन्टर रिलेटेड जितने क्विश्चन्स हैं उन पर भी उसी समय यही डिसिज़न होना चाहिये। आज सदन के लिये एक प्रश्न, प्रिविलेज़ मोशन आया तो यहां दूसरी जो कोरोलरी बातें हैं उनका भी डिसिज़न उसी समय होना चाहिये, यह नहीं कि उसको आज तय किया गया और उससे इन्टररिलेटेड बातें

(श्री तनसिंह)

हैं उनको बाद में तय किया ।

इसलिये मैं समझता हूं और होता भी यही है कि एक घटना के बारे में प्रिविलेज़ मोशन आता है तो प्रिविलेज़ कमेटी उससे सम्बन्धित सारे प्रश्नों का उसी समय निर्णय लेती है । तो हमें इसी समय निर्णय लेना चाहिये हम तैयार हैं, आज ही निर्णय लेना चाहें तो एक बजे तक बैठ कर निर्णय लें ।

श्री उपाध्यक्ष : As I am not satisfied with the urgency of the matter. I am not prepared to entertain this at this stage. Hence the House is adjourned for Monday to meet on the prescribed time.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १२ बज कर ४१ मिनट पर दिनांक १४ अप्रैल, १९५८ के प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ११ अप्रेल, ५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७०५०	सबस्टीट्यूट अध्यापक।	
ग्राम गुडा बालोता (जालोर) में हायर सेकन्ड्री स्कूल की स्थापना।		माध्यमिक पाठशालायें।	
सड़क निर्माण हेतु ली गयी ज़मीन का मुआवज़ा।		मुख्याध्यापक, हाई स्कूल, खानपुर (झालावाड़) का स्थानान्तरण।	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संगठन।		बामनवास में हाई स्कूल या हायर सैकन्ड्री स्कूल की स्थापना।	
विद्यालय, चक ३ जे. जे.।		खानपुर-अरनिया रोड़।	
बन्दियों के लिये बिछाने व ओढ़ने के वस्त्र की व्यवस्था।		जावर माइन्स।	
		भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड।	
सी. सी. एफ., के कार्यालय का कोटा से जयपुर स्थानान्तरण।		बांधों की मरम्मत, कोटा।	
		जल-वितरण व्यवस्था, बीकानेर।	
निम्बाज़ में हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने सम्बन्धी।		विद्युत्–व्यवस्था अलवर।	
कन्या पाठशालायें, कोटपूतली।		वूल ग्रेडिंग व मार्केटिंग केंद्र।	
दरबार इन्टर कालेज, किशनगढ़।		भारत सेवक समाज।	
कोयले की खान, पलाना।		राणा प्रतापसागर बांध।	
रेणीया बांध, खारची तहसील।		विकास खंड, आबू रोड़।	
सड़कों पर गैन्ग मैनों की नियुक्ति। विकास खंड, सांगानेर।		गुरुवार, मार्च २०, १९५८ टूरिस्ट बोर्ड।	
पुरोहितों का खेड़ा नामक मोजा को बिजोलिया पुलिस स्टेशन से संबंधित किया जाना।		मंगलवार, मार्च २५, १९५८ शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग।	

Page No.102

खरंजा बनाने का ठेका।

बुधवार, मार्च २६, १६५८ हथियारों के लाइसेन्स।

भरतपुर की बिड़ला वेगन फैक्ट्री को बिजली देने सम्बन्धी ।

शुक्रवार, मार्च २८, १६५८ बीज वितरण तहसील नोखा।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १६५७। ७१२२

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

आज उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ। खण्ड ३ के उप-खण्ड (४), (५), (६), (८), (६), (१०), (११), (१३), (१४), (१५), (१६), (१७), (१६), (२०), (२१), (२२). (२३), (२४), (२५), (२६), (२७), (२८), (३०), व (३१) बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये । उप-खण्ड (१२) व (१८) संशोधित रूप से स्वीकृत हुए। एक नयाउप-खण्ड (५ ए) भी जोड़ा गया। उप-खण्ड (७) व (२६) आस्थगित किये गये।

दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा।

आज एक अपरिचित व्यक्ति श्री धाराधर शर्मा, पुत्र बन्सीधर, जयपुर निवासी, ने प्रातः १०-५५ पर, जब कि सदन की कार्यवाही जारी थी, दर्शक दीर्घा से चिल्लाकर कहा कि "यहां विदेशी भाषा का क्यों प्रयोग किया जा रहा है" जिसके फलस्वरूप सदन की कार्यवाहीमें बाधा पहुँची । इस पर उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार उन्हें सशस्त्र परिचायक (Sergeant at Arms) की अभिरक्षा में लिया गया।

इसके पश्चात् लगभग १२ बजकर १५ मिनिट पर सदन के नेता की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा के प्रस्ताव पर श्री धाराधर शर्मा को सदन के समक्ष पेश किया जाकर उन्हें अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने एवं सफाई देने का अवसर दिया गया। श्री शर्मा ने लिखित में क्षमा याचना प्रस्तुत की जिसको उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़कर सुनाया गया । सदस्यों द्वारा, अभियुक्त के प्रति क्या व्यवहार हो, इस पर मत प्रकट किये जाने के पश्चात् श्री नाथूराम मिर्धा ने यह प्रस्ताव किया कि यद्यपि श्री धाराधर शर्मा ने अपने आचरण द्वारा सदन का अपमान (Cont-empt of the House) किया है किन्तु चूंकि उन्होंने लिखित में क्षमा याचना पेश की है, अतः उन्हें

माफ़ कर दिया जाय। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से सदन द्वारा स्वीकार किया गया। अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री धाराधर शर्मा को चेतावनी दी जाकर छोड़ दिया गया।

सोमवार दिनांक १४ अप्रैल १६५८ की कार्य-सूची

राज्य भाषा हिन्दी सम्बन्धी संकल्प पर विवाद।

परिशिष्ट १.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२८६ का उत्तर देखिये)

Copy of circular (secret) No. F. 4 (GA/A/57, dated the 21 st Sept. 1957 from General Adminisration Department 'A'

\+ + +

Complaints have been received that some officers of Government are utilising Class IV Servants for domestic duties such as cleaning utensils, washing clothes, etc., against their wish. It should be clearly understood that Class IV Servants are not meant for domestic work and that any complaints that particular persons are being compelled to do domestic duties will hereafter have to be enquired into.

All secretaries to Government and Heads of Departments are requested to issue necessary instructions in the matter to their subordinate officers in this respect.

Copy of circular No. D. 7/58/ F. 4 (26) GA/A/57. Dated the 28th January. 1958 from General Administration Department (A).

o o o

Sub :-Taking domestic work from Class IV Servants.

Even after the issue of the last circular, No. F. 4 (26) GA/A/57, dated 21.9.57, on the subject mentioned above, several complaints from Class IV Servants are being received here direct that particular persons are still being compelled to do domestic duties. All the Officers are, therefore again requested to instruct their subordinate officers in this respect.

The attention of Class IV Servants may also be invited to the fact that complaints regarding the taking of domestic work from them against their will should normally be sent to the authority immediately superior to the officer complained against and that Authority should appropriately dispose of the complaint.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ का उत्तर देखिये)

तारांकित प्रश्न संख्या २६० सी० एम० की सूची

अध्यापिकाओं की योग्यता निम्न प्रकार है :—

पाठशाला का नाम.	अध्यापिकाओं का नाम	योग्यता
१. प्रा० क० शाला नरेहड़ा	श्रीमती दुर्गादेवी	मिडिल जे. टी. सी.
२. ,, पावटा	श्रीमती शकुन्तलादेवी	बी. टी. सी.
३. ,, प्रागपुरा	श्रीमती पार्वतीदेवी	प्रवेशिका जे. टी. सी. फेल
४. ,, आंखेला	श्रीमती सावित्रीदेवी	बी. टी. सी.
५. ,, माध्यमिक कन्या पाठ० कोटपुतली	श्रीमती गेंदीदेवी प्र० अ०	मिडिल, प्रभाकर, हिन्दी रत्न.
	श्रीमती आदेशकुमारी स० अ०	प्रथमा, जे. टी. सी.
	श्रीमती मायादेवी स० अ०	अपर प्राईमरी, नान बी, एफ मिडिल.
	श्रीमती रामकंवर देवी स० अ०	बी. टी. सी.
	श्रीमती भगवानीदेवी नागर. स० अ०	प्रवेशिका.
	श्रीमती गोविन्द कुंवर स० अ०	मैट्रिक.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ का उत्तर देखिये)

सांगानेर विकास खण्ड में श्रमदान के कार्यों के लिए दी गई धनराशि की सूची।

क्र० सं०	नाम व्यक्ति	कार्य	सरकारी रकम
१	२	३	४
१.	श्री दामोदरलाल	कुआ	८००)
२.	,, विरदा	,,	८००)
३.	,, रामसहायदास	,,	१०००)
४.	,, गोधा पुत्र देवा	,,	८००)
५.	,, मुरली पुत्र चन्दा	,,	८००)
६.	,, चौथूलाल बगड़िया	,,	८००)
७.	,, रावाराम पुत्र चन्दाराम	,,	२०००)
८.	,, हनुमान पन्नालाल	,,	१२००)
९.	,, शूरसिंह बच्चूसिंह	,,	८००)
१०.	,, रामधन मीणा	,,	८००)
११.	,, घीसालाल पुत्र गोपीलाल	,,	७००)
१२.	,, रामानन्द	,,	८००)
१३.	,, नारायणदास	,,	८००)
१४.	,, श्रीनारायण	,,	८००)
१५.	,, भंवरलाल	,,	८००)
१६,	,, दामोदर	,,	८००)
१७.	,, सुखदेव	,,	८००)
१८.	,, लालचन्द	,,	८००)
१९.	,, सूवालाल	,,	८००)
२०.	,, रामनाथ	,,	८००)
२१.	,, कल्याण	,,	७००)
२२.	,, माहरू	,,	८००)
२३.	,, कल्याणसिंह	,,	७००)

Page No.107

१	२	३	४
२४.	,, पांचूराम	,,	८००)
२५.	,, उमरावसिंह	,,	७००)
२६.	,, गोविन्द	,,	८००)
२७.	,, भोमा	,,	८००)
२८.	,, भेरियां	,,	७००)
२९.	,, चौथमल	,,	१०००)
३०.	,, खूबा	,,	७००)
३१.	,, घनश्याम	,,	१०००)
३२.	,, घासी पटेल	,,	८००)
३३.	,, श्रीनारायण	,,	८००)
३४.	,, छाजूराम	,,	८००)
३५.	,, बजरंगसिंह	,,	८००)
३६.	,, रामेश्वर	,,	८००)
३७.	,, नाथूराम	,,	८००)
३८.	,, कल्याण	,,	८००)
३९.	,, जगदीश	,,	८००)
४०.	,, श्रीनारायण	विद्युत पम्प	१०००)
४१.	,, बनैसिंह	कुंआ	४००)
४२.	,, मांगीलाल	,,	१०००)
४३.	,, किशनलाल	स्नानाघर व शौचालय सहित कुंआ	८००)
४४.	,, गोविन्दराम	हरिजन	८००)
४५.	,, गोविन्दराम	सार्वजनिक कुंआ	८००)
४६.	,, मोतीराम	ढका हुआ कुंआ	५००)
४७.	,, छाजूराम	कुंआ	८००)
४८.	,, जगदीश	,,	८००)
४९.	,, हरबख्श	,,	८००)
५०.	,, पांचूराम	,,	८००)
५१.	,, महादेव	,,	८००)

१	२	३	४
५२.	,, हनुमान	,,	१०००)
५३.	,, गोविन्दराम	,,	८००)
५४.	,, परताप	,,	८००)
५५.	,, चौहनसिंह	,,	८००)
५६.	,, छाजूराम	,,	८००)
५७.	,, दामोदरप्रसाद	पानी की सप्लाई	३६००)
५८,	,, गोपीराम पुत्र रामनाथ	,,	८००)

आदर्श रसोई घर

१.	श्री दामोदर प्रसाद	आदर्श रसोई घर	१००)
२.	,, हरिनारायण	,,	२०)
३.	,, भंवरलाल	,,	४०)
४.	,, कीरतसिंह	,,	४०)
५.	,, जयसिंह	,,	४०)
६,	,, रामकरण	,,	४०)
७.	,, किशनलाल	,,	४०)
८.	,, जगदीशनारायण	,,	१००)
९.	,, भंवरलाल	,,	४०)
			४६०)

१	२	३	४

बालोद्यान

१, श्री कीरतसिंह	बालोद्यान	६६५)
२. ,, श्रीनारायण	,,	१०००)
३. ,, भंवरलाल	,,	१०००)
४. ,, दामोदरप्रसाद	,,	१०००)
५. ,, मंगला	,,	१०००)
		४६६५)

———

रोशनी लगाना

१. श्री कीरतसिंह	रोशनी लगाना	१२५)
२. ,, रामकरण	,,	१२५)
३. ,, किशनलाल	,,	१००)
४. ,, राधेश्याम	,,	१२५)
५. ,, हरिनारायण	,,	१२५)
६. ,, जगदीशनारायण	,,	१२५)
७. ,, हनुमान	,,	१००)
८. ,, भंवरलाल	,,	५०)
९. ,, दामोदरप्रसाद	,,	१२५)
		१०००)

———

१	२	३	४
		स्कूल भवन	
	१. श्री रहमान खां	स्कूल भवन	५००)
	१. ,, शिवहुसेन	,,	८००)
	३. ,, जगदीश	,,	८००)
	४. ,, रामेश्वर	,,	४००)
	५. ,, रामानन्द	,,	४००)
	६. ,, जगन्नाथ	,,	८००)
	७. ,, कल्याण	,,	५००)
	८. ,, रामेश्वर	,,	६००)
	९. ,, कानसिंह	,,	१०००)
	१०. ,, गोविन्दराम	,,	३००)
	११. ,, अमरचन्द	,,	४००)
	१२. ,, बलदान	,,	६००)
	१३. ,, लक्ष्मीनारायण	,,	१०००)
	१४. ,, कीरतसिंह	,,	२०००)
	१५. ,, साधूराम	,,	६००)
	१६. ,, बद्रीनारायण	,,	१००)
	१७. ,, जगदीश	,,	६००)
	१८. ,, श्रीनारायण	,,	२५००)
	१९. ,, रामेश्वर	,,	८००)
	२०. ,, जगदीश	,,	६००)
	२१. ,, मोतीलाल	,,	५००)
	२२. ,, श्रीनारायण	,,	२००)
	२३. मंगला पुत्र धन्नालाल	,,	८००)
			१८८००)

१	२	३	४
		आवागमन के कार्य	
१.	,, कीरतसिंह	सड़क निर्माण	६०००)
२.	,, जगदीशनारायण	,,	६८७८)
३.	,, दामोदरप्रसाद	,,	६८५०)
४.	,, पंचायत बोर्ड	काज वे (पुलिया)	६८६–६–०
			२३३१७–६–०

ग्राम सेवक भवन

१.	,, श्रीरामकरण	ग्राम सेवक भवन	११००)
२.	,, दामोदरप्रसाद	,,	११००)
३.	,, भंवरलाल	,,	११००)
४.	,, जयसिंह	,,	११००)
५.	,, मांगा	,,	१४००)
६.	,, भंवरलाल	,,	११००)
			७०००)

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३०० का उत्तर देखिये)

३. इन १५ अध्यापकों के नाम और उनके कार्य करने के स्थान निम्नानुसार हैं :-

क्रम संख्या	नाम अध्यापक	स्थान का नाम जहां नियुक्त हैं।
१.	श्री सोहनलाल	राजकीय प्राथमिक शाला सेहवाज ।
२.	श्री रमाकान्त	राजकीय प्राथमिक शाला फालना गांव, जो अभी स्टीपैंड तौर पर एस. टी. सी. ट्रेनिंग शिवगंज में हैं ।
३.	श्री वदीदास	राजकीय प्राथमिक शाला पनोला ।
४.	श्री कुंवरसिंह	राजकीय प्राथमिक शाला, खिवांदी ।
५.	श्री कसाराम	राजकीय प्राथमिक शाला, सांसरी ।
६.	मालमसिंह	राजकीय माध्यमिक शाला लूनावा ।
७.	श्री नारायणलाल	राजकीय प्राथमिक शाला नं० १. तखतगढ़
८.	श्री रामप्रसाद	राजकीय प्राथमिक शाला, मंडला ।
९.	श्री सुल्तान खां	राजकीय प्राथिमक शाला, प्रेरटी ।
१०.	श्री नरसिंह	राजकीय प्राथमिक शाला, भिमाना ।
११.	श्री मोहब्बतसिंह	राजकीय प्राथमिक शाला, दूदोऊ ।
१२.	श्री आवड़दान	राजकीय प्राथमिक शाला, आयद ।
१३.	श्री सूर्यप्रकाश भटनागर	राजकीय प्राथमिक शाला, सोजत नं० १। जो अभी स्टीपैंड तौर पर एस. टी. सी. शिवगंज में हैं ।
१४.	श्री भंवरसिंह	राजकीय माध्यमिक शाला, लूनावा.
१५.	श्री गांधीराम	राजकीय प्राथमिक शाला, सोमेसर.

उक्त सबसीट्यिूट अध्यापकों को माह अप्रेल १९५८ से अस्थायी पद पर लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या १३१५ का उत्तर दीजिये)

राजस्थान में भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्रों का विवरण

क्र० सं०	स्थान जहां कि विस्तार केन्द्र कार्य कररहा है।	विस्तार केन्द्र के चालू होने की तिथि	प्रत्येक विस्तार केन्द्र का वार्षिक व्यय
१	२	३	४
		राजस्थान योजना के अन्तर्गत बीकानेर डिवीजन	
१	बीकानेर	१-५-५३	२८००) रु०
२	मारवाड़ा	,,	,,
३	गजनेर	,,	,,
४	बागसर	,,	,,
५	नापासर	,,	,,
६	राजलदेसर	,,	,,
७	नोहर	,,	,,
८	रतनगढ़	,,	,,
९	सूरतगढ़	,,	,,
१०	भादरा	,,	,,
		जयपुर डिवीजन	
११	जयपुर	१-५-५६	३८००) रु०
१२	दौसा	,,	,,
१३	रींगस	,,	,,
१४	अजीतगढ़	,,	,,
१५	सांभर	,,	,,
१६	झुंझुनु	,,	,,
१७	टौंक	,,	,,
१८	मालपुरा	,,	,,

१	२	३	४
१६	नवलगढ़	,,	,,
२०	चौमू	,,	,,
		जैसलमेर डिवीजन	
२१	जैसलमेर (अपर सागर)	१-५-५६	१०००) रु०
२२	नाचना	,,	,,
२३	फलौदी	,,	,,
२४	रामगढ़	,,	,,
२५	पोकरण	,,	,,
२६	जोसाद्	,,	,,
२७	भाप	,,	,,
२८	देवीकोट	,,	,,
२६	मोहनगढ़	,,	,,
३०	साटी	,,	,,
		जोधपुर डिवीजन	
३१	जोधपुर	१-५-५६	२८००) रु०
३२	बिलाड़ी	,,	,,
३३	मेड़ता-सिटी	,,	,,
३४	सांचौर	,,	,,
३५	रायपुर	,,	,,
३६	पाली	,,	,,
३७	बाली	,,	,,
३८	पिण्डवाड़ा	,,	,,
३६	चगंवाड़ा	,,	,,
४०	जालोर	,,	,,
		उदयपुर डिवीजन	
४१	उदयपुर	१-६-५६	१०००) रु०
४२	पापड़	,,	,,

१	२	३	४
४३	देवगढ़	,,	,,
४४	आमेट	,,	,,
४५	कांकरोली	,,	,,
४६	चितरगढ़	,,	,,
४७	नीमवाड़ा	,,	,,
४८	बड़ी सादरी	,,	,,
४९	भीलवाड़ा	,,	,,
५०	डूंगरगढ़	,,	,,

आई.सी.ए.आर. योजना के अन्तर्गत

बीकानेर डिवीजन

१.	तारानगर	३०-८-५७	३०००) रु०
२.	नौखा	,,	,,
३.	कोलायत	,,	,,
४.	लुणकरणसर	,,	,,
५.	महाजन	,,	,,
६.	सादुलगढ़	,,	,,
७.	चूरु	,,	,,
८.	डूंगरगढ़	,,	,,

जयपुर डिवीजन

९.	फतेहपुर	३०—८—५७	३०००) रु०
१०.	लक्ष्मणगढ़	,,	,,
११.	उदयपुरवाटी	,,	,,
१२.	सीकर	,,	,,
१३.	डेगाना	,,	,,
१४.	परबतसर	,,	,,
१५.	सुजानगढ़	,,	,,

१	२	३	४
	जोधपुर डिवीजन		
१६.	नागौर	३०—८—५७	३०००) रु०
१७.	मेड़तारोड़	,,	,,
१८.	बाड़मेर	,,	,,
१९.	ओसियान	,,	,,
२०.	लोहावट	,,	,,
२१.	थानेसर	,,	,,
२२.	मारवाड़ पुराडवा	,,	,,

ऊन पर्यायाकों के कार्य निम्न प्रकार हैं :

१. लगभग ५,००० भेड़ों को नियंत्रित प्रजनन के अन्तर्गत लाना ।

२. वैज्ञानिक ढंग से अधिक भेड़ों को बधिया करना ।

३. भेड़ों को सामयिक उदर कृमि नाशन दवाइयां पिलाने में भेड़पालकों को सहायता करना ।

४. भेड़ों को कृमि नाशक तेल में नहलाने में सहायता करना ।

५. ग्रामीण भेड़पालकों को स्वस्थ्य व अच्छी नस्ल का मेंढा खरीदवाना या सरकारी मेंढे देना ताकि भेड़ें अधिक मात्रा व अच्छी श्रेणी की ऊन पैदा कर सकें ।

६. ऊन अल्पन व वर्गीकरण सम्बन्धी बातें समझना जिससे कि भेड़ पालक अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें ।

७. झुन्ड में मेमनों की उत्पत्ति की औसत को बढ़ाने में सहायता देना ।

८. भेड़पालकों को सहकारी समितियां बनाने में सहायता देना ।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ का उत्तर देखिये)

S. N.	File No.	Name of Officers under enquiry	Allegations.	To whom enquiry entrusted and date.	Latest stage of the case.
1	2	3	4	5	6
1.	F. 23 (88) Apptt/A/56	Shri V. V. Johan, Principal, Ajmer.	Irregulartiesrevealed in the course of Audit of account of Govt. College, Ajmer-Mis-appro-priation of Govt. funds.	Sh. S. Mudaliar, ICS 16-7-56 Reported received 8-8-56	RemovedfromGovt. service vide No. 9970/57/F. 23 (88) A/A/56, dt. 21-8-57.
2.	F. 23 (34) Apptt/A/56	Sh: J. P. Bhatnagar, Principal Mrs.S.D.Bhatnagar, Lecturer.	Double drawal of T. A. on transfer at Kotah.	Sh. Snrendra Singh IAS Collector, Kotah 23-10-56 Addl. Commr. D. E. 9-1-58	Pendinng.

१	२	३	४	५	६
3.	F. 23(57) Apptts/A/57	Sh. A.Baqi,Inspector of Schools.	Irregularities in the Purchases of Directorate of Edu. Ajmer Committed by him while working as D. E. and A.D.E.Ajmer.	Addl. Commr. D. E. 4-2-58	Report awaited.
4.	F. 23(30) Apptts/A/56	Sh. S. M. L. Shrivastava.	Negligence. Theft in the office of the Inspector of Schools, Jalore.	E. O.Cum-OSD(A) 15-6-56 Reported 27-9-57	Stopped 2 grade increments without comulated effect. No. 8238/F. 23(10)Apptt /A, dt. 27-9-57.
5.	F.23 (6) Apptts/A/57	1) Sh. B.S. Sial 2) Sh.A. Baqi 3) Sh.D.P.Kaushik 4) Sh. Brishbhan	Irregularities in the purchases of Directorate of Education, Ajmer.	1) A draft Charge-sheet and statment of allegations was sent to U. P. Govt. for being Served upon Shri B. S. Sial whose appointing authority	

१	२	३	४	५	६
				is U.P. Govt. A reminder has been sent to them.Reply awaited. 2) A charge sheet along with statement of allegations was served upon Shri Baqi whose written statement has not yet been received. He has applied for inspecting the record before submitting his written statement. At the same time he has also made a representation to quest the varsions since he has been retired.	
6.	F. 23 (62) Apptts/A/57	1) Sh.Gajraj-	Irregularities in the		Charge-sheet served

१	२	३	४	५	६
		Singh, I A S. 2) Sh. Vishnu Dutt Sharma, I A S. 3) Sh. J. D. Vaish.	purchase of Library service books.		on June, 1957 and written statement received on 28-11-57.
7.	F. 13 (7) Edu/A/55	Irregularities regarding Nationalisation of Text Books.	Apptts (A) Department. The enquiry was entrusted to Shri Ram Dutt. He prepared a questionnarise to which replies were sent to him. He found that the I A S. Officers were involved so the case was returned to Apptts. Deptt.		The case is being examinne by Apptts. Deptt.
8.	F. 12 (165) Edu/A/57	Dr.G.V.Bakare,Offg. P. G. Head, Jaswant College, Jodhpur.	Serious irregularity Committed in connection with purchase	Commissioner, Jodhpur under No. F. 12 (23) Edu/A/54 dt.	Certain witnesses are being examined by the Commi-

१	२	३	४	५	६
			made in Chemistry Deptt.	11-9-57	ssioner.
9.	F. 5 (8) Edu/A/58	Shri Jugal Kishore Sharma, Registrar, Departmental Exam. Jaipur.	Certain allegation reg. Irregularities on his part.	Sent on 18-3-58 to the special Secy. for being forward for investigation to the Special Inspector General of Police (Anticorruption.)	Investigation yet to be made.
10.	F. 5. (11) Edu/A/58	Shri Harihar Lal Gupta, Inspector of Schools, Bharatpur.	Irregularities in purchases and other matters.	Case refered to Apptts/A/Depptt. by the D.E. Raj. vide his letter No. EDB /PER/B/2821/58/35, dt. 1-2-58.	Under action in Apptts/A/Deptt.
11.	D. 1692/F. 23(8) Apptts/ A/58 F. 3 (15)Edu/A/58	Shri Kharg Nath, Principal, Sanskrit College.	Departmental enquiry on the report of Supdt. and Dy. Sup-	Director of Education, Rajasthan on 11-3-58.	Enquiry yet to be made.

१	२	३	४	५	६
		Udaipur.	dt. of Police. (Antic-orruption).		
12.	F. 12 (190) Edu/A/56	Shri Moti Lal Joshi, Inspector of Schools, Nagaur.	Spending Govt. money on the repairs of private and rented School buildings.	Dy. D. E. Rajashan, Jodhpnr 14-7-56.	Recovery ordered.
13.	F. 11 (366) Edu/A/56	Shri Gajanadn Jha, Dy. Inspector of Schools, Kotah.	Drawal of T.A. against Rules by giving a false certificate.	Inspector of Schools, Kotah, August, 1954.	Stopped grade increaments for two years without commulative effect and a service warning administered.
14.		Sh ri G.M.Yagnik. Ex-Head Master, High School, Bagun now Headmaster, High School, Bari Sadri.	He was involved in the case of misappropriation of Govt. as well as boys funds at High School, Bagun. He was suspend-	Inspecor of Schools, Chittorgarh.	Re-instated on 6-11-57 as he was found not guilty.

१	२	३	४	५	६
			ed on 22-4-57. The enquiry was conducted by the Inspector of Schools, Chittor. The Headmaster was found not guilty and was therefore, re-instated on 6-11-57. The clerk of the High School, Bagun is under suspension and a criminal case against him has been challened by the Police in the Court of District and Session Judge, Pratapgarh.		
15.		Shri Nand Kishore Bhatea.	He was held guilty of committing irregul-	The enquiry was conducted by the Dy.	

१	२	३	४	५	६
		Ex-Headmaster, High School, Rishabdeo now Head master, High School, Raipur.	arities in connection with the purchase of books in 1955 at High School, Rishabdeo. No charge was built against the Head master and a report been submitted for final disposal of the case.	Director of Education, Udaipur.	
16.		Shri N.L. Baheti, Ex-Dy. Inspector of Schools, Sikar now senior teacher, Higher Secondary School, Railmagra.	He drew a large amount of money about Rs. 40,000/-from the Govt. Treasury and kept un-disbursed till end of the financial year 54-55. This was an irregularity against financial. Rules for which an explanation has been called by the Director of Education, Rajasthan, Bikaner.	The Enquiry is being conducted by the Director of Education, Rajasthan, Bikaner.	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	नाम ज़िला	बीज लोडिंगगन्स के दिये गये लाइसेन्सों की संख्या	पुलिस तहवील में लिये गये लाइसेन्सों की संख्या
१	२	३	४
१.	उदयपुर	६६६	१५
२.	चित्तोड़गढ़	३२३	३
३.	भीलवाड़ा	६४	६
४.	बांसवाड़ा	१३३	०
५.	डूंगरपुर	११३	०
६.	कोटा	५६५	०
७.	बूंदी	१२१	०
८.	झालावाड़	२७२	१
९.	बीकानेर	४५०	१३
१०.	चूंरू	१०६१	१७
११.	गंगानगर	४११६	४७२
१२.	अजमेर	७५	६
१३.	जयपुर	१६१०	१
१४.	टोंक	१७०	५
१५.	अलवर	६२८	११
१६.	भरतपुर	७४७	०
१७.	सीकर	४७०	४
१८.	सवाई माधोपुर	३०२	०
१९.	झुंझुनूं	७९२	०
२०.	जोधपुर	८६८	४४
२१.	पाली	३९२	२४
२२.	जालोर	२०४	३६
२३.	नागौर	७९८	४५
२४.	जैसलमेर	११३	०
२५.	बाडमेर	४०५	६
२६.	सिरोही	३६४	१३

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ११ अप्रैल, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७०५५	अन्तिम से ७	बेसिक	बेसिस
७०५७	६	चक्र के लिते	चक्र के लिये
७०५८	१	यदि	याद
७०६३	अन्तिम से ४	कष्ट करेगी।	कष्ट करेंगे :–
७०७३	८ व १२	श्री गणपतलाल वर्मा	श्री गणपतिलाल वर्मा
७०७६	२	फ्लिक्सेबल	फ्लैक्सीबल
७०८७	११	एनिमिटीज़	एमिनिटीज़
७०९३	१५	बनावा गया	बनाया गया
७१११	५	याताहात	यातायात
७११९	२२	rupply	supply
,,	३४	wegon	wagon
७१३०	९	बाप जब	बाद जब
७१३३	१७	यह मामूम	यह मालूम
७१३९	४	वोखली	खोखली
७१४६	१४	सदस्व	सदस्य
७१५०	२०	फोरेमर	फॉरमर
,,	अन्तिम से ३	infarmation	information
७१५४	२३	के बस-क्लोज	के सब-क्लॉज़
७१६६	४	rcfered	referred
७१६७	१	rcfcered	referred
७१६७	११	beckqroand	backgroun
७१६९	अन्तिम से ५	referrd	referred
,,	,, ,, ४	frind	friend

१	२	३	४
७१७०	अन्तिम से ६	एडवाइस	एडवान्स्ड
७१७४	अन्तिम से ६	to hegr him	to hear him
७१७८	अन्तिम से १८	गीख	गौरव
७१८६	१४	वाक्स	वाक्य
७१९४	२८	Covtainea	Contained
७२०१	१८	ony	any
७२०६	१७	सेम्स	सैंस
७२२१	२७	पर लगा कर	कर लगा कर
७२३०	१३	privelage	privilege
७२३२	२३	मोबिलिबी	मोबिलिटी
७२३६	२३	कार्य्रवाही	कार्यवाही